ट्रांसजेंडर समुदाय

(समझ और समावेशन)

प्रो. अनीता रानी राठौर
प्रो. दिनेश चंद शर्मा
प्रो. किशोर कुमार
प्रो. दीप्ति वाजपेयी
प्रो. शिवानी वर्मा
डॉ. नेहा त्रिपाठी
डॉ. मीनाक्षी लोहानी
डॉ. परवेज़ शमीम
डॉ. अरविन्द कुमार यादव
डॉ. विनीता सिंह

ट्रांसजेंडर समुदाय
(समझ और समावेशन)

नालंदा प्रकाशन
दिल्ली

ट्रांसजेंडर समुदाय
(समझ और समावेशन)

प्रधान संपादक

प्रो. अनीता रानी राठौर

संपादक

प्रो. दिनेश चंद शर्मा

प्रो. किशोर कुमार
प्रो. शिवानी वर्मा
डॉ. मीनाक्षी लोहानी
डॉ. अरविन्द कुमार यादव
प्रो. दीप्ति वाजपेयी
डॉ. नेहा त्रिपाठी
डॉ. परवेज़ शमीम
डॉ. विनीता सिंह

नालंदा प्रकाशन

दिल्ली

ISBN : 978-93-6275-663-3

© संपादक

प्रकाशक
नालंदा प्रकाशन
B-26 शिव कॉलोनी, बुद्ध विहार,
फेस-2 दिल्ली-**110086**
✆ : **+9968082809, 9315194807**
✉: **nalandaaprakashan@gmail.com**

प्रथम संस्करण- 2025

मुद्रक
ट्राईडेंट इटरप्राइजेज, दिल्ली-32

नालंदा प्रकाशन
माता सुन्दरी पब्लिशर्स लिमिटिड
30, स्वामी दयानन्द स्ट्रीट
बो बासें, मॉरिशस

नालंदा प्रकाशन
सेंट डेविड्स रोड, ग्वालियर हाउस,
ग्वालियर रोड, पूर्व लंदन,
दक्षिण अफ्रीका 5201

इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश को, फोटोकॉपी एवं रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रानिक अथवा मशीनी, किसी के माध्यम से, अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुर्नप्रयोग की प्रणाली द्वारा, किसी भी रूप में, पुनरुत्पादित अथवा संचारित- प्रसारित नहीं किया जा सकता।

Transgender Samudaye (Samajh aur Samaveshan)

By : Prof. Anita Rani Rathore

संपादकीय

शिक्षा ज्ञान का हस्तांतरण मात्र नहीं है, वरन यह बुद्धि एवं विवेक को जागृत करने, समानुभूति का विकास करने और एक न्यायपूर्ण समाज के पोषण की प्रक्रिया है। शिक्षकों पर ऐसा वातावरण विकसित करने का नैतिक दायित्व है, जहाँ समानता, सामंजस्य, समरसता और समावेशन प्रत्येक का अधिकार हो। इस संदर्भ में, ट्रांसजेंडर समुदाय को समझना न केवल एक सामयिक अपरिहार्यता है, बल्कि यह एक नैतिक अनिवार्यता भी है।

वर्तमान परिदृश्य में, जहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति पहचान, नागरिकता और समावेशन पर विचार आंदोलन वैश्विक पटल पर केंद्र में हैं, ऐसी पृष्ठभूमि में, ''ट्रांसजेंडर समुदायः समझ और समावेशन'' नामक यह पुस्तक केवल एक संकलन नहीं है, बल्कि उस समुदाय के जीवन और संघर्षों का एक संवेदनशील दस्तावेज है, जिसे सदियों से समाज के हाशिए पर रखा गया है।

ट्रांसजेंडर होना कोई व्यक्तिगत विसंगति नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है। किंतु समाज, अपनी संकीर्ण सोच और सीमित समझ के कारण, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को असामान्य मानकर उनसे दूरी बनाता है। परिवार से लेकर कार्यस्थल तक, हर जगह अस्वीकृति का कभी मौन तो कभी मुखर उद्घोष करता है।

प्रस्तुत पुस्तक यह समझ उत्पन्न करने का प्रयास है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का समावेशन कोई दया या उदारता का कार्य नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की कसौटी है। सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता को बदलने की है। न्यायिक कानून या सैद्धांतिक अभिलेखीकरण ही पर्याप्त नहीं है, जब तक परिवार, समुदाय और शिक्षण संस्थान अपनी पुरानी रूढ़ियों को नहीं तोड़ते, तब तक कोई भी कानून

पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। हमें संवेदनशीलता प्रशिक्षण, जागरूकता और सम्मान के माध्यम से सामाजिक दूरी को पाटने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर समुदाय का समावेशन राष्ट्र की प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को सशक्त करता है, बल्कि आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विविधता और कानूनी मजबूती को भी बढ़ावा देता है। जब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के समान अवसर मिलते हैं, तो वे समाज में सक्रिय योगदान दे पाते हैं, जिससे राष्ट्र की समग्र उन्नति होती है। इसके अलावा, भारत की सांस्कृतिक परंपरा में इस समुदाय का ऐतिहासिक महत्व भी है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। समावेशन से न केवल उनके अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि समाज में सहिष्णुता, सम्मान और समानता का वातावरण भी बनता है, जो लोकतंत्र की मजबूती और सतत विकास के लिए अनिवार्य है। इसलिए, ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अवसर प्रदान करना राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

वर्तमान समय में प्रत्येक स्तर पर यह विचार आंदोलन आवश्यक है कि क्या हमारा समाज वास्तव में समावेशी है, या हम केवल दिखावा कर रहे हैं? ''ट्रांसजेंडर समुदायः समझ और समावेशन'' विषयक यह पुस्तक हर उस व्यक्ति, नीति निर्माता और पाठक के लिए अनिवार्य रूप से पठनीय है, जो एक न्यायपूर्ण और समतावादी दुनिया के निर्माण में विश्वास रखता है। इसका चिंतन और मनन ट्रांसजेंडर समुदाय के विभिन्न पक्षों को समग्र रूप से समझने हेतु ही उपयोगी नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव की ओर पहला कदम है।

अस्मिता के इस संघर्ष को स्वीकार करना और समावेशन के पथ पर आगे बढ़ना ही हमारा सामूहिक दायित्व है। लेकिन इसका सबसे पुरजोर आह्वान सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए है। जागरूकता बढ़ाना, संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जेंडर विविधता को शामिल करना इत्यादि ऐसे कदम हैं, जो समाज का हृदय परिवर्तन सुनिश्चित कर सकते हैं।

यह विचार मंथन केवल शोधकर्ताओं या नीति निर्माताओं के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। एक राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तब तक अपूर्ण है, जब तक हम अपने सभी नागरिकों चाहे उनकी पहचान स्त्री, पुरुष या ट्रांसजेंडर कुछ भी हो, के लिए आत्मसम्मान, अधिकार और समान

अवसर सुनिश्चित नहीं कराते।

यह पुस्तक यह अज्ञानता और सह-अनुभूति, मौन और संवाद, हाशिए और गरिमा के बीच एक सेतु है तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवाद शुरू करने, दृष्टिकोण बदलने और एक न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी का स्पष्ट आह्वान है।

- संपादक मंडल

अनुक्रमणिका

संपादकीय *v*

1. **ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक स्थिति** चुनौतियां और संभावनाएँ 1
   डॉ. किशोर कुमार
2. **ट्रांसजेंडर समुदाय** सामाजिक स्थिति, चुनौतियाँ एवं सरकारी प्रयास 16
   डॉ. नीलम शर्मा
3. **किन्नर समाज की मनोवैज्ञानिक व्यथा कथा** 27
   डॉ. बॉबी यादव और रेणु
4. **साहित्य में परलैंगिक या ट्रांसजेंडर विमर्श** 32
   डॉ. दीप्ति वाजपेयी
5. **महाभारत में किन्नर अस्तित्व** पौराणिकता से समकालीन विमर्श तक 40
   डॉ. कनकलता यादव
6. **भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति** एक अध्ययन 48
   डॉ. कविता वर्मा
7. **भारत में ट्रांसजेंडर की समस्याएं** सामाजिक बहिष्कार से सामाजिक समावेशन तक 56
   डॉ. मीनाक्षी लोहानी और डॉ. संजीव कुमार

8. **भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की शैक्षणिक स्थिति का वर्तमान परिदृश्य** चुनौतियाँ और संभावनाएं 63
कु. मनीषा और डॉ. ममता उपाध्याय

9. **भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याएँ** सामाजिक अलगाव से सामाजिक समावेश तक 71
माधुरी पाल

10. **भारतीय शिक्षा प्रणाली में ट्रांसजेंडर छात्रों का समावेशन** चुनौतियाँ और समाधान 80
दीपक कुमार शर्मा

11. **समकालीन वैश्विक परिदृश्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं चुनौतियां** 89
मंजूषा राय और डॉ. अरुंधती राय

12. **किन्नर समाज को नित नए आयाम प्रदान करता संगीत** 96
डॉ. बबली अरूण

13. **जेंडर-अफर्मिंग (लिंग पुष्टिकरण) सर्जरी और नई प्रगति** पहचान और सम्मान की ओर एक कदम 104
डॉ. नेहा त्रिपाठी और डॉ. विनीता सिंह

14. **भारतीय सिनेमा में ट्रांसजेंडर** समावेशन और सामाजिक न्याय 111
डॉ. दीप्ति वाजपेयी

15. **हिंदी उपन्यासों में किन्नर जीवन का चित्रण** एक विमर्श 121
डॉ. नीरज कुमार और शिवम

1.

ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक स्थिति
चुनौतियां और संभावनाएँ

डॉ. किशोर कुमार*

विश्व का इतिहास, संघर्षों का इतिहास रहा है और यह संघर्ष सिर्फ मनुष्य हेतु ही नहीं वरन् प्रत्येक जीव के जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। विविधता प्रकृति का शाश्वत नियम और प्रवृत्ति है, इसलिए सभी जीवों में विभिन्न प्रकार का वैविध्य पाया जाता है। मानवों के मध्य भी यह विविधता स्वाभाविक और अपरिहार्य है यह वैविध्य लिंग, शारीरिक संरचना, रंग, मानसिक स्थिति, निवास क्षेत्र जैसे अनेक आधार पर मौजूद रहती है इन्ही कारणों से विभिन्न जनसमुदायों को कई प्रकार के भेदभाव झेलने पड़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक, चिंतनशील और प्रगतिशील प्राणी है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि विविधता, भौतिक संघर्ष एवं अनन्य सामाजिक दृष्टिकोण के कारण मानव को अन्य जीवों से इतर संघर्ष झेलने पड़ते हैं। इस तरह के संघर्ष प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में भी दिखाई देते हैं। इतिहास में कहा जाता है कि हर युग की अपनी समस्याएं होती है जिन्हें हल करने के पश्चात ही सभ्यता आगे बढ़ती है। समाज में

*प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महविद्यालय बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

व्यवहार, शारीरिक विशेषताओं, हार्मोन, अंग, लिंग आदि के आधार पर मानव के मध्य बहुत सारी तर्करहित मान्यताएं हैं यह विडंबनापूर्ण है कि ट्रांसजेंडर के संबंध में तो तथाकथित आधुनिक और उत्तर आधुनिक देखने वाले व्यक्ति भी कई बार आश्चर्यजनक रूप से नकारात्मक अभिरुचि और व्यवहार रखते हैं। हालांकि समय के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को कुछ नवीन कानूनी अधिकार भी प्रदान किए गए हैं लेकिन अभी भी इस समुदाय को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यह शोध पत्र ट्रांसजेंडर समुदायों की चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का एक संक्षिप्त प्रयास है।

सबसे पहले ''transgenderism'' शब्द का प्रयोग जॉन एफ. ऑलिवेन ने अपनी पुस्तक Sexual Hygiene and Pathology (1965) में किया। उन्होंने यह बताया कि ''transsexualism'' शब्द वास्तविकता में लैंगिक पहचान से जुड़ा है।[1] 1969 में वर्जीनिया प्रिंस ने पत्रिका Transvestia में ''transgenderal'' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इसे उन लोगों के लिए उपयोग किया जो लैंगिक पहचान बदलते थे, लेकिन शल्य चिकित्सा (surgery) नहीं कराते थे। इस प्रकार ''transsexual'' और ''transgender'' के बीच स्पष्ट अंतर प्रस्तुत किया गया।[2] 1974 में Merriam-Webster Dictionary ने पहली बार ''transgender'' शब्द को दर्ज किया। यह वह समय था जब यह शब्द मुख्यधारा की भाषा का हिस्सा बनने लगा।[3] 1980 के दशक में ''transgender'' शब्द धीरे-धीरे एक व्यापक शब्द बन गया, जिसमें ट्रांससेक्सुअल अन्य लैंगिक विविधताएँ सम्मिलित की जाने लगीं।

1990 के दशक तक यह शब्द सामाजिक आंदोलनों, LGBT+ राजनीति और शैक्षणिक लेखन का हिस्सा बन चुका था। अब ''transgender'' केवल चिकित्सा संक्रमण तक सीमित नहीं था, बल्कि सभी उन पहचानों को दर्शाने लगा जो पारंपरिक पुरुष-महिला द्विआधारी (Binary) ढाँचे से बाहर आती हैं। आज ''ट्रांसजेंडर'' शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों और लैंगिक विविधताओं को मान्यता देने का प्रतीक है। इसमें नॉनबाइनरी (Non-binary), जेंडरक्वियर (Genderqueer) और दक्षिण एशियाई हिजड़ा (Hijra) समुदाय भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ट्रांसजेंडर की परिभाषा लिंग असंगति के संदर्भ में इस

प्रकार दिया गया है, 'जेंडर विविधता' एक व्यक्ति के अनुभव किए गए लिंग और जन्म के समय निर्धारित लिंग के बीच एक स्पष्ट और लगातार असंगति को दर्शाता है"[4] यह परिभाषा ट्रांसजेंडर पहचान को दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति की लिंग पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है। ICD-11 (International Classification of Diseases, 11th Revision) में इसे मानसिक विकार के बजाय सही परिपेक्ष्य में यौन स्वास्थ्य स्थिति के तहत वर्गीकृत किया गया है जो उचित और तार्किक संकल्पना है।

भारत में ट्रांसजेंडर की परिभाषा 2019 में पारित "Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019" के अंतर्गत इस प्रकार है- "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" वह है जिसकी लिंग पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती, और इसमें शामिल हैं:-

- **Transmen (ट्रांसमेन)**- जन्म के समय महिला लेकिन पहचान पुरुष के रूप में।
- **Trans women (ट्रांसवुमन)**- जन्म के समय पुरुष लेकिन पहचान महिला के रूप में।
- **intersex (इंटरसेक्स व्यक्ति)**- इंटरसेक्स व्यक्ति के शरीर में पुरुष और महिला दोनों के जैविक लक्षण मौजूद हो सकते हैं।

Genderqueer (जेंडर क्वीर) "जेंडरक्वीर उस लैंगिक पहचान को संदर्भित करता है जो न तो पूरी तरह पुरुष होती है और न ही पूरी तरह महिला। जेंडरक्वीर व्यक्ति स्वयं को कभी पुरुष, कभी महिला, दोनों का मिश्रण या दोनों से बाहर भी अनुभव कर सकते हैं।" और ऐसे अन्य व्यक्ति जो अपनी लिंग पहचान को पुरुष या महिला के पारंपरिक वर्गों से बाहर मानते हैं।[5]

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर लोग सदियों से मौजूद रहे हैं यह कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है बल्कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ और लोक कथाओं में भी उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई है जैसे भारतीय महाकाव्य रामायण में किवदंती है कि जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो साथ आई स्त्रियों और पुरुषों को वापस लौटने को कहा, किन्तु

यह समुदाय दोनों लिंगों से भिन्न होने के कारण वहीं खड़े रहे, उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया की आने वाले समय में हर शुभ अवसर पर उन्हे आशीर्वाद देने की शक्ति रहेगा। आज भी यह आस्था भारतीय समाज में सामान्य रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

महाभारत जैसे महाकाव्य में शिखंडी जैसे पात्र के माध्यम से किन्नर की उपस्थिति दिखाई पड़ती है साथ ही अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गीता प्रेस, गोरखपुर (संवत 2078, 2021-2022 ईस्वी) द्वारा प्रकाशित महाभारत के छह खंडों में से खंड 3, 90वें अध्याय (नवतितमौध्यायः) के सूत्र 7 पेज नंबर 1051 के अनुसार, संजय ने धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताया कि इरावन का जन्म अर्जुन के माध्यम से नाग राजा की पुत्री उलूपी से हुआ था।

अर्जुनस्य सुतः श्रीमानिरावन नाम वीर्यवान।
सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता।। (नवतितमौध्यायः)

कई दक्षिण भारतीय लोक कथाओं और कहानियों में पांडवों की जीत पक्की करने के लिए देवी काली को इरावन का स्वयं को अर्पित करना और शादी करने की इरावन की हार्दिक इच्छा और उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण का मोहिनी रूप धर इरावन से शादी करने का जिक्र है। कूथंडावर उत्सव (जिसे कुथंडावर-अरावन मेला भी कहा जाता है) इस घटना की याद में, आज भी किन्नर समुदाय के हजारों सदस्य तमिलनाडु के कूवागम गाँव में इकट्ठा होते हैं, जहाँ वे हर साल इरावन की प्रतीकात्मक शादी की महत्वपूर्ण रस्म में हिस्सा लेते हैं, जो उनकी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक होता है।[6]

मध्यकालीन इस्लामी साम्राज्यों में ट्रांसजेंडरों ने शाही हरम के रक्षक के रूप में भी कार्य किया क्योंकि बादशाह उन पर इसलिए विश्वास किया करता था कि वे स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे साथ में सत्ता संरचना और प्रशासनिक तंत्र में भी उन्हें उल्लेखनीय स्थान प्राप्त हुआ।[7] विशेषकर मुगल दरबार में उनकी उपस्थिति ने सत्ता के विभिन्न स्तरों पर गहरी छाप छोड़ी। यह समुदाय उस समय विश्वसनीयता, गोपनीयता और वफादारी के प्रतीक माने जाते थे। उन्हें राजपरिवार के निजी

जीवन और राजनीतिक निर्णयों तक विशेष पहुँच प्राप्त थी। इस कारण वे केवल हरम की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि 'कई बार राजनीतिक सलाहकार, वित्तीय प्रबंधक के स्तर तक पहुँचे।[8] मुगल शासकों ने उन्हें दरबार और हरम के बीच सेतु के रूप में उपयोग किया। उनकी स्थिति का एक अन्य पहलू यह था कि उन्हें समाज के लगभग हर वर्ग और स्थान तक बिना रोक-टोक पहुँच प्राप्त थी। यही कारण था कि वे सूचनाओं के आदान-प्रदान, गुप्तचरी और प्रशासनिक निगरानी में भी महत्त्वपूर्ण बने। इतिहासकारों के अनुसार, मुगल साम्राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका अक्सर पर्दे के पीछे सक्रिय किंतु अत्यंत निर्णायक रही। दरबार और राजपरिवार से मिली निकटता ने उन्हें संपत्ति, जमींदारी और दान-उपहार का बड़ा भागीदार बना दिया। यही कारण है कि मुगल कालीन साहित्य और स्मृतियों में ट्रांसजेंडर को उस दौर के सम्मानित और प्रभावशाली वर्ग के रूप में दर्शाया गया है।

ब्रिटिश शासन के आगमन ने भारतीय ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को गहराई से प्रभावित किया। जहाँ मध्यकालीन भारत में किन्नर शाही दरबार, प्रशासन और धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा थे, वहीं औपनिवेशिक दौर में उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम है। इस अधिनियम की धारा 26-28 के अंतर्गत "किन्नर समुदाय" को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रजिस्टर तैयार किए गए।[9] इन नीतियों का मानवीय परिणाम गहरा और नकारात्मक था। ट्रांसजेंडर समुदाय की पारंपरिक जीविकाएँ-जैसे विवाह और जन्म पर आशीर्वाद देना-संदिग्ध मानी गईं। समाज में उनकी छवि एक सम्मानित सांस्कृतिक वर्ग से बदलकर "अपराधी" और "अछूत" की हो गई। पुलिस निगरानी, सामाजिक बहिष्कार और रोजगार की छिनती संभावनाओं ने उन्हें गरीबी और अपमान में धकेल दिया। औपनिवेशिक शासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय से उनकी पहचान, गरिमा और सामाजिक भूमिका छीन ली। यह काल उनके लिए सबसे कठिन ऐतिहासिक दौर साबित हुआ।

आजादी के पश्चात भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि ने मिलकर धीरे-धीरे

ट्रांसजेंडर/ तीसरे लिंग के समुदाय के अधिकारों की रक्षा और मान्यता की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत के संविधान ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। अनुच्छेद 14 राज्य के समक्ष समानता की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। NALSA National Legal Services Authority (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यहाँ ''व्यक्ति'' शब्द का अर्थ केवल पुरुष और महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय भी शामिल है।[10] अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को निषिद्ध करता है और न्यायालय ने ''लिंग'' (sex) शब्द की व्याख्या करते हुए इसमें जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन को भी शामिल किया है। इसी तरह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब केवल विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें व्यक्ति की जेंडर पहचान और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी निहित है। अंततः अनुच्छेद 21 केवल जीवन की गारंटी नहीं देता, बल्कि सम्मानजनक जीवन, गरिमा और आत्म-पहचान के अधिकार को भी संरक्षित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और उनका आत्मसम्मान उनके स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन के मूल में है।

भारतीय न्यायपालिका ने अपने अनेक ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से ट्रांसजेंडर और LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों को न केवल संवैधानिक मान्यता दी है, बल्कि उनके जीवन और गरिमा को भी नए आयाम दिए हैं। NALSA बनाम भारत संघ (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ''तीसरे लिंग'' के रूप में मान्यता देकर यह स्पष्ट किया कि आत्म-पहचान हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस निर्णय ने राज्य को यह जिम्मेदारी भी सौंपी कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में उनके लिए आरक्षण और विशेष योजनाएँ सुनिश्चित करें।

नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018) में अदालत ने धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहराकर सहमति से बने समलैंगिक

संबंधों को वैध मान्यता दी। यह केवल कानूनी सुधार नहीं था, बल्कि ट्रांसजेंडर सहित पूरे LGBTQ समुदाय की गोपनीयता, समानता और गरिमा के अधिकार को वास्तविक सुरक्षा देने वाला कदम था। इसी कड़ी में अर्जुन मल्होत्रा बनाम भारत संघ (2020, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आया, जिसमें अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान के अनुरूप शौचालय और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक समान एवं सुरक्षित पहुँच का अधिकार दिया। इन सभी निर्णयों ने मिलकर यह संदेश दिया कि संवैधानिक अधिकार केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी और गरिमा से गहराई से जुड़े हुए हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी पहचान और प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों पर समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान भी करता है। हालाँकि, इसकी आलोचना भी हुई है क्योंकि इसमें Self-Identification के अधिकार को सीमित करते हुए ट्रांसजेंडर पहचान के प्रमाणन के लिए District Screening Committee का प्रावधान किया गया है, जिसे NALSA निर्णय (2014) की भावना के विपरीत माना गया।

उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद, समान शैक्षणिक योग्यता और दक्षता के बावजूद ट्रांसजेंडर लोगों को नियुक्ति और चयन प्रक्रिया में व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रोजगार से वंचित होने के परिणामस्वरूप, वे अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र, भिक्षावृत्ति या यौन कार्य जैसे सीमित आजीविका विकल्पों पर आश्रित रहते हैं-जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधित्व का अभाव के कारण संसद में जून 2019 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, IGNOU को छोड़कर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई (Government of India,

2019)। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE, 2018-19) में भी उनके लिए पृथक आँकड़े सम्मिलित नहीं किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे न केवल शिक्षा प्राप्ति में बाधित हैं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की नीति प्रक्रिया में भी अदृश्य बने हुए है।[11] मुख्यधारा में ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करना (Mainstreaming Transgender Children) एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। ट्रांसजेंडर लोगों में कुल साक्षरता दर 56.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 4.8 लाख है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के लगभग 55,000 बच्चे शामिल हैं। यह साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। सबसे अधिक ट्रांसजेंडर आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 55.8 प्रतिशत दर्ज की गई। 2017 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा प्रायोजित और एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में दिल्ली और उत्तर प्रदेश (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दो-दो जिलों) के 900 ट्रांसजेंडर लोगों का सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में 29.11 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 33.11 प्रतिशत ट्रांसजेंडर लोग कभी स्कूल नहीं गए। केवल 5.77 प्रतिशत ट्रांसजेंडर ने हाई स्कूल पूरा किया था। लगभग 47 प्रतिशत ट्रांसजेंडर ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। इसलिए, जो लोग ''शिक्षित'' श्रेणी में आते हैं, वे भी किसी अच्छी और स्थायी नौकरी के योग्य नहीं बन पाते। 2011 की जनगणना के अनुसार, ''अन्य लिंग'' के रूप में पहचाने गए 66 प्रतिशत से अधिक ट्रांसजेंडर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह प्रतिशत भारत की सामान्य आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 69 प्रतिशत जनसंख्या) के लगभग समान है। राज्यों के अनुसार ट्रांसजेंडर आबादी का वितरण इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश – लगभग 28%, आंध्र प्रदेश 9%, महाराष्ट्र और बिहार प्रत्येक 8%, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल- प्रत्येक 6% से अधिक, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा-4% से अधिक राजस्थान - लगभग 3%, पंजाब - लगभग 2% दर्ज की गई है।[12]

तालिका: स्कूलों में राज्यवार ट्रांसजेंडर छात्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2021-22	2022-23	2023-24
उत्तर प्रदेश	16	239	327
बिहार	4	47	282

राजस्थान	107	88	77
कर्नाटक	0	2	39
महाराष्ट्र	3	32	12
पश्चिम बंगाल	0	211	62
ओडिशा	6	43	22
झारखंड	2	11	27
मेघालय	0	26	23
आंध्र प्रदेश	0	132	31
कुल (अखिल भारतीय)	155	880	965

Source: INDIA TODAY

https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/transgender-student-enrolment-in-india-rises-in-schools-and-colleges-govt-data-2764615-2025-08-01?utm_source=AI_bar_share&utm_medium=whatsapp&utm_campaign =tracking

तालिका: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में राज्यवार ट्रांसजेंडर छात्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2021-22	2022-23	2023-24 (Provisional)
उत्तर प्रदेश	30	172	369
महाराष्ट्र	16	118	158
मध्य प्रदेश	9	76	124
तेलंगाना	15	24	104
तमिलनाडु	35	56	98
राजस्थान	26	34	101
कर्नाटक	20	69	73
केरल	32	55	54
गुजरात	7	23	62
कुल	302	877	1448

Source: INDIA TODAY

https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/transgender-student-enrolment-in-india-rises-in-schools-and-colleges-govt-data-2764615-2025-08-01?utm_source=AI_bar_share&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=tracking

विद्यालयों और महाविद्यालयों में समावेशी वातावरण, जेंडर-न्यूट्रल शौचालय, सुरक्षित छात्रावास और संवेदनशील शिक्षण नीति की कमी के कारण कई विद्यार्थी शिक्षा बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। समाज एवं परिवार से अस्वीकृति ट्रांसजेंडर लोग अक्सर अपने परिवार और समाज से अस्वीकार्यता का सामना करते हैं, उन्हें ''अस्वाभाविक'' या ''अनैतिक'' बताया जाता है, जिससे वे सामाजिक दृष्टि से अलग-थलग हो जाते हैं। यह सामाजिक नकारात्मकता उनके आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और समाज में सहभागिता को गहराई से प्रभावित करती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देख जाए तो, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य सम्बन्धी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। आवासीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधा, नियम-व्यवस्था और सामाजिक मनोदशा के कारण उनके लिए सामान्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें अवसाद, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्तियों जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, सामान्य आबादी की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। हार्मोन थैरेपी, सर्जरी और माहवारी सेवाओं की ओर ट्रांसजेंडर लोग की पहुँच सीमित है, जो महंगी, मुश्किल और अक्सर भेदभावपूर्ण होती है। यौन संचारित रोग जोखिम अधिक, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में संवेदनशीलता और ज्ञान की कमी मौजूद है ।

'राजनीतिक प्रतिनिधित्व' संबंधित क्षेत्र, जाति, लिंग आदि के हितों को सुरक्षित रखने का विधिक माध्यम है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय का राजनीतिक सत्ता और नीति निर्माण में प्रवेश अत्यंत सीमित है। शबनम मौसी, जो मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक बनीं[13] एक अपवाद ही रही है उनके प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उपस्थिति व्यापक हुई है। कानूनी मान्यता और क्रियान्वयन संबंधित NALSA निर्णय (2014) और Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 ने कानूनी आधार दिए, लेकिन ''स्व-पहचान'' की भावना अद्यतन कमजोर बनी हुई है।

पहचान दस्तावेजीकरण भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान संबंधी समस्या लंबे समय से विद्यमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4,87,803 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गणना की गई थी, किंतु सामाजिक

वास्तविकता यह संकेत देती है कि इनकी संख्या इससे कहीं अधिक है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी लैंगिक पहचान का सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना चाहते। जो व्यक्ति ऐसा करने का साहस भी दिखाते हैं, उनके पास प्रायः अपनी वास्तविक पहचान दर्शाने वाले आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। आधिकारिक पहचान पत्रों का अभाव, सामाजिक कलंक तथा शिक्षा में पिछड़ापन-ये तीनों कारक मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय को औपचारिक रोजगार से वंचित रखते हैं। वास्तविक पहचान स्वीकार करने वाले लोग प्रायः अपने ''डेडनेम'' (जन्म के समय दिया गया नाम, जिसका अब उपयोग नहीं करते) को त्याग देते हैं। परिणामस्वरूप, उनके पुराने पहचान पत्र अप्रासंगिक हो जाते हैं और नए दस्तावेज प्राप्त करने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से अनेक नई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मान्य पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, किंतु अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं होते। फलस्वरूप, उन्हें न केवल योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है, बल्कि नौकरी प्राप्त करने, घर किराए पर लेने तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में भी गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने अनुभव साझा करते हुए कहा है- ''यदि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो नौकरी पाना अत्यंत कठिन है उनका कहना है कि मैंने पचास से अधिक नौकरियों के लिए आवेदन किया, किन्तु उनमें से केवल दो ही प्राप्त हो सकीं।''[14] हालांकि भारत जैसे वृहद और अधिक जनसँख्या वाले देश में हर वर्ग जाति और समूह के लिए सरकारी क्षेत्र (Public Sector) में रोजगार का संघर्ष इससे ज्यादा ही है।

किन्नर समुदाय का अपने आराध्य देवता आरावन के साथ विवाह एक अत्यंत संवेदनशील और मार्मिक परंपरा है। यह वैवाहिक बंधन मात्र एक दिन के लिए होता है, एक ऐसी क्षणभंगुर संध्या जिसमें उनके हृदय प्रेम और आशा से परिपूर्ण होते हैं। किंतु अगले ही दिन, जब आरावन की मृत्यु की कथा प्रतीकात्मक रूप से दोहराई जाती है, जो उनके जीवन की त्रासदी को और स्पष्ट करती है। किन्नर के निधन के पश्चात संपूर्ण समुदाय एक सप्ताह

तक उपवास और दान-पुण्य में संलग्न रहता है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पुनर्जन्म में यह रूप न मिले।[15]

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय ने सामाजिक और आर्थिक हाशिए का सामना किया है, लेकिन हाल के कानूनी और नीतिगत बदलावों ने उनके लिए नई राहें खोली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020), ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019, और सुप्रीम कोर्ट के NALSA (2014) फैसले ने इन संभावनाओं को ठोस आधार प्रदान किया है। शिक्षा ट्रांसजेंडर समुदायों के सशक्तिकरण का आधार है। NEP (New Education Policy) 2020 ने ट्रांसजेंडर छात्रों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह में शामिल किया, जिससे Gender Inclusion Fund (GIF) और छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हुईं। डिजिटल शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ा रही है। भविष्य में नीतिगत सुधार और तमिलनाडु जैसे राज्यों की छात्रवृत्ति योजनाएँ ड्रॉपआउट दर कम कर सकती हैं। रोजगार और आर्थिक अवसर NALSA (2014) फैसले ने ट्रांसजेंडरों को 'तृतीय लिंग' की मान्यता दी, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्रों में अवसर बढ़े। MSME और स्किल इंडिया ने उद्यमिता को बढ़ावा दिया। फैशन, कला, डिजिटल कंटेंट और सामाजिक कार्य में उनकी उपस्थिति बढ़ रही है। राजनीति और नीतिगत भागीदारी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने स्थानीय निकायों से विधानसभा तक प्रतिनिधित्व हासिल किया है। तमिलनाडु और केरल के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। भविष्य में राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में उनके मुद्दों को शामिल करने और सकारात्मक कार्यवाही से सशक्तिकरण बढ़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 ने जेंडर-अफर्मेशन सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य और HIV रोकथाम को अधिकार बनाया। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर हेल्थ स्कीम ने मुफ्त उपचार और बीमा सुविधा प्रदान की है। टेलीमेडिसिन भविष्य की दिशा है, लेकिन इस हेतु जागरूकता की कमी और तकनीकी कौशल का अभाव बड़ी बाधा है।

सांस्कृतिक और सामाजिक संभावनाएँ में सिनेमा, थिएटर और सोशल मीडिया पर सकारात्मक कहानियाँ स्वीकृति बढ़ा रही हैं पर कई बार ट्रांसजेंडर के संबंध में अतार्किक संकल्पनाओं को प्रेषित करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म

उनकी आवाज को मुख्यधारा में ला रहे हैं। सांस्कृतिक आयोजन और जागरूकता अभियान सामाजिक मनोदशा को आहिस्ता-आहिस्ता बदल रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs), विशेषकर SDG-5 (जेंडर समानता) और SDG-10 (असमानताओं में कमी), भारत को वैश्विक नीतिगत दिशा से जोड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ, संयुक्त राष्ट्र का Trans Advocacy Week और वैश्विक NGO साझेदारियाँ भारतीय ट्रांसजेंडरों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई संभावनाएँ खोल रही हैं। आने वाले समय में भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर अपने समावेशी मॉडल को और सुदृढ़ कर सकता है।

ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास केवल हाशिए पर खड़े एक वर्ग की कथा नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने-बाने का अभिन्न हिस्सा रहा है। प्राचीन धर्मग्रंथों, महाकाव्यों और लोककथाओं से लेकर मध्यकालीन सत्ता संरचनाओं तक उनकी उपस्थिति और योगदान स्पष्ट दिखाई देता है। किंतु सामाजिक मनोदशा और औपनिवेशिक शासन ने उनके सामाजिक सम्मान और गरिमा को गहरा आघात पहुँचाया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार और व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान और न्यायपालिका ने इस समुदाय के अधिकारों की रक्षा और मान्यता हेतु उल्लेखनीय कदम उठाए। NALSA (2014) का ऐतिहासिक निर्णय, नवतेज सिंह जोहर (2018) का फैसला तथा ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट (2019) जैसे कानूनी प्रावधानों ने तीसरे लिंग की मान्यता, आत्म- पहचान का अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस आधार तैयार किया। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विभिन्न राज्य सरकारों की कल्याणकारी पहलों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके लिए नए अवसर खोले हैं। फिर भी, व्यावहारिक स्तर पर चुनौतियाँ अभी भी गंभीर हैं। सामाजिक कलंक और पारिवारिक अस्वीकृति, शिक्षा एवं रोजगार में भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी उनकी प्रगति में बाधा बनी हुई है। कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक चेतना का अभाव भी इस दिशा में बड़ी रुकावट

हैं। इसके बावजूद भविष्य संभावनाओं से परिपूर्ण है। शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार में समान अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं तक सहज पहुँच और सामाजिक स्वीकृति जैसे क्षेत्र ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की ठोस संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs), भारत सरकार की पहलें और राज्यों के समावेशी कार्यक्रम इस प्रक्रिया को और गति प्रदान कर सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण केवल उनके अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक न्याय की सच्ची पहचान है।

संदर्भ सूची

1. Oliven, J. F. (1965). Sexual Hygiene and Pathology (2nd ed.). Philadelphia: Lippincott.
2. Prince, V. (1969). Transvestia, Issue 60. Los Angeles: Chevalier Publications.
3. Merriam-Webster. (2023). Transgender. In Merriam-Webster. com dictionary. https://www.merriam-webster.com/dictionary/transgender
4. World Health Organization. (2019). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics (11th revision). Geneva: World Health Organization. https://icd.who.int/browse11/l-m/en
5. The Gazette of India. (2019). The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019. Ministry of Law and Justice, Government of India. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2019-40.pdf
6. John, S. Simon, & Marak, Queenbala. (2013). The Aravan Cult: Living Traditions of Transgenders in Tamil Nadu. Journal of the Indian Anthropological Society, 48(3), 231-244.
7. Bernier, François. Travels in the Mughal Empire (1656–1668). Translated by Archibald Constable, London: Archibald Constable & Co., 1891, p. 357.
8. Khan, I. A. (1988). The role of eunuchs in Mughal polity. Proceedings of the Indian History Congress, 49, 312–319.
9. Reddy, G. (2005). With respect to sex: Negotiating hijra identity in South India. University of Chicago Press. Page 95
10. Supreme Court of India. (2014). National Legal Services Authority

(NALSA) v. Union of India.

11. Barnam, M. (2024, February 19). Bharat me Transgender Samuday aur Ucha Shiksha. CDPP. https://cdpp.co.in/article

12. Ganguli, Dibyendu. "A Strategy Analysis of Transgender Inclusivity in the Education System in India: Confront Issues and Challenges." Development, Environment & Education: The Indian Perspective, edited by Priyanka Dey and Jayanta Mete, Sweden, 1st ed., 2023, p. 49.

13. Times of India. (2000, February 26). Eunuch elected to Madhya Pradesh assembly. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/eunuch-elected-to-madhya-pradesh-assembly/articleshow/17750593.cms

14. United Nations Development Programme. (2025, August हर पहचान मायने रखती है: भारत में ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए बाधाएं तोड़ना. UNDP India. https://www.undp.org/india/blogs/every-identity-matters-breaking-barriers-transgender-youth-india

15. Sarkar, J. K. (2019). (2019). भारतीय समाज में किन्नर समुदाय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षः एक समाजशास्त्रीय विवेचन. JETIR – Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 6(6), 96–101. ISSN: 2349-5162. Retrieved from www.jetir.org

2.

ट्रांसजेंडर समुदाय सामाजिक स्थिति, चुनौतियाँ एवं सरकारी प्रयास

डॉ. नीलम शर्मा*

भारतीय समाज विविधता और समावेशी आदर्शों पर आधारित है फिर भी कुछ समुदाय आज भी मुख्य धारा से वंचित रहें हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय ऐसा ही एक वर्ग है जो इतिहास, साहित्य और धर्म ग्रंथों में उल्लिखित होने पर भी सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर विभिन्न अस्वीकृतियों और भेदभाव का सामना करता रहा है। सामाजिक संरचना में लैंगिक पहचान के पारंपरिक ढांचे से भिन्न होने के कारण यह समुदाय लंबे समय तक उपेक्षा, भेदभाव एवं हिंसा का शिकार होता रहा है। यद्यपि हाल के वर्षों में समाज और सरकार द्वारा इनकी स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं फिर भी चुनौतियां अभी भी विद्यमान है। ट्रांसजेंडर समुदाय की चुनौतियां एवं सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों को जानने से पूर्व ट्रांसजेंडर शब्द से क्या अभिप्राय है यह समझना अति आवश्यक है।

*असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

ट्रांसजेंडर की परिभाषा और पहचान

ट्रांसजेंडर शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जिनकी लैंगिक पहचान (Gender identity) उनके जन्म के समय निर्धारित जैविक लिंग (Biological sex) से मेल नहीं खाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है जिसकी लिंग पहचान उसके जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती है। उदाहरणतः यदि किसी व्यक्ति का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ है, लेकिन वह स्वयं को महिला के रूप में पहचानता है या किसी पारंपरिक लिंग श्रेणी से बाहर मानता है, तो वह ट्रांसजेंडर कहलाता है। कुछ लोग ट्रांसजेंडर होकर भी शल्य चिकित्सा करवा कर अपना लिंग परिवर्तित करवाते हैं, जबकि कुछ बिना लिंग परिवर्तन के ही अपनी पहचान स्वीकारते हैं। यह पहचान जैविक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक होती है।

ट्रांसजेंडर में शामिल हैं- ट्रांस-मैन, ट्रांस-महिला, अंतर-लिंग भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग-विषम व्यक्ति एवं किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगप्पा जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जिनकी सांस्कृतिक मान्यताएँ और परंपराएँ भी भिन्न होती हैं। इस प्रकार ट्रांसजेंडर पुरुष, ट्रांसजेंडर महिला, हिजड़ा, किन्नर, नपुंसक आदि इस समुदाय के विविध रूप हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत देश में ट्रांसजेंडरों के सामाजिक-सांस्कृतिक समूह हैं जिनमें हिजड़ा, जोगता, जोगप्पा, सखी और अराधियां शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि यह समुदाय हाल की शताब्दियों में अस्तित्व में आए हैं, अपितु इनका लगभग 4000 वर्ष का प्राचीन इतिहास है। ट्रांसजेंडर समुदाय की जड़ें भारतीय इतिहास और संस्कृति में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। पौराणिक काल सहित, वैदिक साहित्य में भी नपुंसक का उल्लेख है। संस्कृत साहित्य में ''तृतीय प्रकृति'' (तीसरी प्रकृति) शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया गया है, जो न तो पूरी तरह पुरुष होते हैं और न ही स्त्री। यह वर्ग यौन, भावनात्मक या मानसिक रूप से किसी एक लिंग से नहीं जुड़ता। अर्जुन का बृहन्नला रूप (महाभारत),

शिव का अर्धनारीश्वर रूप, श्रीकृष्ण का मोहिनी रूप आदि उदाहरण संस्कृत साहित्य में ट्रांसजेंडर पहचान के मिलते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में लिंग की अवधारणा बहुआयामी और लचीली थी। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में इनके उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में शिखंडी का पात्र, जो जन्म से स्त्री था लेकिन पुरुष रूप में युद्ध करता है, ट्रांसजेंडर की अवधारणा को दर्शाता है। रामायण में भी जब श्रीराम वनवास जा रहे होते हैं, तो कुछ किन्नर उनके पीछे-पीछे चल पड़ते हैं, जिसे देखकर वे प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जैन साहित्य उन्हें 'मनोवैज्ञानिक सेक्स' की संज्ञा देता है। मुगल काल में भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दरबारों में खास दर्जा प्राप्त था। वे न केवल सुरक्षा कर्मी और नृत्यकार होते थे, बल्कि कई बार वे शाही सलाहकार की भूमिका भी निभाते थे। भारत के कई धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भूमिका देखी जाती है। खासकर शादी और बच्चे के जन्म पर हिजड़ों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। लेकिन यही समाज उन्हें मुख्यधारा में स्वीकार नहीं करता, जो एक विडंबना है। प्राचीन काल में यह समुदाय समाज का सम्मानित हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आधुनिक युग में इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। हमारे देश में असमानता की यह अवधारणा ब्रिटिश शासन के द्वारा 1871 में पारित अधिनियम 'क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट' द्वारा आरंभ हुई, जिसके अनुसार इन्हें अपराधियों के रूप में माना जाता था। ''क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट'' द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को 'अपराधी जातियों' में शामिल कर लिया गया। इसके बाद इस समुदाय की सामाजिक स्थिति धीरे-धीरे गिरती चली गई और देश में इनकी पूरी स्थिति बदल गई। भले ही कानून को 1952 में निरस्त कर दिया गया था लेकिन ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए भेदभाव जारी रहा। हालाँकि हाल के वर्षों में इस समुदाय को सामाजिक और कानूनी मान्यता दिलाने की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

वर्तमान सामाजिक स्थिति

आज के आधुनिक समाज में भी ट्रांसजेंडर समुदाय अनेक प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार है। उन्हें परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया

जाता है, शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, और अक्सर उन्हें अपनी जीविका के लिए भीख माँगने, बधाई देने या यौन कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। सामान्य समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता और उनका मजाक उड़ाया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में, सार्वजनिक स्थलों पर, सरकारी दफ्तरों में और शिक्षा संस्थानों में उन्हें बराबरी का व्यवहार नहीं मिलता।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 4.8 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, जिनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण सामाजिक अस्वीकार्यता और भेदभाव है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ हैं

सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव

ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज में तिरस्कार, उपेक्षा और उपहास का शिकार होते हैं। वे भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करते हैं। चूंकि ट्रांसजेंडर समुदाय में शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी है, इसलिए समाज उन्हें निम्न वर्ग के रूप में देखता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बहिष्कृत किया जाता है। इस बहिष्कार के कारण उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बहुत नुकसान पहुंचता है और वे अवांछित कार्य करने लगते हैं।

इन्हें अपने परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। या तो इन्हें अपने ही घरों से निकाल दिया जाता है या वे अपमानजनक रिश्तों के कारण अपने घरों से भाग जाते हैं, जिसके कारण उनके पास कोई आश्रय या ऐसा स्थान नहीं होता जिसे वे घर कह सकें। इसके कारण अधिकतर असुरक्षित और अपमानजनक वातावरण में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। पारिवारिक और सामाजिक अस्वीकृति के कारण वे मानसिक तनाव और अकेलेपन का अनुभव करते हैं।

परिवार और समाज द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण ये व्यक्ति अक्सर भीख मांगने, यौन कार्य या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने को विवश होते हैं।

शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं एवं भेदभाव

इस समुदाय के अधिकांश लोग या तो अशिक्षित हैं या कम शिक्षित हैं, जिसके कारण वे समाज के शिक्षित वर्ग में ज्यादा शामिल नहीं हो पाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रायः उत्पीड़न, अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षक और सहपाठी उनके साथ असमान व्यवहार करते हैं, जिससे वे स्कूल छोड़ देते हैं। विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया में भी कठिनाई होती है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर लोगों की जनसंख्या 4.9 लाख थी और जिसमें से केवल 46: लोग ही साक्षर थे, जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, जिसकी साक्षरता दर 74% है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, उन्हें 'वंचित समूह' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में 25% आरक्षण प्राप्त है। उनके कम शिक्षित होने के कारणों में गरीबी, अपने परिवार और दोस्तों से बहिष्कार, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल हैं।

रोजगार के अवसरों की कमी एवं भेदभाव

रोजगार के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्ति बहुत पीछे हैं। चूंकि उन्हें शिक्षा के अवसर नहीं दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। उनके पास नौकरी के समान अवसर नहीं होते। यहां तक कि जो लोग संघर्ष के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें कार्यस्थल पर समान सम्मान और मूल्य नहीं दिया जाता है और उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। रोजगार के क्षेत्र में भी इनकी लैंगिक पहचान एक बड़ी बाधा बनती है। बहुत कम नियोक्ता ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मानजनक रोजगार देते हैं। हालाँकि कुछ निजी कंपनियाँ जैसे कि टाटा स्टील, अर्बन कंपनी आदि ने ट्रांसजेंडर-हितैषी नीतियाँ अपनाई हैं, फिर भी यह पहल अब भी सीमित है।

ट्रांसफोबिया और मनोवैज्ञानिक तनाव

ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में अत्यधिक उत्पीड़न, भेदभाव और असहिष्णुता का सामना करना पड़ता है। नैतिक, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण कुछ व्यक्ति ट्रांसफोबिक हो जाते हैं जिसके

परिणामस्वरूप हमले, नकारात्मकता, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि होते हैं। उपर्युक्त सभी कारणों से समुदाय को मानसिक तनाव सामना करना पड़ता है और यह वास्तव में उन्हें नकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जैसे कि खुद को नुकसान पहुँचाना, आत्महत्या के विचार आदि। वे समाज के कारण अकेलेपन, चिंता और असुरक्षा से गुजरते हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ और मानसिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाओं तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहुंच अत्यंत सीमित है। ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं होता, न ही उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होती हैं। कई डॉक्टर इनका इलाज करने से कतराते हैं या उपेक्षा करते हैं। यौन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, और लिंग पुनः असाइनमेंट (Gender Reassignment) जैसे क्षेत्रों में जानकारी और सेवाओं की भारी कमी है।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो स्थिति और भी गंभीर है। समाज से बहिष्करण, भेदभाव और हिंसा के कारण इन व्यक्तियों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और अन्य मानसिक रोग अधिक देखे जाते हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है इनमें एचआईवी और अन्य यौन संचारित संक्रमणों की दर अधिक पाई जाती है।

कानूनी संरक्षण का अभाव और घृणा अपराधों के शिकार

ट्रांसजेंडर समुदाय को किसी भी अन्य समुदाय की तरह कानूनी रूप से उतना संरक्षण प्राप्त नहीं है जिसके कारण ये उन अपराधों के लिए आसानी से पीड़ित हो जाते हैं जो उनके द्वारा नहीं किए गए हैं। ये अत्यधिक हिंसा, घृणा और अपराधों के शिकार बन जाते हैं। कुछ कानून उनके अधिकारों को सीमित करते हैं जैसे की शादी का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार और लिंग पहचान पत्र बदलने का अधिकार। साथ ही कई बार इस समुदाय के व्यक्तियों को राजनीतिक भागीदारी से भी वंचित रखा जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति बहुत से पुलिस विभाग भी असंवेदनशील होते हैं, वे इनकी

शिकायतों को दर्ज ही नहीं करते हैं। कभी-कभी इन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।

कानूनी पहचान की जटिलता

कई बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से अपने लिंग की पहचान दर्ज कराने में परेशानी आती है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि में सही लिंग का उल्लेख करवाना कठिन हो जाता है।

अतः ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। आज भी समाज लिंग विविधता को स्वीकार नहीं करता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है। उनकी समस्याओं के समाधान में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है सर्वप्रथम हमें अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा जो कि एक सबसे बड़ी चुनौती है।

कानूनी अधिकार और सुधार

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किए गए हैं-

NALSA बनाम भारत सरकार (2014)

ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' के रूप में कानूनी मान्यता दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया की लिंग पहचान व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और समस्त राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक अवसर समान रूप से प्रदान करें।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया। इसके द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता, पहचान पत्र जारी करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी मानी गई है। यह अधिनियम भेदभाव

को अपराध की श्रेणी में रखता है। इस अधिनियम में भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से उनकी रक्षा का प्रावधान किया गया।

धारा 377 का निरसन (2018)

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक ठहराते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर LGBTQIA+ समुदाय को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया। यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत है।

सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं:

SMILE योजना (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)

सरकार की इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्संयोजन की व्यवस्था की गई। यह योजना ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों को कौशल विकास, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, और उद्यमिता के लिए सहायता प्रदान करती है।

गरिमा गृह योजना

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई जा रही है। इसमें उन्हें मानसिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधा दी जाती है।

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल

यह पोर्टल ट्रांसजेंडर पहचान पत्र और प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। https://transgender.dosje.gov.पद के माध्यम से पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

शिक्षा और रोजगार हेतु प्रयास

IGNOU एवं NIOS जैसे संस्थानों द्वारा समावेशी शिक्षा के अवसर

प्रदान किए गए हैं। सरकार द्वारा विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार-योग्य बनाया जा रहा है।

कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया है।

कुछ राज्य सरकारों (जैसे तमिलनाडु, केरल) ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं।

सार्वजनिक शौचालयों में "थर्ड जेंडर" के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है।

समाज में परिवर्तन के संकेत

विगत कुछ वर्षों में कई सकारात्मक पहल देखने को मिली हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय से कई ऐसे उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज में बदलाव की दिशा में कदम उठाए हैं:

- ❖ गौरी सावंत - एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया।
- ❖ जॉयिता मंडल - भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायिक अधिकारी।
- ❖ प्रवीन नाथ - भारत के पहले ट्रांसजेंडर बॉडीबिल्डर।
- ❖ अक्कई पद्माशाली - ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया।
- ❖ फिल्मों, वेब सीरीज, और साहित्य में ट्रांसजेंडर पात्रों की सशक्त उपस्थिति बढ़ी है।
- ❖ कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने राजनीति, शिक्षा और न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए हैं।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि अगर अवसर मिले तो ट्रांसजेंडर समुदाय भी समाज की मुख्यधारा में योगदान दे सकता है।

निष्कर्ष

ट्रांसजेंडर समुदाय भी समाज का एक अभिन्न अंग है। इन्हें सम्मान, स्वाभिमान, समानता और स्वतंत्रता से जीवन यापन करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। अतः इन्हें सम्मान और समान अवसर प्रदान करना एक मानवतावादी और संवैधानिक दायित्व है। किन्तु ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने खड़ी चुनौतियाँ केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं हैं, बल्कि अधिकांशतः सामाजिक मानसिकता से जुड़ी हुई हैं। जब तक समाज उन्हें एक समान नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। जब तक ट्रांसजेंडर समुदाय सामाजिक और मानसिक रूप से मुख्यधारा में नहीं आएगा, तब तक 'समावेशी विकास' की अवधारणा अधूरी ही है। इसके लिए समाज, सरकार, शिक्षा प्रणाली, मीडिया और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएँ। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं-

- ❖ शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता का समावेश। विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में लिंग-समावेशी नीतियाँ लागू करना।
- ❖ मीडिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सकारात्मक छवि का प्रचार।
- ❖ सामुदायिक जागरूकता अभियान।
- ❖ कार्यस्थलों, स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण।
- ❖ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देना।
- ❖ ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों को पंचायत, नगर निकाय और संसद में प्रतिनिधित्व देना।
- ❖ हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को संवेदनशील बनाना।
- ❖ ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी से नीतियों का निर्माण।
- ❖ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार, ऋण और बीमा योजनाओं में प्राथमिकता।
- ❖ समकालीन परिस्थितियोंके अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना

चाहिए।

संदर्भ (References)

1. कुमारी पिंकी एवं मीनू सिंह, ट्रांसजेंडर समाज, स्थिति, चुनौतियां एवं संवैधानिक समाधान, एशियन प्रेस, कोलकाता, 2023
2. चौहान, बिन्द कुमार, संगीता कुमारी पासी, जैनेन्द्र चौहान, किन्नर विमर्श शिक्षा, समाज और साहित्य, हंस प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022
3. चौहान, राम सिंह, किन्नर समाज और संस्कृति, रचना प्रकाशन, जयपुर
4. भट्ट, जावेद अहमद, Transgender Rights in India, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, Vol 8, Issue 11, 2020
5. सिंह, रेखा, किन्नर विमर्श, भारतीय ज्ञानपीठ
6. सिंह, नीलम, किन्नर समुदाय संघर्ष और विकास, यूनिटी बुक्स, दिल्ली
7. रेड्डी, गायत्री. लैंगिक सम्मान के साथः दक्षिण भारत में हिजड़ा पहचान का विमर्श. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 2005
8. सुप्रीम कोर्ट निर्णय - NALS। बनाम भारत सरकार (2014) https://translaw.clpr.org.in/case-law/nalsa-third-gender-identity/
9. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, भारत सरकार, 2019। https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/13091\sam_handle=123456789/1362
10. राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल. भारत सरकार, https://transgender.dosje.gov.in।
11. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/87308/3/Unit-12.pdf
12. https://www.drishtiias.com/hindi/mains-practice-question/question-3458[2]

3.

किन्नर समाज की मनोवैज्ञानिक व्यथा कथा

डॉ. बॉबी यादव* और रेणु**

प्रस्तावना

'हिजड़ा' अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है - 'अपनी पहचान के लिए घर छोड़कर निकलना'। 'किन्नर' अथवा 'हिजड़ा' वे लोग होते हैं जिनके जननांग अविकसित होते हैं और उन्हें स्त्रियों के बीच में रहना अच्छा लगता है। हिजड़े मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित हैं- बुचरा, नीलिमा, हंसा और मनसा। जिनके जननांग जन्मजात अविकसित होते हैं उन्हें 'बुचरा' कहा जाता है, वास्तविक किन्नर 'बुचरा' ही होते हैं। 'मनसा' पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं लेकिन उनकी भावनाएं स्त्रियों जैसी होती हैं। 'हंसा' शारीरिक अक्षमता या नपुंसकता की वजह से हिजड़े बन जाते हैं। 'नीलिमा' वे होते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए स्वयं हिजड़ा बन जाते हैं। हिजड़ा समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर शब्द विश्व भर में 1960 के दशक से प्रयोग में आने लगा।

*एसोसिएट प्रोफेसर, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

**शोधार्थी, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर ।

1970 के दशक से यह शब्द निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और 1980 के दशक में इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक हो गया और जन्मतः लिंग के विपरीत जाने वाले सभी लोगों का समावेश 'ट्रांसजेंडर्स' में किया जाने लगा। हिंदू पौराणिक ग्रंथो में इन्हें 'तृतीय प्रकृति' कहा गया है और रामायण में भी यह उल्लेख है कि जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो किन्नर समुदाय भी उनके पीछे-पीछे चला और भगवान राम ने जब सब लोगों को वापस जाने को कहा तो सब लोग वापस चले गए परंतु किन्नर समुदाय वन में ही रुक गया और वहीं पर 14 साल तक भगवान राम के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। महाभारत में भी अरावन, शिखंडी और अर्जुन के बृहन्नला रूप का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार 'किन्नर' अरावन को अपना देवता मानते हैं और हर साल अरावन से विवाह करते हैं और अगले दिन ही विधवा हो जाते हैं।

मध्यकाल में राजा-महाराजा लड़कों का बधियाकरण करके उन्हें हिजड़ा बना देते थे और उन्हें अपने साथ रखते थे या फिर हरम का संरक्षक बना देते थे। बधियाकरण का तात्पर्य है 'अंडकोषों को हटा दिया जाना'। इस कुरीति का संज्ञान लेते हुए सन 1880 में बड़ौदा के महाराज गायकवाड ने बधियाकरण पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आज के समय में ट्रांसजेंडर खुद के प्रति जागरूक हो गए हैं और अपनी 'जेंडर आईडेंटिटी' खुद बनाने लगे हैं। 'जेंडर आईडेंटिटी' का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार करे कि 'मैं स्त्री हूं' अथवा 'मैं पुरुष हूं' या 'मैं कोई और हूं' जैसे कि एक लड़की जिसे जन्म के आधार पर महिला निर्धारित किया गया है लेकिन वह पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है तो वह एक 'ट्रांस मैन' है और यदि वह सर्जरी के द्वारा पुरुष बन जाती है तो उसे 'फीमेल टू मेल' कहते हैं और एक लड़का जिसे जन्म के आधार पर पुरुष निर्धारित किया गया है लेकिन यदि वह खुद को महिला के रूप में अनुभव करता है तो वह एक 'ट्रांस विमेन' है और यदि वह सर्जरी के द्वारा महिला बन जाता है तो उसे 'मेल टू फीमेल' कहा जाएगा। पहले 'ट्रांसजेंडर' के 'जेंडर आईडेंटिटी डिसऑर्डर' को एक मानसिक बीमारी माना जाता था लेकिन 'अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन' ने ट्रांसजेंडर होने को मानसिक बीमारी नहीं माना है। ट्रांसजेंडर की मानसिक

स्थिति के अनुसार 'सेक्स रिअसाइनमेन्ट सर्जरी' (Sex Reassignment Surgery) करके उसका लिंग बदल दिया जाता है।

ट्रांसजेंडर बनने की प्रक्रिया में जैविक कारकों का बहुत योगदान होता है। हमारे यहां ऐसा माना जाता है कि कुछ लड़के जन्म से ही हिजड़ा होते हैं। वे न तो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं और न ही स्त्री होते हैं परंतु अनेक बार आंतरिक बनावट के कारण ऐसा होता है कि बच्चे का जो लिंग प्रत्यक्ष दिखाई देता है उससे विपरीत उसके मनो-मस्तिष्क का विकास होता है।

स्त्री और पुरुषों को अलग-अलग बनाने वाले क्रोमोसोम x और y होते हैं। गर्भधारण के आरंभिक 6 हफ्ते में लिंग के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है परंतु उसके बाद यदि बच्चे में xx क्रोमोसोम होता है तो वह लड़की के रूप में विकसित होती है और यदि xy क्रोमोसोम होता है तो वह लड़के के रूप में विकसित होता है। तत्पश्चात y क्रोमोसोम पर SRY जीन कार्य करती है और उसमें से ही जननेंद्रिय का विकास होने लगता है और हारमोंस तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पुरुष हारमोन 'एंड्रोजन' तैयार होने लगता है तथा उसमें 'टेस्टोस्टरॉन हार्मोन' की मात्रा ज्यादा होती है। एंड्रोजन और टेस्टास्टरॉन की कुछ मात्रा स्त्री के गर्भ में भी होती है। इसी प्रकार से स्त्री के गर्भ में ही इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरॉन हारमोंस तैयार होने लगते हैं तथा जननेंद्रिय बनने की प्रक्रिया शुरू होती है।

अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया ठीक से पूरी हो जाती है परंतु कभी-कभी कुछ कारणों से गर्भधारण के दौरान लिंग निर्धारण में गड़बड़ी हो जाती है। इस आधार पर चार 'सिंड्रोम' देखे जाते हैं। पहले सिंड्रोम 'टर्नर सिंड्रोम' में गर्भस्थ शिशु में क्रोमोसोम xy या xy नहीं होता है अपितु xo होता है। पिता से प्राप्त होने वाला y क्रोमोसोम जो गर्भस्थ शिशु को पुरुषत्व देता है उसके ना होने के कारण भ्रुण के बाह्य जननेंद्रिय का विकास स्त्री जैसा होता है जबकि भीतरी जननेंद्रियों के विकास के लिए दो xx की जरूरत होती है अतः गर्भाशय का विकास न होने की वजह से वह पैदा तो लड़की ही होती है लेकिन उसको आने वाले समय में बच्चा नहीं हो सकता है।

दूसरे प्रकार का सिंड्रोम है 'एंड्रोजन इंसेंसीटिविटी सिंड्रोम' जिसमें एंड्रोजन

हारमोंस के ठीक से कार्य न करने कि वजह से पुरुष शिशु में जननांग विकसित नहीं हो पाते और महिला शिशु में उसकी जननेंद्रिय का विकास स्त्री के रूप में हो तो जाता है परंतु उसके गर्भाशय में अंडकोष उत्पन्न नहीं होते लेकिन स्तनों का विकास होता है और उसे मासिक धर्म नहीं होता और 'जेनेटिकली' वह लड़का होता है।

तीसरे सिंड्रोम में पुरुष हारमोंस 'एंड्रोजन' का स्तर बहुत ज्यादा होने की वजह से गर्भस्थ शिशु यदि लड़का है तो कोई बात नहीं, परंतु लड़की पैदा हुई तो लड़की पुरुष जैसी होगी। चौथे प्रकार के सिंड्रोम में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टरॉन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अगर गर्भस्थ शिशु यदि स्त्री हो तो ठीक है लेकिन अगर वह पुरुष का है तो जननेंद्रिय पुरुषों का होने के बावजूद उसमें स्त्रीत्व कि भावना आ जाएगी।

हिजड़े का जननांग तो प्राकृतिक रूप से अक्षम होता है लेकिन समाज का रवैया और बर्ताव उसे मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बना देता है। क्या किन्नर होना जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है? इस समाज में एक किन्नर के रूप में जी पाना कितना मुश्किल है, उन्हें कितना मानसिक कष्ट होता है इस बात का पता चलता है उपन्यास 'जिंदगी 50-50' में, जब हर्षा एड्स से ग्रसित होकर खुदकुशी करना चाहती है और अपने अंतिम समय में वह समाज से प्रश्न करती है कि ''किन्नर होना इतना बड़ा अभिशाप क्यों? बस मेरा अधूरापन ही तो है न? कैसे-कैसे पल आए। इस शरीर ने सब भुगता, सब सहा। जिस शरीर का लोग मजाक उड़ाते हैं, उसे ही रात को अपने मन बहलाने का जरिया बना लेते हैं। मेरे शारीरिक अस्तित्व में दुहरापन है। लेकिन उस तथाकथित समाज के व्यक्तित्व के दुहरेपन पर मैं थूकती हूँ'' और हर्षा आत्महत्या कर लेती है। अतः यदि हमारे समाज के अभिभावक, जिनके बच्चे किन्नर हैं, अपने बच्चों को अपनाने में जरा सा भी साहस दिखाएं, तो समाज कि कुछ बुराइयों को खत्म किया जा सकता है और वे आजीवन नरकीय पीडा से बच सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी - 'मैं हिजड़ा.....मैं लक्ष्मी!', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015

2. भगवत अनमोल - 'जिंदगी- 50-50', राजपाल एंड संस, नई दिल्ली, 2017

3. प्रदीप सौरभ - 'तीसरी ताली', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011

4. चित्रा मुद्गल- 'नाला सोपारा', सामयिक पेपरबैक्स, नई दिल्ली, 2011

4.

साहित्य में परलैंगिक या ट्रांसजेंडर विमर्श

डॉ. दीप्ति वाजपेयी*

परिचय

ट्रांसजेंडर विमर्श साहित्य में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, जो समाज में लैंगिक पहचान, अधिकारों और स्वीकृति से जुड़ा हुआ है। यह विमर्श न केवल व्यक्तिगत अनुभवों को उजागर करता है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक धारणाओं को भी चुनौती देता है।

साहित्य में परलैंगिक विमर्श: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

परलैंगिक या ट्रांसजेंडर पहचान का उल्लेख विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया में गाला नामक व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त थी, जो स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों को धारण करते थे। इसी प्रकार, अमेरिकी मूल-निवासी संस्कृतियों में टू-स्पिरिट व्यक्तियों को विशेष सम्मान प्राप्त था, जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से परे थे।

भारतीय साहित्य और संस्कृति में ट्रांसजेंडर पहचान

भारत में ट्रांसजेंडर पहचान का ऐतिहासिक संदर्भ महाभारत और

*प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

रामायण जैसे ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में शिखंडी का चरित्र एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो जन्म से अथवा पूर्व जन्म में स्त्री था लेकिन पुरुष रूप में पहचाना गया। रामायण में भी हिजड़ा समुदाय का उल्लेख मिलता है, जो भगवान राम के वनवास के दौरान उनके प्रति अपनी निष्ठा दर्शाता है। जब भगवान राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़ रहे थे, तो नगरवासी उन्हें विदा करने पीछे-पीछे चले। श्रीराम ने उन्हें समझाया कि "पुरुष और स्त्रियाँ सब नगर लौट जाएँ।" राम के इस निर्देश को सुनकर पुरुष और स्त्रियाँ तो लौट गए, परंतु जो लोग न तो स्त्री थे न पुरुष (यानी हिजड़ा/तीसरे लिंग के लोग), वे वहीं जंगल के बाहर बैठे रहे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। चौदह वर्ष बाद जब राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि यह समुदाय उनकी प्रतीक्षा में अब भी वहीं बैठा है। उनकी निष्ठा और भक्ति देखकर राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि इसी कारण हिजड़ा समुदाय को मंगलाचरण देने और आशीर्वाद देने का विशेष अधिकार प्राप्त है। यह प्रसंग मूल वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है। किंतु यह कथा मुख्यतः लोककथाओं, क्षेत्रीय रामकथाओं और काव्य-नाट्य परंपरा में मिलती है।

औपनिवेशिक काल और सामाजिक परिवर्तन

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों ने हिजड़ा समुदाय को अपराधी घोषित किया, जिससे वह सामाजिक उपेक्षाओं का शिकार हुए और धीरे-धीरे लोग उन्हें घृणित भाव से देखने लगे।

पौराणिक और धार्मिक संदर्भ

भारतीय संस्कृति में ट्रांसजेंडर पहचान को धार्मिक और पौराणिक संदर्भों में भी देखा गया है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप दर्शाया गया है, लैंगिक द्वैतवाद को चुनौती देता है। इसके अलावा, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण करना, भगवान कृष्ण का विभिन्न अवसरों पर स्त्री रूप धारण करना, यह सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति में लिंग की अवधारणा लचीली रही है।

आधुनिक भारतीय साहित्य में ट्रांसजेंडर विमर्श

आधुनिक भारतीय साहित्य में ट्रांसजेंडर विमर्श को अधिक व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याएं, संघर्ष, संवेदनाएं एवं सामाजिक समावेशन को परिलक्षित करने वाली कुछ प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है-

''आई एम विद्या''- एक ट्रांसजेंडर की यात्रा

यह आत्मकथा विद्या के बचपन से लेकर उनके ट्रांसजेंडर पहचान को स्वीकार करने तक की यात्रा को दर्शाती है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति, सामाजिक भेदभाव, और आर्थिक संघर्ष शामिल हैं।

मुख्य विषय

- ❖ **लैंगिक पहचान की खोज** - विद्या ने अपने बचपन में ही महसूस किया कि उनकी पहचान पारंपरिक लिंग सीमाओं से अलग है।
- ❖ **सामाजिक संघर्ष** - ट्रांसजेंडर होने के कारण उन्हें शिक्षा और रोजगार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- ❖ **स्वीकृति और आत्मनिर्भरता** - विद्या ने अपने संघर्षों के बावजूद आत्मनिर्भरता प्राप्त की और समाज में अपनी पहचान बनाई।

''आई एम विद्या'' में विद्या की आत्मनिर्भरता और समाज में उनकी स्वीकृति की यात्रा को विस्तार से दर्शाया गया है। यह आत्मकथा उनके संघर्षों, सामाजिक अस्वीकृति, और अंततः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रेरणादायक कहानी है।

स्वीकृति की यात्रा

विद्या ने अपने बचपन में ही महसूस किया कि उनकी पहचान पारंपरिक लिंग सीमाओं से अलग है। हालांकि, समाज और परिवार ने उनकी पहचान को अस्वीकार कर दिया, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को स्वीकार किया और

समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किया।

आत्मनिर्भरता की ओर कदम

विद्या ने कई कठिनाइयों के बावजूद आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, थिएटर और कला में रुचि विकसित की, और अंततः एक स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम हुईं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और संघर्ष से वे अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं।

सामाजिक प्रभाव

विद्या की आत्मकथा ने ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को उजागर किया और समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और ट्रांसजेंडर अधिकारों की वकालत करने में योगदान दिया।

''द ट्रुथ अबाउट मी''- ए. रेवती की आत्मकथा

''द ट्रुथ अबाउट मीः ए हिजड़ा लाइफ स्टोरी'' ए. रेवती द्वारा लिखित एक आत्मकथा है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को उजागर करती है। यह पुस्तक उनके व्यक्तिगत संघर्षों, सामाजिक अस्वीकृति, और आत्म-स्वीकृति की यात्रा को दर्शाती है।

मुख्य विषय

रेवती का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही महसूस किया कि उनकी पहचान पारंपरिक लिंग सीमाओं से अलग है। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है-

- **बचपन और पहचान की खोज** - रेवती ने अपने बचपन में ही महसूस किया कि वे एक लड़की की तरह सोचती और व्यवहार करती हैं।
- **परिवार और समाज से संघर्ष** - उनके परिवार और समाज ने उनकी पहचान को स्वीकार नहीं किया, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक

संघर्षों का सामना करना पड़ा।

- **हिजड़ा समुदाय में प्रवेश** – सामाजिक अस्वीकृति के कारण उन्होंने हिजड़ा समुदाय में प्रवेश किया, जहाँ उन्होंने अपनी पहचान को स्वीकार किया और एक नया जीवन शुरू किया।
- **शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न** – उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शामिल था।
- **स्वीकृति और आत्मनिर्भरता** – संघर्षों के बावजूद, उन्होंने आत्मनिर्भरता प्राप्त की और ट्रांसजेंडर अधिकारों की वकालत करने लगीं।

सामाजिक प्रभाव

"द ट्रुथ अबाउट मी" केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस आत्मकथा ने समाज में जागरूकता बढ़ाने और ट्रांसजेंडर अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विशेष रूप से उनके परिवार और समाज द्वारा उनकी पहचान को अस्वीकार किए जाने के कारण हुए मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को।

रेवती की आत्मकथा उनके संघर्षों और आत्म-स्वीकृति की प्रेरणादायक कहानी है। यह पुस्तक ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को उजागर करती है और समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के कई उदाहरण सामने आते हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज के पूर्वाग्रह और भेदभाव को उजागर करते हैं।

"अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी"

"अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी" भारत की पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल मनोबी बंद्योपाध्याय की जीवनी है, जिसे झिमली मुखर्जी पांडे ने लिखा है. यह पुस्तक मनोबी के बचपन, उनकी पहचान की खोज, सामाजिक संघर्ष, और अंततः उनकी सफलता की यात्रा को दर्शाती है।

मुख्य विषय

मनोबी का जन्म सोमनाथ बंद्योपाध्याय के रूप में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी पहचान पारंपरिक लिंग सीमाओं से अलग है. परिवार और समाज ने उनकी पहचान को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करना पड़ा।

हालांकि, उन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और बंगाली साहित्य में पीएचडी प्राप्त की उन्होंने भारत की पहली ट्रांसजेंडर पत्रिका ''अबोमानब'' (Subhuman) की स्थापना की, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को एक मंच मिला।

प्रेरणादायक उदाहरण

- **शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता** – मनोबी ने कठिनाइयों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की और कृष्णा नगर महिला कॉलेज की प्रिंसिपल बनीं, जिससे उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया।
- **सामाजिक बाधाओं को पार करना** – उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और समाज में अपनी पहचान स्थापित की, जिससे अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रेरणा मिली।
- **साहित्य और लेखन के माध्यम से जागरूकता** – उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को उजागर किया गया।

सामाजिक प्रभाव

- शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। मनोबी ने स्पष्ट संदेश दिया है- ''अगर हम सीखेंगे, तो हमारी सभी समस्याएँ हल हो जाएंगी''।
- **स्वीकृति और समानता की आवश्यकता** – उनकी कहानी यह दर्शाती है कि समाज को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अवसर और सम्मान

देना चाहिए।

- **संघर्ष से सफलता तक की यात्रा** - यह पुस्तक यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद, आत्म-स्वीकृति और दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त की जा सकती है।

मनोबी बंद्योपाध्याय की जीवनी न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह पुस्तक ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को उजागर करती है और सामाजिक स्वीकृति, समानता और शिक्षा के महत्व पर जोर देती है।

निष्कर्ष

साहित्य में ट्रांसजेंडर विमर्श केवल एक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य तक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान, संघर्ष और आत्म-स्वीकृति को अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है। यह विमर्श समाज में गहरे बदलाव लाने, पूर्वाग्रहों को चुनौती देने, और समानता की ओर बढ़ने में सहायक रहा है। हालाँकि, अब भी ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक स्वीकृति के क्षेत्रों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साहित्य इन मुद्दों को उठाने और समाधान खोजने की दिशा में प्रेरणा प्रदान करता है।

अतः, साहित्य में ट्रांसजेंडर विमर्श न केवल एक साहित्यिक प्रवृत्ति है, बल्कि यह सामाजिक समावेश, न्याय और समानता की दिशा में बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साहित्य का प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य और संस्कृति में ट्रांसजेंडर पहचान का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य तक, ट्रांसजेंडर समुदाय की उपस्थिति और संघर्ष को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। साहित्य में ट्रांसजेंडर विमर्श केवल एक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को उजागर करता है, बल्कि समाज को अधिक

समावेशी और संवेदनशील बनाने में भी योगदान देता है।

संदर्भ सूची

1. ए. रेवतीः [अनुवादक], द ट्रूथ अबाउट मीः ए हिजड़ा लाइफ स्टोरी, पेंगुइन इंडिया, वर्ष 2010
2. लिविंग स्माइल विद्या [अनुवादक], आई एम विद्या, रूपा पब्लिकेशन्स, वर्ष 2007
3. मनोबी बंद्योपाध्याय, झिमली मुखर्जी पांडे [अनुवादक], अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, पेंगुइन इंडिया, वर्ष 2016
4. लेस्ली फीनबर्ग [अनुवादक], स्टोन बुच ब्लूज, एलिसन पब्लिकेशन्स, वर्ष 1993
5. इमोजेन बिन्नी [अनुवादक], नेवादा, टॉपसाइड प्रेस, वर्ष 2013

5.

महाभारत में किन्नर अस्तित्व
पौराणिकता से समकालीन विमर्श तक

डॉ. कनकलता यादव*

भूमिका

महाभारत, भारतीय साहित्य का एक महान महाकाव्य है जो केवल धर्मयुद्ध या नीति की कहानियाँ नहीं कहता, बल्कि तत्कालीन समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं को भी प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में महाभारत में किन्नर पात्रों की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह शोध पत्र महाभारत में किन्नर अस्तित्व की साहित्यिक भूमिका और सामाजिक स्वीकार्यता का विश्लेषण करता है।

प्राचीन भारत में ''किन्नर'' शब्द एक लिंग से परे व्यक्तित्व को दर्शाता था, जो पारंपरिक स्त्री-पुरुष श्रेणियों में नहीं आता। महाभारत में किन्नरों का उल्लेख न केवल पौराणिक और दैवी पात्रों के रूप में हुआ है, बल्कि वे कथा की मुख्य धारा में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण शिखंडी का है- जो एक स्त्री के रूप में जन्म लेता है और बाद में पुरुष

*असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

के रूप में भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है। यह चरित्र न केवल किन्नर पहचान की सामाजिक स्वीकृति को दर्शाता है, बल्कि उनके प्रभाव और महत्व को भी उजागर करता है।

साहित्यिक दृष्टि से किन्नर पात्र प्रतीकात्मक हैं- वे लैंगिक सीमाओं और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हैं। उनका अस्तित्व इस बात का संकेत है कि महाभारत जैसे ग्रंथों में विविधता को स्वीकारा गया था और लिंग की परिभाषा को कठोर सीमाओं में नहीं बाँधा गया था। किन्नरों की उपस्थिति पौराणिक लोक में एक ऐसे वर्ग की कल्पना को साकार करती है, जो दोनों लिंगों के गुणों का समावेश करता है और एक अलग ही सामाजिक पहचान रखता है।

सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किन्नर केवल धार्मिक या सांस्कृतिक रस्मों तक सीमित नहीं थे। वे राजा-महाराजाओं के दरबारों में, युद्धों में, और मनोरंजन के साधनों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। यह संकेत करता है कि किन्नरों को समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था। हालांकि समय के साथ उनके प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और सामाजिक स्थान सीमित हुआ, परंतु महाभारत जैसे ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्रारंभिक भारतीय समाज कहीं अधिक समावेशी और संवेदनशील था।

इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि किन्नर अस्तित्व भारतीय साहित्य और संस्कृति में गहरे रूप से निहित है। महाभारत न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि वह सामाजिक व्यवहार, पहचान और मान्यताओं का दर्पण भी है। किन्नरों का चित्रण इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में लिंग विविधता को नकारा नहीं गया, बल्कि उसे एक अलग लेकिन सम्मानजनक स्थान दिया गया।

अतः यह शोध यह सिद्ध करता है कि महाभारत में किन्नर अस्तित्व एक साहित्यिक सौंदर्य के साथ-साथ सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है, जो आज के समावेशी समाज की दिशा में एक प्रेरणास्रोत बन सकता है।

किन्नरः परिभाषा और पौराणिक दृष्टिकोण

'किन्नर' शब्द संस्कृत के ''किम्नर'' से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है - ''क्या यह मनुष्य है?'' यह परिभाषा समाज में किन्नरों की जटिल

स्थिति को उजागर करती है। हिन्दू पुराणों और ग्रंथों में किन्नरों का उल्लेख अक्सर एक विशेष वर्ग के रूप में हुआ है जो न तो पूर्णतः पुरुष होते हैं, न स्त्री, बल्कि एक तीसरी लिंग पहचान के रूप में माने जाते हैं।

वेदों में 'तृतीय प्रकृति' का उल्लेख मिलता है, और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी तृतीय लिंग की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय समाज लिंग की केवल द्वैत व्यवस्था (पुरुषध्स्त्री) तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें लिंग की विविधता के लिए भी स्थान था।

महाभारत में किन्नर पात्रों का विश्लेषण

शिखंडीः प्रतिशोध और पहचान की कथा

शिखंडी महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो तृतीय लिंग की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति बनकर उभरता है।

- **उत्पत्तिः** शिखंडी का जन्म एक स्त्री 'शिखंडिनी' के रूप में हुआ था। वह पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थीं, जिनका अपमान भीष्म ने किया था। अम्बा ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले जन्म में भीष्म के मृत्यु का कारण बनेंगी।
- **परिवर्तनः** अम्बा ने तपस्या की और शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया। उन्होंने एक वनवासी यक्ष से अपना लिंग परिवर्तन कराया और पुरुष रूप धारण किया।
- **भूमिकाः** शिखंडी ने कुरुक्षेत्र युद्ध में वह निर्णायक भूमिका निभाई, जो किसी अन्य पात्र के लिए असंभव थी। भीष्म ने उन्हें स्त्री मानकर उन पर शस्त्र नहीं उठाया, और इसी का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म को घायल किया।
- **विश्लेषणः** शिखंडी का चरित्र सामाजिक और लिंग पहचान की सीमाओं को चुनौती देता है। यह एक ऐसा पात्र है जो प्रतिशोध की शक्ति, आत्म-निर्धारण और लिंग-परिवर्तन जैसे मुद्दों को एक साथ सामने लाता है।

बृहन्नलाः अर्जुन का किन्नर रूप

दूसरा प्रमुख किन्नर रूप हमें अर्जुन के जीवन में 'बृहन्नला' के माध्यम से देखने को मिलता है।

- **प्रसंगः** अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिया था कि वे एक वर्ष तक स्त्री की तरह रहेंगे। इस श्राप को अर्जुन ने वनवास के दौरान अपने अंतिम एक वर्ष के अज्ञातवास में उपयोग किया।
- **रूपांतरणः** उन्होंने 'बृहन्नला' नाम से विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया।
- **महत्त्वः** यह रूप अर्जुन की विनम्रता, आत्मसंयम और सामाजिक भूमिका को दर्शाता है। बृहन्नला का पात्र हमें यह भी सिखाता है कि लिंग परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं होता, वह मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी स्वीकार्यता मांगता है।

महाभारत की समावेशी दृष्टि

महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो विविधता का सम्मान करता है। किन्नर पात्रों को हास्य या उपहास के पात्र न बनाकर, उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों में भागीदारी प्रदान की गई है। यह समावेशिता आज के समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

शिखंडी और बृहन्नला जैसे पात्र केवल कथानक की सहायता नहीं करते, बल्कि वे उस सामाजिक मानसिकता को उद्घाटित करते हैं जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म और धर्म से होती है।

सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

किन्नर पात्रों की उपस्थिति महाभारत में लिंग की सामाजिक समझ को विस्तृत करती है। आज जब तृतीय लिंग को समाज में समानता और अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तब यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में उन्हें स्थान और सम्मान दोनों प्राप्त था।

- मनोवैज्ञानिक स्तर पर, यह पात्र आत्म-स्वीकृति, लज्जा, प्रतिशोध और

आत्मबल जैसे तत्वों से भरे हुए हैं।

- ❖ सामाजिक दृष्टि से, यह स्वीकार करते हैं कि विविधता समाज का स्वाभाविक हिस्सा है।

समकालीन संदर्भ और महाभारत की प्रासंगिकता

भारत में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर समुदाय को 'थर्ड जेंडर' के रूप में सवैधानिक मान्यता दी। यह निर्णय आधुनिक भारत में लिंग की बहुलता को स्वीकारने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

महाभारत के किन्नर पात्र इस दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक हैं - वे दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति में विविधता का सम्मान नई बात नहीं है। यह परंपरा हमारी जड़ों में मौजूद रही है।

समकालीन साहित्य और मीडिया में किन्नर प्रस्तुति

हाल के वर्षों में भारतीय साहित्य और सिनेमा में भी किन्नरों की प्रस्तुति में बदलाव आया है। देवदत्त पट्टनायक की पुस्तक "The Pregnant King" एक अत्यंत रोचक उदाहरण है, जिसमें लिंग की तरलता और सामाजिक दृष्टिकोणों को महाभारत की पृष्ठभूमि में पिरोया गया है।

टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज भी अब किन्नर पात्रों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने लगे हैं, परंतु अभी भी व्यापक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता बनी हुई है।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

हालाँकि महाभारत में किन्नरों को स्थान दिया गया है, परंतु कहीं-कहीं यह भी देखा गया है कि समाज उन्हें एक 'अलग' वर्ग के रूप में देखता रहा है। शिखंडी को भीष्म द्वारा स्त्री मानने से इनकार करना, या अर्जुन का बृहन्नला रूप एक श्राप के तहत होना, यह दर्शाता है कि लिंग विविधता को सहज रूप से पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था - बल्कि कुछ हद तक परिस्थितियों से उपजा हुआ था।

यह आलोचना यह नहीं दर्शाती कि ग्रंथ दोषपूर्ण है, बल्कि यह बताती

है कि सामाजिक दृष्टिकोण लगातार विकसित होता है और महाभारत उस प्रक्रिया का हिस्सा है।

निष्कर्ष

महाभारत जैसे महाकाव्य में किन्नर अस्तित्व का उल्लेख न केवल उस समय की सामाजिक संरचना को दर्शाता है, बल्कि यह भारतीय समाज में विविध लैंगिक पहचानों की प्राचीन स्वीकृति और मान्यता को भी उद्घाटित करता है। किन्नरों का वर्णन इस महाकाव्य में एक रहस्यमयी, सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका के रूप में किया गया है, जो उन्हें अन्य पात्रों से भिन्न लेकिन महत्वपूर्ण बनाता है।महाभारत में किन्नर अस्तित्व का चित्रण केवल धार्मिक या पौराणिक महत्व नहीं रखता, बल्कि वह आधुनिक समाज के लिए दर्पण है।

सबसे प्रमुख उदाहरण शिखंडी का है, जो अम्बा के पुनर्जन्म रूप में एक स्त्री से पुरुष बनता है और भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है। यह घटना न केवल किन्नर अस्तित्व को महाभारत की केंद्रीय घटनाओं से जोड़ती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज में लैंगिक परिवर्तन और उसकी स्वीकृति एक ऐतिहासिक अवधारणा रही है। शिखंडी के चरित्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि किन्नर केवल हास्य या हाशिये के पात्र नहीं थे, बल्कि उनके पास भी युद्ध, निर्णय और परिवर्तन की शक्ति थी।

महाभारत में किन्नरों की भूमिका केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं है। वे सांस्कृतिक गतिविधियों, संगीत, नृत्य और सभा-समारोहों का भी अभिन्न हिस्सा रहे हैं। यक्ष, गंधर्व और किन्नर जैसे पात्र देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करते हैं और इस बात का संकेत देते हैं कि समाज में एक लचीली और समावेशी दृष्टि मौजूद थी, जहाँ हर प्रकार की पहचान को एक स्थान प्राप्त था।

साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किन्नरों का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप से भी किया गया है- वे परिवर्तन, पुनर्जन्म और सामाजिक सीमाओं के अतिक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उस द्वैत को तोड़ते हैं जिसे परंपरागत समाज स्त्री और पुरुष के रूप में देखता आया है। इस प्रकार, महाभारत में

किन्नर पात्र समाज में न सिर्फ विविधता की स्वीकृति को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि परिवर्तनशीलता मानव स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है।

आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जब लैंगिक समानता और पहचान पर गंभीर चर्चा हो रही है, महाभारत जैसे ग्रंथों का पुनर्पाठ यह साक्ष्य देता है कि भारतीय संस्कृति में विविध लैंगिक पहचानों की ऐतिहासिक स्वीकार्यता रही है। किन्नर अस्तित्व केवल सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे साहित्य और इतिहास में भी एक प्रभावशाली उपस्थिति रखते हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाभारत में किन्नर पात्रों का अस्तित्व न केवल कथात्मक सौंदर्य को समृद्ध करता है, बल्कि सामाजिक समरसता, विविधता और स्वीकार्यता के मूल्यों को भी स्थापित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत की सोच कहीं अधिक समावेशी और संवेदनशील थी, और हमें आज भी उन मूल्यों को समझने और अपनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य (NALSA v- Union of India). सुप्रीम कोर्ट, 15 अप्रैल 2014, AIR 2014 SC 1863।
2. मनुस्मृति. तृतीय प्रकृति का वर्णन. सम्पादकः पं. रामनारायण शर्मा, चौखम्बा विद्या भवन, 2005।
3. कुमार, आशुतोष. भारतीय साहित्य में लैंगिक विविधता. राजकमल प्रकाशन, 2016।
4. यादव, डॉ. ममता. प्राचीन भारतीय साहित्य में तृतीय लिंग का सामाजिक दृष्टिकोण. भारत पुस्तक भण्डार, 2019।
5. तिवारी, सुधाकर. प्राचीन भारत में लिंग वैविध्य और समाज. प्रभात प्रकाशन, 2020।
6. जोशी, रेखा. संस्कृति, समाज और लैंगिक पहचान. ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2017।
7. नारायण, आर. के. The Mahabharata: A Shortened Modern Prose Version. University of Chicago Press, 2000।
8. Tripathi, Saloni. "Gender Fluidity in Indian Epics: A Study of Mahabharata." International Journal of Humanities and Social

Science Research, vol. 8, no. 2, 2022, pp. 45-49।

9. Sharma, Arvind. Gender and Religion: The Hindu Case. Palgrave Macmillan, 2002।
10. Bose, Mandakranta. Facing the Other: Gender and Hinduism. Oxford University Press, 2010।
11. Chakravarti, Uma. Gendering Caste through a Feminist Lens. Stree, 2003।
12. Saini, Dr. Meenakshi. Mahabharat mein Tritiya Linga ka Astitva. हिंदी साहित्य प्रकाशन, 2018।
13. Gupta, Charu. Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims and the Hindu Public in Colonial India- Permanent Black, 2001।
14. नाट्यशास्त्र. भरतमुनि कृत, सम्पादकः डॉ. रत्नाकर, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 2009।
15. स्कन्द पुराण. मूल संस्कृत ग्रंथ, सम्पादकः डॉ. श्रीधर भट्ट, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, 2012।
16. याज्ञवल्क्य स्मृति. सम्पादकः पं. रामगोपाल शर्मा, चौखम्बा ओरिएंटलिया, 2007।
17. व्यास, वेद. महाभारत. कृत्तिवासी संस्करण, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2011।
18. पट्टनायक, देवदत्त. द प्रेग्नेंट किंग. पेंगुइन बुक्स, 2008

6.

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एक अध्ययन

डॉ. कविता वर्मा*

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की स्थिति व अधिकार एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिलता है, एक ओर प्राचीन ग्रंथ और सांस्कृतिक परंपराओं में तीसरे लिंग की पहचान को मान्यता दी गई है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक समय में ट्रांसजेंडर समुदाय को गंभीर बहिष्कार, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तीसरे लिंग की पहचान को 'तृतीय प्रकृति' के रूप में स्वीकार किया गया है। महाभारत में शिखंडनी, अर्जुन का वृहनलला का रूप उनकी पारिवारिक व सामाजिक स्वीकृति दर्शाता है। हिजड़ा समुदाय जो स्वयं को न तो पुरुष न ही स्त्री मानता है, भारतीय समाज में लंबे समय से अस्तित्व में रहा है और तीसरे लिंग के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय को अपराधीकरण और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, जिनके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता पश्चात भी समाज में इन लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहा। भारत की 2011 की जनगणना में पहली बार इन व्यक्तियों की जनगणना की गई, जिनमें लगभग

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

4.88 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दर्ज किया गया। यह संख्या व्यापक रूप से कम आंकी गई क्योंकि सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी व डेटा संग्रहण की सीमाओं के कारण कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने अपनी पहचान छुपाई।[1] वही दैनिक पत्र के अनुसार विश्व में इनकी संख्या 2.5 करोड़ है।[2]

ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है ? तृतीय लिंग लोगों के लिए आम प्रचलित शब्द ट्रांसजेंडर हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1960 के दशक में माना जाता है। व्यापक रूप से 1980 के दशक में जन्म के समय लिंग के विपरीत जीवनयापन, चाल ढाल, कपड़े, सज्जा, व्यवहार, श्रृंगार इत्यादि करने वाले लोगों को ट्रांसजेंडर नाम से संबोधित किए जाने लगा। तृतीय लिंग शब्द अंग्रेजी के ट्रांसजेंडर का हिंदी पर्याय है।[3]

मैक्सिको में ट्रांसजेंडर को 'मुक्स' थाईलैंड में 'कथोएय' व दक्षिण एशिया में 'किन्नर' के नाम से संबोधित किया जाता है। साथ ही इस वर्ग समुदाय को मंगलामुखी, सखी, बीचवाला, मीठा, कोथी, हिजड़ा, उभयलिंगी, शिखंडी, अरावनी, भागा, मामू, गुड्, कोज्जा, पवैया, सुखरा, ख्वाजासरा, तृतीय लिंग आदि नामों से जाना जाता है।[4] विश्व में, प्रथम बार जर्मनी में बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र में स्त्री/पुरुष के साथ तीसरा वर्ग 'एक्स' रखा है। ब्रिटेन में पुरुषों के लिए 'मिस्टर' स्त्री के लिए 'मिसेज' और तृतीय लिंग के लिए 'मिक्स' शब्द को प्रयोग में लाया गया है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, अर्जेंटीना इत्यादि देशों में इन्हें लैंगिक पहचान मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में किन्नर को एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह 'तृतीय लिंग' की संज्ञा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जन्मतः लिंग के विपरीत मन और शरीर के साथ-साथ उसके व्यवहार के मिलन नहीं होने वाले व्यक्ति को तृतीय लिंग कहा। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसार तृतीय लिंग समुदाय के मुख्य रूप से पांच उपवर्ग हिजड़ा, जोगप्पा, ट्रांसवुमन, ट्रांसमैन और खोती है।[5]

अध्ययन के उद्देश्य

- ❖ भारतीय संदर्भ में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करना।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख सामाजिक चुनौतियों की पहचान और विश्लेषण करना।
- सांस्कृतिक समस्याओं का विश्लेषण करना।
- ट्रांसजेंडर के अधिकारों से संबंधित कानूनी ढांचे का विश्लेषण करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पद्धति में वर्णात्मक शोध प्ररचना प्रयोग की गई है जो कि द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। वर्णनात्मक शोध रचना के अंतर्गत पूर्व में किए अध्ययनो के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की समीक्षा की गई है। आंकड़ों का संग्रहण विभिन्न जनरल, पत्र पत्रिकाओं, समाचार-पत्र व विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की सहायता से किया गया है।

वर्तमान में ट्रांसजेंडर्स व्यक्ति की सामाजिक स्थिति

भारत में लैंगिक विविधता की उपस्थिति कोई नई घटना नहीं है बल्कि यह यहाँ के इतिहास व संस्कृति में गहराई से समाहित है। पुराण, रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों सहित प्राचीन धर्मग्रन्थ पुरुष और महिला से अलग तीसरे लिंग या तीसरी प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये शब्द प्रजनन क्षमता की कमी वाले व्यक्तियों को दर्शाते हैं और हिंदू कानून, चिकित्सा और ज्योतिषी जैसे क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त हिंदू पौराणिक कथाएं ऐसे पात्रो और आख्यानों से भरी पड़ी है जिसमें स्त्री व पुरुष तत्व के सम्मेलन की बात कही है, जैसे कि भगवान विष्णुजी का मोहिनी अवतार, महाभारत में शिखंडिनी की कहानी, भगवान शिव का अर्द्धनारीश्वर अवतार, भगवान राम द्वारा अपने वनवास के दौरान हिजड़ों को उनकी वफादारी के लिए आशीर्वाद देने की कहानी इत्यादि। इन कथाओं ने ऐतिहासिक रूप से लिंग भिन्न व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक वैधता और विशिष्ट सामाजिक भूमिकाएं प्रदान की है।[6]

मुगल साम्राज्य के दौरान हिजड़ों को अक्सर शाही दरबारों में सम्मानित और प्रभावकारी पदों पर रखा गया था, जो प्रशासन, राजनीतिक सलाहकार और हरम के भरोसेमंद संरक्षण के रूप में कार्य करते थे। उन्हें बुद्धिमान

और वफादार माना जाता था, किंतु ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ विक्टोरियन नैतिकता और द्विआधारी लिंग मानदंडो से प्रभावित ब्रिटिश प्रशासको ने भारत की विविध लिंग अभिव्यक्तियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा व उनके विरुद्ध कानून बनाएं। 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने विशेष रूप से हिजड़ों को लक्षित किया। उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित किया क्रॉस ड्रेसिंग और विशिष्ट प्रदर्शनो को प्रतिबंधित कर उनके अस्तित्व को अपराधी बना दिया। इस ओपनिवेशिक विकृति और अपराधीकरण के कारण उनकी सामाजिक स्थिति का क्षरण हुआ।

वर्तमान सामाजिक स्थिति का विश्लेषण

- **सामाजिक बहिष्कार, कलंक और पारिवारिक अस्वीकृतिः** इन व्यक्तियों की सबसे प्रखर समस्या है कि इन्हें अछूत, उपहास, भय और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के एक अध्ययन के अनुसार 99 प्रतिशत ट्रांसजेंडर को अक्सर सामाजिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। यह बहिष्कार अक्सर परिवार के भीतर शुरू होता है जिनमें अविश्वास, क्रोध, अस्वीकृति, उपेक्षा, मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता हैं तथा अपनी पहचान बताने पर अपने घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप इनमें आत्मसम्मान की कमी, अवसाद, चिंता, गंभीर मानसिक समस्याएं, आत्महत्या के प्रयास व बेघर होना शामिल है।

- **शिक्षा में भेदभावः** 2011 की जनगणना में केवल 56 प्रतिशत ट्रांसजेंडर ही साक्षर थे, जो कि राष्ट्रीय औसत 74 प्रतिशत से काफी कम है।[7] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली तथा यूपी में हुए सर्वे के दौरान पाया गया कि 30 प्रतिशत ट्रांसजेंडर कभी स्कूल नहीं गए तथा केवल 5 प्रतिशत के पास ही स्नातक की डिग्री है जिसका कारण असमानता व घृणा का व्यवहार, लिंग तटस्थ शौचालयों की कमी, कठोर ड्रेस कोड व लिंग विविधता को संबोधित करने में विफल पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं।

- **रोजगार में बाधाएंः** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बेरोजगारी की दर 48 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि यदि इन्हें कोई कार्य मिलता है तो उन्हें अक्सर कर कार्यस्थल पर उत्पीड़न, वेतन भेदभाव, अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। औपचारिक अर्थव्यवस्था से यह प्रणालीगत बहिष्कार इस समुदाय के एक बड़े हिस्से को अनौपचारिक व अक्सर कलंकित जीवनयापन के साधनों जैसे भीख मांगना, सेक्स वर्क और पारंपरिक बधाई प्रदर्शन करने को मजबूर करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार बधाई/गायन/नृत्य सबसे आम व्यवसाय 24.4 प्रतिशत है, उसके बाद वेडिंग 13.1 प्रतिशत और भीख मांगना 10.4 प्रतिशत, निजी क्षेत्र में नौकरी में केवल 6 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बेरोजगार थे।[8]

- **आवास की समस्याः** सुरक्षित व स्थिर आवास भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ये लोग बेघर होने व अनिश्चित जीवन स्थितियों में रहने के लिए मजबूर है जो अक्सर परिवार की अस्वीकृति और आर्थिक साधनों की कमी से जुड़ा है। आम लोगों की बस्तियों में आवास न मिलना, किराये पर देने व बेचने से मना करना, मौखिक उत्पीड़न व उच्च किराया इनकी सम्मानजनक जीवन जीने की समस्या को और बढ़ा देता है।

- **स्वास्थ्य संबंधित समस्याः** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को चिकित्सकीय उपचार व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अस्पतालों में उनके साथ मौखिक दुर्व्यवहार, उपेक्षा, असंवेदनशील पूछताछ, गोपनीयता का उल्लंघन, यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न भी शामिल है। इस समुदाय के लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति बुनियादी ज्ञान का भी अभाव है। इन लोगों में एचआईवी और एसटीआई, अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी स्वास्थ्य चुनौतियां व समस्याएं रहती है। साथ ही सस्ते स्वास्थ्य बीमा तक पहुँच की कमी इनके इन समस्याओं को ओर भी अधिक उग्र कर देती है।

- **हिंसा उत्पीड़न व दुर्व्यवहारः** ये लोग विभिन्न परिस्थितियों में शारीरिक, यौन व भावनात्मक उत्पीड़न व दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। पुलिस

उत्पीडन भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें जबरन वसूली, मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, शारीरिक और यौन हिंसा शामिल हैं। इसका कारण प्रभावी कानून व कानूनी सुरक्षा की कमी, व्यापक सामाजिक अस्वीकृति व कलंक की अवधारणा तथा आर्थिक हाशिये पर होना है।[9]

- **सांस्कृतिक चुनौतियां तथा संघर्ष:** हमारे देश में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में पुरुषों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है तथा दूसरा स्थान महिलाओं को। ऐसी स्थिति में ट्रांसजेंडर को पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्थान न होना, परिवार व समाज में इनकी प्रस्थिति व भूमिका व्यवहार व अपेक्षाओं की कही भी बात नहीं कही गई है। पारंपरिक मूल्य, पारिवारिक वंशावली, विषमलैंगिक विवाह, लिंग भूमिकाओं पर ही जोर देते हैं जिसके कारण ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने घर छोड़ने और वैकल्पिक रिश्तेदारी संरचनाओं जैसे हिजड़ा घराना प्रणाली की तलाश करने के लिए मजबूर होते हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार के लिए विधायकी उपचार

नालसा बनाम भारत संघ 2014 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इनके अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार न्यायालय में कानूनी रूप से तीसरे लिंग व्यक्तियों को मान्यता दी और कहा कि व्यक्तियों को अपने लिंग की पहचान करने का अधिकार है, जो महिला पुरुष की द्विआधारी श्रेणियों से अलग है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) गैर भेदभाव (अनुच्छेद 15) भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 [1] लिंग अभिव्यक्ति) और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21-लिंग की गरिमा और आत्मनिर्णय) के अधिकार को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम-2019 ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता प्रदान करता है, भेदभाव से रोकता है और कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करता है। साथ ही इनके प्रति शारीरिक, यौन, मौखिक व आर्थिक दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध माना है। इस अधिनियम का सातवाँ अध्याय इन लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का भी आदेश देता है, ताकि इनके हितों की रक्षा की जा सके।

सुझाव

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली बहुआयामी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, नागरिक समाज, समुदाय और व्यक्तियों को शामिल करते हुए समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शैक्षणिक संस्थानों में इन्हें सम्मानजनक स्थान देने के लिए शिक्षकों, कर्मचारी व छात्रों के लिए संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। इनके प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाए तथा सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी सुगम पहुँच बने तथा मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ को इनके इलाज के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही समय-समय पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श कार्यक्रम भी चलाए जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का व्यापक कवरेज उन्हें मिलना चाहिए। परिवारों में इनके लिए उचित व सम्मानजनक स्थान मिले। इसके लिए परिवार के लोगों को पर्याप्त और समय पर परामर्श कार्यक्रम व ऐसे परिवारों की मेंटरिंग और मोनिटरिंग हो ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने परिवार का ही सदस्य बनकर रह सके।

निष्कर्ष

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा, समानता और समावेशन सुनिश्चित करना हमारे देश के लिए एक मौलिक मानवाधिकार अनिवार्यता है। यद्यपि कानूनी स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन वास्तविक समानता की दिशा में यात्रा के लिए समाज में गहराई से जमीं पूर्वाग्रहों का सामना करना और संस्थागत अवरोधओं को समाप्त करना आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन, सशक्त समुदायिक भागीदारी और समाज की सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, ताकि विविधता को स्वीकार किया जा सके और देश के संविधान द्वारा प्रदत्त न्याय व समानता के उद्देश्य को प्रत्येक नागरिक के लिए उनकी लिंग पहचान की परवाह किए बिना सकार किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. www.wikipedia.org/wiki/2011_census_of_India at10.30pm, Dated: 21.4.25
2. हिंदुस्तान, नई दिल्ली, 7.12.22 पृष्ठ 1
3. त्रिपाठी लक्ष्मी, 'मै हिजड़ा.....मै लक्ष्मी', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015 पृष्ठ 169-170.
4. सर्राफ रामगोपाल 'मनमीत' (मासिक पत्रिका) किन्नर विशेषांक, आजमगढ़ एवं दिल्ली, मई 2014 पृष्ठ 37
5. बरिहा रवीना, 'तृतीय प्रकृति' समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, पृष्ठ 6
6. Singh, K. R., & Singh, S. R. (2015). Mythology and history of transgender community of India. International Journal of Physical and Social Sciences, 5(7), 204–215.
7. Das, A. K., & Tapadar, J. (2018). Socio economic and health condition of transgender in India. Journal of advance Research in Humanities and Social Science, 5(3), 01–11.
8. National Human Rights Commission (NHRC) (2018). A Study on Human Rights of Transgender Persons with Special Reference to Present Status and Challenges in Delhi-NCR and Uttar Pradesh. National Human Rights Commission, India.
9. Ghosh, S. (2021). Violence and Harassment against Transgender People in India. Space and Culture, India, 9(1), 1–6.

7.

भारत में ट्रांसजेंडर की समस्याएं सामाजिक बहिष्कार से सामाजिक समावेशन तक

डॉ. मीनाक्षी लोहानी* और डॉ. संजीव कुमार**

प्रस्तावना

लोग कहते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। बिल्कुल है - भाषा, धर्म, पहनावा, सोच - हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन जब बात ट्रांसजेंडर समुदाय की होती है, तो ये रंग-बिरंगी विविधता अचानक फीकी पड़ जाती है। ट्रांसजेंडर लोग वो होते हैं जो अपने जन्म के समय तय किए गए लिंग से अलग पहचान महसूस करते हैं। मतलब साफ है - ये पहचान मन और आत्मा से जुड़ी होती है, शरीर से नहीं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि समाज अब भी इस सच्चाई को पचा नहीं पाया है।अब सवाल ये नहीं है कि वे कौन हैं - सवाल ये है कि हम उन्हें इंसान की तरह देखने के लिए कब तैयार होंगे?

*एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर।

**असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर।

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

- ❖ भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन आधुनिक समाज में उन्हें अब भी सामाजिक असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। बहुत से शोध अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि यह समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक स्वीकृति जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित रहे है।
- ❖ शर्मा (2017) के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर नहीं अपनाया गया है, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मिश्रा (2019) के अध्ययन में यह उल्लेखित है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को बाल्यकाल से ही लिंग पहचान की वजह से भेदभाव का अनुभव होता है, जिससे उनके जीवन में असुरक्षा और हीनभावना उत्पन्न होती है।
- ❖ भारत सरकार द्वारा लागू किया गया ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक महत्वपूर्ण कानून के द्वारा पहल की गयी थी, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना था। हालांकि, सिंह (2020) का मानना है कि इस अधिनियम की कई धाराएं स्पष्ट नहीं हैं और पहचान प्रमाण पत्र जैसी चीजे इन्हें और अधिक भयभीत करती हैं।
- ❖ वर्मा एवं कौर (2021) ने अपने शोध में बताया कि शहरी क्षेत्रों में कुछ हद तक जागरूकताआ तो गई है, और कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, परंतु ग्रामीण भारत में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।
- ❖ दास (2022) ने शहरी और ग्रामीण ट्रांसजेंडर अनुभवों की तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएं और स्वीकृति है, लेकिन सामाजिक समावेशन अब भी सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों के आधार पर अधिक बहिष्कृत किया जाता है।

सामाजिक बहिष्कार की जमीनी तस्वीर

अपना घर ही पराया बन जाए, तो क्या बचेगा?

दिल्ली की सड़कों पर कई बार ऐसे ट्रांसजेंडर युवाओं से मिलना हुआ जो घर छोड़कर आए हैं। कोई 16 साल में निकाला गया, किसी को माँ ने रोते-रोते कहा - ''अब तू मेरा बेटा नहीं।'' यह सोचने वाली बात है - एक बच्चा जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे ही घर से धक्का मिल जाए, तो वो कहाँ जाएगा? इसीलिए कई बार ये बच्चे बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं - पर उस बोझ की कोई उम्र नहीं होती।

स्कूल? नहीं जनाब, वहाँ तो मजाक उड़ता है

बहुत से ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए स्कूल का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, तानों की दीवार भी है। दिल्ली के कुछ स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों ने बताया - ''बच्चे तो बच्चे, कई बार टीचर भी नाम बिगाड़कर बुलाते हैं।'' अब सोचिए - एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, वो हर रोज डर के साथ स्कूल कैसे जाएगा? और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, छोटे शहरों और गांवों में हालत और भी खराब हैं।

इलाज नहीं, असहजता मिलती है

सरकारी अस्पतालों की लाइन में लगे ट्रांसजेंडर लोग अक्सर कहते हैं - ''डॉक्टर हमारा मजाक उड़ाता है, नर्स नाम सही से नहीं बुलाती।'' WHO ने भले ही ट्रांसजेंडर पहचान को मानसिक बीमारी मानना बंद कर दिया हो, लेकिन जो नजरिया अस्पतालों में मिलता है, वो अब भी बीमार ही है। इसीलिए कई लोग मेडिकल मदद लेने से डरने लगे हैं - और इस डर की कोई दवा नहीं है।

रोजगारः काम के बजाय सवाल मिलते हैं

आपने देखा होगा, कई बार ट्रांस लोग ट्रेन में या रेड लाइट पर भीख माँगते हैं। ये उनकी पसंद नहीं है, मजबूरी है। नौकरी देने वालों की सोच अब भी वही पुरानी है - ''कंपनी में कैसे फिट होंगे?'' ''कस्टमर क्या कहेगा?''

ये सब सवाल उस इंसान की काबिलियत पर नहीं, उसकी पहचान पर उठते हैं। अब बताइए - जब पहचान ही सवाल बन जाए, तो जवाब कहाँ मिलेगा?

कानूनों की रोशनी: बातें कागजों पर तो हैं, जमीन पर कब आएंगी?

NALSA बनाम भारत संघ (2014): एक ऐतिहासिक मोड़

सुप्रीम कोर्ट का NALSA फैसला ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक बड़ी राहत था। पहली बार उन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। फैसले में साफ कहा गया कि ट्रांसजेंडर लोगों को शिक्षा, नौकरी और इलाज में बराबरी मिले - लेकिन जैसे दिल्ली में ट्रैफिक लाइट भले हरी हो जाए, गाड़ी तभी चलती है जब सामने वाले चलें। ठीक वैसे ही, ये फैसले भी अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक समाज साथ न दे।

ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

इस कानून ने पहचान पत्र, भेदभाव से सुरक्षा और पुनर्वास की बात की- सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन असल में, कई ट्रांस लोग बताते हैं कि पहचान पत्र लेने की प्रक्रिया में उन्हें बार-बार अपनी पहचान "साबित" करनी पड़ती है - और वो भी अधिकारियों के सामने, जिनमें अक्सर संवेदनशीलता की कमी होती है।

कागज पर सम्मान तो मिल गया, लेकिन व्यवहार में अभी बहुत कुछ बाकी है।

कुछ अदालतें जो मिसाल बन गईं

- ❖ मद्रास हाई कोर्ट ने एक ट्रांस महिला को "दुल्हन" मानकर शादी की कानूनी मान्यता दी - ये सिर्फ फैसला नहीं, एक समाज के लिए आईना था।
- ❖ तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण और पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा का आदेश दिया।

ये मिसालें हमें उम्मीद देती हैं - कि बदलाव मुमकिन है, अगर अदालतों जैसी सोच समाज में भी आ जाए।

जब कला और आवाज से खुलती हैं पहचान की परतें

सहोदरी फाउंडेशनः शब्दों से सशक्तिकरण

ये संगठन ट्रांस महिलाओं को लेखन, थिएटर और डिजिटल माध्यमों से खुद की बात कहने का मौका देता है। ऐसा मंच जो सिर्फ (दिखावा) नहीं, बल्कि असली कहानियाँ सामने लाता है।

यहाँ किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती कि वे कौन हैं - यहाँ बस सुना जाता है, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है।

अरावणी आर्ट प्रोजेक्टः जब दीवारें बोलती हैं

सोचिए दिल्ली की किसी पुरानी, उखड़ी दीवार पर एक ट्रांस कलाकार की पेंटिंग हो - क्या वो सिर्फ दीवार रह जाती है? नहीं। वो एक आवाज बन जाती है।

अरावणी आर्ट प्रोजेक्ट यही करता है - समाज के बीच में ट्रांसजेंडर पहचान को खूबसूरती से पेश करता है। जहाँ शब्द काम न करें, वहाँ रंग बोलते हैं।

मीडियाः अब थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है नजरिया

पहले फिल्मों में ट्रांसजेंडर किरदारों को मजाक की तरह दिखाया जाता था। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। 'चंडीगढ़ करे आशिकी' जैसी फिल्में या 'Made in Heaven' जैसी सीरीज ने ट्रांस किरदारों को गरिमा के साथ पेश किया है। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनकी पहुंच बहुत दूर तक जाती है।

निष्कर्षः बदलाव तब ही होगा जब सोच बदलेगी

यह बात अब साफ हो चुकी है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। हाँ, कानून आए हैं, कुछ जागरूकता बढ़ी है - पर असली जंग तो अब भी समाज की सोच से है। शायद हमें अब ये पूछना बंद करना चाहिए कि "वे कौन हैं?" और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि "हम कौन हैं अगर उन्हें अपनाने में झिझकते हैं?" समावेशी

समाज सिर्फ संविधान से नहीं बनता - वो बनता है जब लोग दिल से स्वीकार करें। हमें जरूरत है कि:

- ❖ ट्रांस बच्चों को घर और स्कूल दोनों जगह स्वीकारता और उचित स्थान और समावेशिता मिले।
- ❖ स्वास्थ्य सेवाएं और नौकरी के मौके सभी के लिए खुले हों।
- ❖ और सबसे जरूरी - हम सवाल करने के बजाय साथ खड़े हों।

क्योंकि बराबरी कोई एहसान नहीं, एक हक है - और इस हक के लिए खड़ा होना अब हमारी जिम्मेदारी है।

संदर्भ (References)

1. शर्मा, र. (2017) -भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर की स्थिति: एक सामाजिक अध्ययन. भारतीय सामाजिक शोध पत्रिका, 45(2), 112-120.
2. मिश्रा, प. (2019) - लैंगिक पहचान और ट्रांसजेंडर अनुभव. नई दिल्ली: राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रकाशन।
3. सिंह, एन. (2020) - ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2019 का मूल्यांकन. कानूनी दृष्टिकोण, 12(1), 55-63.
4. वर्मा, एस., - कौर, जी. (2021) - शहरी भारत में ट्रांसजेंडर समावेशन की चुनौतियाँ. सामाजिक परिवर्तन, 18(4), 20-210.
5. दास, ए. (2022) - ग्रामीण बनाम शहरी ट्रांसजेंडर जीवन: अनुभवों की तुलना. भारतीय जेंडर स्टडीज, 9(3), 134-145.
6. NALSA बनाम भारत संघ (2014) - सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' की मान्यता दी। https://indiankanoon.org/doc/193543132/
7. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 - भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम। https://socialjustice.gov.in
8. World Health Organisation (WHO), ICD-11 - ट्रांसजेंडर पहचान को मानसिक बीमारी से हटाने का निर्णय। https://www.who.int
9. National Human Rights Commission (NHRC) Report (2018) - ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट। https://nhrc.nic.in
10. Sahodari Foundation - ट्रांसजेंडर अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम करने वाला संगठन। https://sahodari.org

11. Aravani Art Project - कला के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान को मंच देने वाली पहल। https://aravaniartproject.com
12. Orinam.net - ट्रांस और LGBTQIA+ समुदाय के लिए संसाधन पोर्टल। https://orinam.net
13. UNDP India: Hijra Habba Reports - ट्रांसजेंडर मुद्दों पर आधारित रिपोर्ट्स। https://www.in.undp.org
14. Indian Express - स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं पर रिपोर्ट। https://indianexpress.com
15. The Hindu - ट्रांस महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य पर रिपोर्ट। https://thehindu.com
16. Yogyakarta Principles (2006) - लैंगिक पहचान और यौनिक अधिकारों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश। https://yogyakartaprinciples.org

8.

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की शैक्षणिक स्थिति का वर्तमान परिदृश्य
चुनौतियाँ और संभावनाएं

कु. मनीषा* और डॉ. ममता उपाध्याय**

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता जैसे महत्वपूर्ण अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, परंतु आजादी के 78 सालों के बाद भी भारत का एक लैंगिक अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा है जो अपने अस्तित्व एवं अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और वह वर्ग है -ट्रांसजेंडर समुदाय। ट्रांसजेंडर समुदाय में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो लैंगिक रूप से न तो नर और न ही मादा होने दावा कर सकते है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पूर्ण रूप से न महिला होना और न ही पुरुष समाज द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें बहिष्कृत, अपमानित तथा अनेक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। विडंबना यह है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसका

*शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

**प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

खुद का परिवार भी अस्वीकार कर देता है। अल्प आयु में ही परिवार और समाज द्वारा बहिष्कृत होने के कारण उनकी शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती। भारत में 2011 में हुई जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल जनसंख्या 4.88 लाख थी, जिसमें उनकी साक्षरता दर 46% है। सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास हेतु अनेक कार्य किए गए हैं, किंतु इन सब के बावजूद भी उनकी स्थिति में ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है विशेषकर उनकी शैक्षणिक स्थिति में। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह न केवल जीविका के लिए बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास हेतु भी आवश्यक होती है। अगर समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो देश भी उन्नति और प्रगति करेगा। इस दृष्टि से ट्रांस जेन्डर समुदाय के लिए शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य

- ❖ भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना ।
- ❖ भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की शैक्षणिक स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन करना।
- ❖ भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना ।
- ❖ चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास करना।

अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत शोध-पत्र गुणात्मक और वर्णनात्मक प्रकृति का है, जो प्रमुख रूप से द्वैतीयक आंकड़ों पर आधारित है जिनका संकलन पत्रिकाओं, शोध पत्रों, समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि के माध्यम से किया गया है।

ट्रांसजेंडर समुदाय की ऐतिहासिक स्थिति

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय कोई नवीन समुदाय नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसी प्रमुख सभ्यताओं में भी हमें ट्रांसजेंडर समुदाय की

अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। मुगल काल में ट्रांसजेंडर समुदायों को प्रशासन, हरम सुरक्षा, राजनीतिक सलाहकार आदि के रूप में प्रमुख भूमिकाओं को निभाने का दायित्व दिया गया था। मुगल काल में ट्रांसजेंडर समुदायों की स्थिति काफी अच्छी थी, परंतु ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार अपनाया गया जिससे उनके सामाजिक सम्मान में कमी देखी गई। आजादी के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को समाप्त कर दिया गया, परंतु समाज के द्वारा उन्हें बेदखल करने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे पुलिस द्वारा प्रताड़ित होना, बीमारी के साथ जीना, जीविका के लिए नाचना, गाना, भीख मांगना, शरीर को बेचने जैसे माध्यमों का सहारा लेना आदि। 1994 में ट्रांसजेंडर समुदायों को मत का अधिकार मिला परंतु महिला और पुरुष मात्र दो वर्गों के आधार पर उन्हें मतदान पत्र प्राप्त हुए। 2009 में चुनाव आयोग के द्वारा मतदान पत्रों में उन्हें अपने लिंग का चयन करने की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि ट्रांसजेंडर को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं - जैसे स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति और शिक्षा का अधिकार। ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के रूप में पहचान प्रदान की गई।

ट्रांसजेंडर समुदाय की शैक्षणिक स्थिति

भारत में 2011 में हुई जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल जनसंख्या 4.88 लाख थी, जिसमें उनकी साक्षरता दर 46% है, जिसका मुख्य कारण है- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था व विचार का न होना। ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति को परिवार समाज एवं रिश्तेदार आदि के डर के कारण स्कूल नहीं भेजा जाता और जो जाना चाहते हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिस कारण कुछ समय बाद वह भी स्कूल जाना बंद कर देते हैं। एक शोध-पत्र के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय के जिन 10 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया उनमे से एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने बताया कि उन्हें उनके माता-पिता द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु अल्पायु में ही छोड़ दिया गया था। उन्हीं में से एक अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा बताया गया

उनके माता-पिता द्वारा उन्हें अपने घर में स्थान नहीं दिया गया, किंतु उन्हें उनकी शिक्षा हेतु प्रेरित करने तथा खुशी के अवसर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस तरह का सामाजिक व्यवहार उनका सही प्रकार से शिक्षित न होने और जीविका के लिए अच्छा रोजगार न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भीख मांगने, ताली बजाने, शरीर को बेचने के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं मिलता है। समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर समाज में नए आयाम स्थापित किए हैं, परंतु समाज के द्वारा उनके साथ भी असामान्य व्यवहार अपनाया जाता है, सम्मान जो उनका अधिकार है उसे पाने के लिए उन्हें लड़ना पड़ता है। इस स्थिति मे ट्रांसजेंडर समुदाय में धारणा बन गई है कि हम चाहे कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर ले, चाहे कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, समाज के द्वारा हमें सम्मान और इज्जत नहीं दी जाएगी। इस तरह की सामाजिक अस्वीकृति के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा के अवसर काफी हद तक कम हो जाते है और उनका स्कूल से दाखिला हटाने जैसे मामले अधिक सामने आते हैं।

शिवकमी और वीणा (2011) द्वारा 120 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर अध्ययन किया गया, जिनमें से 56% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त की गई थी। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा उनके साथ सही व्यवहार न करने ओर अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों के कारण उन्हें स्कूल जाने में सहज महसूस नहीं होता था जिसके कारण उनकी आगे की पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाई।

सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय की शैक्षणिक स्थिति सुधारने हेतु किए गए प्रयास

भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को सुधारने हेतु प्रयास कर रहे हैं जैसे तमिल नाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो ट्रांसजेंडर सामाजिक नीति शुरू कर के ट्रांसजेंडर समावेशन को सफलतापूर्वक लागू कर पाया है। इसके साथ ही तमिलनाडु 2018 में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करने वाला भी प्रथम राज्य बन गया है। तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़

सरकार के द्वारा भी ट्रांसजेंडर समुदायों को मजबूत करने हेतु 3000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम तैयार किया गया। त्रिपुरा के द्वारा भी ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक तौर पर मजबूत करने हेतु उन्हें महीने के 5000 अनुदान देने की घोषणा की गई है। 2016 में केरल के कोच्चि शहर में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर स्कूल 'शहर इंटरनेशनल स्कूल' की स्थापना की गई और 2021 में महाराष्ट्र के श्री महाशक्ति चौरिटेबल ट्रस्ट जैसे गैर लाभकारी संगठन के द्वारा ट्रांसजेंडर स्कूल की स्थापना की गई। 2021 में ही देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कर्नाटक राज्य ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए सभी सरकारी सेवाओं में एक प्रतिशत आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य हो गया है। इन सभी प्रयासों की अतिरिक्त नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा देने की चर्चा की गई है, जिसमें यह वर्णन मिलता है कि हमें बालिका शिक्षा के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करना चाहिए, जिसमें केंद्र और राज्य द्वारा धन दिया जाये।

ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- परिवार और समाज के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वीकार न करना।
- अस्पतालों में उनके लिए कोई अलग से वार्ड का न होने के कारण समस्याओं से ग्रस्त होना, क्योंकि महिला वार्ड में महिलायें उनकी उपस्थिति में असहज और गैर स्वतंत्र महसूस करती है और पुरुष वार्ड में उनके साथ यौन शोषण की संभावना बनी रहती है।
- कार्य स्थल पर भेदभाव और अमानवीय व्यवहार के कारण अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया जाता है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने से वंचित किया जाता है।
- अपमानजनक और भद्दे नाम से संबोधित करते हुए उनका मजाक बनाना आज के ट्रांसजेंडर युवा के मन को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाते हैं ।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विश्वविद्यालयों और स्कूलों के भीतर

समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण का अभाव पाया जाना, जिस कारण छात्रों को प्रवेश लेने के बाद अपना प्रवेश रद्द करना पड़ता है।

- ❖ कुछ गिनी चुनी संस्थाएं ही ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने और रोजगार देने मे रुचि दिखा रही हैं। एक अध्ययन में यह बताया गया कि शहर के 10 टॉप संस्थानों में से केवल एक संस्था में ही 41 ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रवेश दिया गया बाकी 9 संस्थानों में किसी भी ट्रांसजेंडर छात्र को प्रवेश नहीं मिला।

ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव

- ❖ एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय सहज और अच्छा महसूस कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में शिक्षकों के द्वारा छात्रों को ट्रांसजेंडर के बारे में शिक्षा प्रदान की जाए और उनको भी समाज के एक अंग के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- ❖ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से शौचालय तथा अलग से अस्पतालों में वार्ड की स्थापना की जानी चाहिए।
- ❖ अपमानजनक नामों के उपयोग के स्थान पर उन्हें उनके नाम से संबोधित किया जाना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का सम्मान और गरिमा होती है।
- ❖ समाज और परिवार को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वाभाविक रूप में स्वीकार करें क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है।
- ❖ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी विभागों में कुछ सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।
- ❖ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए करियर काउंसलिंग, स्वास्थ्य, कौशल निर्माण जैसे कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उनमें योग्यता का विकास हो सके और वह समाज में सम्मान पूर्वक जी सकें।

- ❖ स्कूल-कॉलेज जैसे संस्थानों में महिला प्रकोष्ठ की तरह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी भेदभाव के विरुद्ध प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा शिकायत करने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- ❖ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विकास, उन्नति और पुनर्वास के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
- ❖ ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थिति, उनकी आयु, साक्षरता दर, कॉलेज में उनके प्रवेश और कॉलेज से ड्रॉप आउट के संबंध में प्रामाणिक आंकड़ों की आवश्यकता है जिसके लिए अगली जनगणना, सरकारी एवं गैर सरकारी शोध सर्वेक्षण के माध्यम से डाटा एकत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- ❖ ट्रांसजेंडर समुदाय के सफल व्यक्तियों को रोल मॉडल की रूप में प्रस्तुत कर ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय 4000 वर्षों से अधिक समय से मौजूद है। इतिहास के मुगल काल तक ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति अच्छी थी, परंतु जैसे ही ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ, उनकी स्थिति में नकारात्मक गिरावट आई। आजादी के इतने सालों के बाद आज भी वह अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनके सामने आज भी पहचान का संकट है। समाज में उन्हें यौन हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। हर्ष का विषय है कि भारत के अनेक राज्य सरकारों द्वारा उनकी उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त किया गया है। जैसे -जोईता मंडल भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बने। पृथ्वी याषिनी का भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी, एडम हरी का भारत प्रथम एयरलाइन पायलट होना इस समुदाय की स्वाभाविक योग्यता एवं सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बावजूद ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं आया है। परंतु आशा की जा सकती है कि देश

और सरकार के प्रयास सफल होंगे और भविष्य में यह पूरी संभावना है कि उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। आवश्यक है कि समाज द्वारा भी अपनी मानसिकता में बदलाव किया जाए तथा एक प्रगतिशील एवं न्यायपूर्ण सभ्य समाज की दिशा मे कदम बढ़ाया जाय।

संदर्भ-सूची

1. आगा, ई. (2019, 4 दिसंबर) भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कोई भी ट्रांसजेंडर छात्र नहीं है, सरकारी डेटा बताता है, लेकिन यहाँ ''दूसरा'' पक्ष है। न्यूज 18. https://www.news18.com/news/india/r transgender-students-in-indias-central-universities-govt-data-indicates-but-theres-the-other-side-2410993.html

2. अरीबा. (2023, 10 जुलाई). समझाया गयाः भारत के ट्रांसजेंडर समुदाय का संक्षिप्त इतिहास. द इंडियन एक्सप्रेस https://indianexpress.com/article/explained/explained-culture/starbucks-history-transgender-community-india-8616767/

3. कुमार, अंकित [2020] भारतीय ट्रांसजेंडर एक विरोधाभासी पहचान वाला सीमांत समुदाय,एरो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 23, इश्यू 3

4. गंगवार, अंकित (2022) भारत में किन्नर शिक्षा- शैक्षणिक स्थिति, समस्या और सुझाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट, वॉल्यूम 10

5. चंद्रा, सतीश [2017] ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड रेयांग्मेंट इन सोसाइटी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन रिसर्च स्टडीज

6. बालू, अ. (2020) कंफर्ट इश्यू ऑन एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इन इंडिया, ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस

7. विश्वास, संतु, (2022) एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इन इंडिया- प्रेजेंट सिनेरियो एंड फयूचर कंसर्न, जर्नल ऑफ उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नैनीताल।

8. श्रीवास्तव, डी. (2023, 9 दिसंबर) उच्च शिक्षा में ट्रांस छात्रः पुणे के संस्थानों में कम संख्या, गैर-मौजूद सुविधाएँ द इंडियन एक्सप्रेस https://indianexpress.com/article/cities/pune/

9.

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याएँ
सामाजिक अलगाव से सामाजिक समावेश तक

माधुरी पाल*

प्रस्तावना

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'नालसा बनाम भारत सरकार'ख्2014, के ऐतिहासिक निर्णय में ट्रांसजेंडर को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहां कि ''हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी लैंगिक पहचान स्वयं तय करें चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर।'' ट्रांसजेंडर को उन्हें समान अधिकार देने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। किंतु इसके बावजूद भी व्यवहारिक जीवन में उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है वह अभी भी उपेक्षित जीवन जी रहे हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय को हमारे भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर को किन्नर, हिजडा, थर्ड जेंडर, अरवानी, जोगप्पा, खोजा, कोठी इत्यादि अलग -अलग

*असिसटेंट प्रोफेसर, गृह-विज्ञान, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

नामों से जाना जाता है। ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित जैविक लिंग से मेल नहीं खाती है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म पुरुष या स्त्री के रूप में हुआ है लेकिन उसका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अनुभव इसकी विपरीत है तो वह व्यक्ति ''ट्रांसजेंडर'' कहलाता है।

ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जो पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाओं से अलग होते हैं जैसे -एक व्यक्ति जिसे जन्म के समय पुरुष माना गया था लेकिन वह अपने आपको महिला महसूस करता है और उसी रूप में जीना चाहता है, ट्रांसजेंडर कहलाता है, या कोई व्यक्ति जो स्वयं को ना पुरुष मांगता है ना महिला बल्कि किसी तीसरे लिंग के रूप में स्वयं को पहचानता है ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आता है। ट्रांसजेंडर होने का तात्पर्य समलैंगिक होने से अलग है। लैंगिक पहचान (GENDER IDENTITY) और यौन रुचि (SEXUAL ORIENTATION) दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

ट्रांसजेंडर कि श्रेणियां

- **ट्रांसवुमन (TRANSWOMAN)** - वह व्यक्ति जो जन्म से पुरुष होता है लेकिन स्वयं को महिला मानता हैऔर उसी रूप में अपना जीवन जीना चाहता है।
- **ट्रांसमैन (TRANSMAN)** - जो व्यक्ति जन्म से महिला होता है लेकिन स्वयं को पुरुष मानता है और उसी रूप में जीना चाहता है।
- **जेंडर-नॉन-बाइनरी (GENDER NON BINARY)** - ऐसे व्यक्ति जो ना पूरी तरह से पुरुष हैं ना पूरी तरह महिला बल्कि एक लचीली या मिश्रित लैंगिक पहचान रखते हैं।
- **हिजड़ा या किन्नर समुदाय**- भारत में पारंपरिक रूप से जो तीसरे लिंग के रूप में पहचाने जाते हैं जैसे- हिजड़ा, अरवानी, किन्नर आदि। यह सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक अलग पहचाने रखते हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर की समस्याएं

वर्तमान समय में ट्रांसजेंडर समुदाय कोसामाजिक स्तर पर सबसे अधिक

भेदभाव एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है-

- **पारिवारिक अस्वीकृति**- जब कोई बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक के समक्ष ट्रांसजेंडर की पहचान प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है तो उसे परिवार से निकाल दिया जाता है। जिससे वह शिक्षा, पारिवारिक सुरक्षा एवं भावनात्मक समर्थन से वंचित रह जाता है। वह पारिवारिक एवं माता-पिता से प्राप्त होने वाली पहचान से भी पूर्णतः वंचित हो जाते हैं। परिवार से उनके अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यह स्थिति उस बच्चे के लिए बहुत ही कष्टदायक एवं असुरक्षित होती है।

- **सामाजिक बहिष्कार**- भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। वह समाज की सामान्य गतिविधियों जैसे-मंदिर में जाना, धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होना, सामान्य व्यक्ति की तरह किराए पर मकान लेना, सामान्य व्यक्ति के तरह रोजगार पाने पर रोक लगा दी जाती है। अर्थात उन्हें पूर्णता सामान्य सामाजिक गतिविधियों से वंचित कर गुमनाम जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है उन्हें तरह-तरह के अपमान, तिरस्कार और हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। यह निरंतर उपेक्षा, तिरस्कार और हिंसा के कारण मानसिक तनाव अवसाद एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति के शिकार भी हो जाते हैं।

- **शैक्षणिक चुनौतियां**- बचपन से ही ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कूलों में अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सामान्य बच्चे ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों का मजाक बनाते हैं जिससे उनकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। वह अवसाद के शिकार होने लगते हैं या हिंसक प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। कई बार शिक्षक भी उनके साथ भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षित व्यवहार करते हैं। स्कूल और कॉलेज में लगातार तिरस्कृत होने के कारण यह अपनी शिक्षा प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाते जिससे वह अशिक्षित या कम शिक्षित रह जाते हैं या मजबूरन उनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ट्रांसजेंडर समुदाय

में उच्च शिक्षा का काफी हद तक अभाव पाया जाता है। उच्च- शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। सरकारी योजनाओं का लाभ इस समुदाय तक नहीं पहुंच पाता है जिससे वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

- **आर्थिक समस्याएं**- ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को जीवन यापन करने के लिए रोजगार संबंधी भेदभाव एवं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि हमारे समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्य धारा से अलग है जिसके कारण वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। यह जीवन यापन करने के लिए सेक्स वर्कर, भीख मांगना, बधाई मांगने जैसे कार्यों को करने तक सीमित रह जाते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को पहचान पत्रों की उपलब्धता भी आसानी से नहीं हो पाती है।

- **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं**- ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेक्स वर्क में सम्मिलित होने के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय एचआईवी संक्रमण से ग्रसित हो जाते हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी नही होती है जिससे ये डिप्रेशन, एंजायटी जैसी समस्याओं का सामाना करते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय में आत्महत्या दर भी बहुत अधिक होती है इन व्यक्तियों को अस्पतालों और क्लीनिक में सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलता है।

- **ट्रांसफोबिया एवं मनोवैज्ञनिक तनाव**- ट्रांसजेंडर समुदाय को उन लोगों की अपेक्षा जो स्वयं को विषम लैंगिक मानते हैं, हमारे समाज में बहुत अधिकउत्पीड़न, सहिष्णुता एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विभिन्न नैतिक, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण कुछ व्यक्ति ट्रांसफोबिया के शिकार हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरुप हमला करना, नकारात्मकता, कार्यस्थल इत्यादि पर उत्पीड़न का शिकार होते हैं। इन सभी कारणों से ट्रांसजेंडर समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उन्हें नकारात्मक निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है जिसके कारण

वह खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वे समाज में व्याप्त इन बुराइयों के कारण अकेलेपन, चिंता और असुरक्षा से पीड़ित हो जाते हैं।

❖ **पहचान संबंधी दस्तावेजों की समस्या**- भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता प्राप्त है परंतु आज भी उनकी पहचान संबंधी दस्तावेजों में उनकी सही पहचान दर्ज कराना एक बहुत बड़ी समस्या है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड जैसे विभिन्न प्रकार के आधिकारिक कागजातों में लिंग का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। अधिकतम ट्रांसजेंडर समुदाय के भारतीयों को उनके जन्म के समय से निर्धारित जैविक लिंग (महिला/पुरुष) के अनुसार दस्तावेज मिलते हैं जो क्योंकि उनके स्वयं द्वारा महसूस किए गए लिंग से मेल नहीं करते हैं। इस समस्या का मुख्य कारण कानूनी प्रक्रिया का जटिल होना, सामाजिक और प्रशासनिक अज्ञानता है। ''ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019'' के अंतर्गत लिंग पहचान बदलवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है तथा इसमें पारदर्शिता का भी अभाव है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को संदेहात्मक एवं उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है जिससे वे मानसिक रूप से आहत हो जाते हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के लिए सामाजिक समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास

1. शिक्षा, स्कॉलरशिप एवं रोजगार संबंधी पहल- भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से विभिन्न प्रकार की परेशानियों एवं भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और कुछ निजी संस्थानों में किस दिशा में कुछ सकारात्मक प्रयास किए हैं। कुछ राज्य सरकार और विश्वविद्यालय विशेष प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में ट्रांसजेंडर समुदाय के विद्यार्थियों को मुक्त शिक्षा, छात्रावास और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी विश्वविद्यालय को ट्रांसजेंडर छात्रों को

प्रवेश देने और उनके अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के छात्रों की फीस को माफ करने की एक सकारात्मक पहल की है।

ट्रांसजेंडर समुदायों को सरकारी विभागों में नौकरी प्राप्त करने हेतु कुछ राज्यों द्वारा उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की श्रेणी में सम्मिलित कर आरक्षण की घोषणा की है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये एक फैसले में तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को पुलिस भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश भी दिया है। यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में एक सराहनीय एवं मददगार होगा। कुछ निजी कंपनियों एवं कुछ सरकारी संस्थाओं ने ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को नौकरी देना शुरू किया है। टाटा स्टील, अर्बन कंपनी, फ्यूचर ग्रुप और कुछ आईटी कंपनियों ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

2. सरकारी योजनाएं– भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए एवं सामाजिक समावेशन हेतु कई विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरूकिया है। यह योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य आजीविका, आश्रय एवं पहचान संबंधी सुविधाओं हेतु तैयार की गई है।

- **SMILE योजना (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)**– यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकार का मंत्रालय द्वारा चलाई गई है इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भीख मांगने में संलग्न लोगों के लिए समग्र पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श, आवास एवं आश्रय गृह की व्यवस्था, शिक्षा एवं आर्थिक सहायता इत्यादि सुविधा प्रदान की जाती है। ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी जारी किया जाता है।
- **गरिमा गृह योजना**– इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को

आवास की सुविधा, भोजन की व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधित मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तैयार की गई है जो कि परिवार से बहिष्कृत कर दिए गए हैं या बेघर है। संपूर्ण देश में कई गरिमा गृह केंद्रों को स्थापित किया गया हैं जहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को पुनर्वासित करने की व्यवस्था की जाती है।

❖ **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)**- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत PM-JAY का लाभ दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। जिससे वह विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

3. राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल- (https://transgender.dosje.gov.in) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है और उनकी पहचान को मान्यता प्रदान करता है।

4. ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड- कुछ राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष बोर्ड गठित किया है। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को स्थापित किया है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विभिन्न योजना और कार्यक्रमों को संचालित करता है। हरियाणा सरकार द्वारा किन्नर भत्ता योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रतिमाह 2750 रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरीदाबाद जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इस समूह के माध्यम से उन्हें कैंटीन का संचालन करना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई जैसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

हरियाणा सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों की निगरानी

और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की स्थापना की गई है। इस सेल का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

5. पीएम दक्ष योजना– पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य इस समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार की अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना होता है।

6. एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठन) द्वारा किये गये प्रयास– कई प्रकार के गैर सरकारी संगठनों जैसे- नाज फाउंडेशन, ट्वीट फाउंडेशन, हमसफर ट्रस्ट, SAHODARAN इत्यादि ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, यौन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कानूनी सहायता एवं रोजगार प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। NGO ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन संचारित रोगों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता, काउंसलिंग एचआईवी/एसटीडी टेस्टिंग की सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। अनेक संस्थाएं ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज की संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु वर्कशॉप, सेमिनार, मीडिया अभियान के माध्यम से कार्यक्रमों द्वारा समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है।

इस प्रकार भारत सरकार और NGO दोनों मिलकर ट्रांसलेशन समझाएं किसी को सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं हालांकि इन सभी प्रयासों का वास्तविक प्रभाव तब होगा जब समाज भी इस समुदाय को समानता एवं सम्मान के साथ अपनाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति अनेक सामाजिक आर्थिक और मानसिक संघर्षों का सामना करते है। कानूनी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर कुछ सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी काफी प्रयास करना बाकी है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी समाज का अभिन्न अंग है यह अवसर हमारे समाज को सम्मान के साथ उनको प्रदान करना होगा। यह हमारा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है।

समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए समाज की सोच को परिवर्तित करना होगा। शिक्षा और नीति निर्माण में सक्रिय सहभागिता इस दिशा में सशक्त और सफल कदम साबित होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Agrawal, A., Gendered bodies: The case of the third gender in India contribution Indian society 31(2):273-297
2. Savain, S., Problem of Third Gender, Social issue of India, New Vishal Publication, New Delhi 2006
3. Kumar, A., Bharteeya Transgender: Ek Virodhabhasee pahchan vala Seemant samuday2020
4. Rajkumar; Education of Transgender in India; Status and Challenges: International Journal of Research in Economics and Social Sciences, Vol. 6 Issue11 November 2016
5. More.V., Problems of Transgender Community in India: A Sociological Study: Vivek Research journal special Issue 8th March 2021
6. Sawant, N., Transgender Status in India: Annals of Indian Psychiatry january2017 (https://www.researchgate.net/publication/322012741)

10.

भारतीय शिक्षा प्रणाली में ट्रांसजेंडर छात्रों का समावेशन चुनौतियाँ और समाधान

दीपक कुमार शर्मा*

प्रस्तावना

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वास्तविकता के रूप में सदियों से विद्यमान रहा है। प्राचीन ग्रंथों, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विवरणों में इनकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं, किन्तु आधुनिक काल में यह समुदाय सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और भेदभाव का शिकार होता आया है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ समान अवसर और समावेश का सिद्धांत प्रमुख होता है, ट्रांसजेंडर छात्रों को अनदेखा किया गया है। शिक्षा न केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति की पहचान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी को सशक्त बनाने का प्रमुख आधार भी है। परंतु ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए यह मार्ग बाधाओं से भरा हुआ है - सामाजिक अस्वीकार्यता, संरचनात्मक असमानताएँ, मानसिक उत्पीड़न और संस्थागत उदासीनता जैसी समस्याएँ उनके शैक्षिक अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। भारतीय संविधान ने सभी

*असिसटेंट प्रोफेसर, अध्यापक-शिक्षा विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नालसा बनाम भारत सरकार (2014) के ऐतिहासिक निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में विधिक मान्यता प्रदान करते हुए राज्य को उनके लिए विशेष उपाय अपनाने का निर्देश दिया। इसके पश्चात कुछ संस्थानों ने पहल अवश्य की है, किंतु शिक्षा प्रणाली का व्यापक ढाँचा अब भी इन छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समुचित रूप से समाहित नहीं कर पाया है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में ट्रांसजेंडर छात्रों की स्थिति

कानूनी और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने NALSA बनाम भारत सरकार (2014) में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें समान नागरिक अधिकारों का पात्र माना। इस फैसले के पश्चात् ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों की गारंटी दी गई। हालांकि इस कानून का क्रियान्वयन धरातल पर उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में "समावेशी शिक्षा" की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, किंतु ट्रांसजेंडर छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं- जैसे लिंग-तटस्थ पाठ्यक्रम, परामर्श सेवाएँ, और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन- के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। UGC और NAAC जैसे नियामक निकायों ने यद्यपि समावेशन को बढ़ावा देने की बात कही है, फिर भी अधिकतर शैक्षणिक संस्थान इन दिशानिर्देशों को अमल में लाने में पिछड़ रहे हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ

भारतीय समाज में लिंग को लेकर बनी पारंपरिक सोच ट्रांसजेंडर छात्रों को मुख्यधारा में शामिल नहीं होने देती। विद्यालयों में उनके साथ बुलिंग, मजाक, और बहिष्कार आम है। कई मामलों में शिक्षक भी इस भेदभाव में संलिप्त पाए गए हैं। इस तरह के व्यवहार से ट्रांसजेंडर छात्रों में ड्रॉपआउट दर बढ़ती है और वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कई बार अभिभावक भी अपने बच्चों की लैंगिक पहचान को स्वीकार नहीं करते,

जिससे मानसिक अवसाद, आत्मसम्मान की कमी और आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। ट्रांसजेंडर छात्रों के समग्र विकास में यह सामाजिक अस्वीकृति एक प्रमुख बाधा है।

संरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियाँ

शिक्षा संस्थानों में गैर-समावेशी भौतिक ढांचा ट्रांसजेंडर छात्रों की उपस्थिति को प्रभावित करता है। शौचालयों, छात्रावासों और खेलकूद जैसी गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए आवश्यक लैंगिक तटस्थ ढांचा अब भी अधिकांश संस्थानों में अनुपस्थित है। प्रवेश फॉर्म में लिंग विकल्पों की सीमितता (केवल ''पुरुष'' और ''महिला'') उन्हें अपनी वास्तविक पहचान दर्ज कराने से रोकती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी छात्रवृत्तियों और लाभ योजनाओं तक पहुंच भी जटिल प्रक्रिया और असंवेदनशील प्रशासनिक रवैये के कारण सीमित हो जाती है।

मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं की अनुपलब्धता

ट्रांसजेंडर छात्रों को अक्सर डिप्रेशन, एंग्जायटी और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, परंतु शिक्षा संस्थानों में उनके लिए विशेष परामर्श सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी और प्रशिक्षित काउंसलर्स का अभाव इस संकट को और गहरा करता है। समावेशी शिक्षा की संकल्पना में मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु अब तक कोई ठोस नीति इस दिशा में नहीं बन सकी है। यदि संस्थानों में जेंडर सेंसिटिव काउंसलिंग यूनिट्स स्थापित की जाएँ, तो यह ट्रांसजेंडर छात्रों के आत्मविश्वास को सशक्त बना सकती हैं।

शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की सीमाएँ

ट्रांसजेंडर छात्रों को न केवल विद्यालयों में भेदभाव झेलना पड़ता है, बल्कि उच्च शिक्षा और नौकरियों में भी उन्हें समान अवसर नहीं मिलते। प्लेसमेंट ड्राइव्स, इंटर्नशिप्स और कैरियर काउंसलिंग जैसी सुविधाओं से वे वंचित रह जाते हैं। नियोक्ता भी अक्सर ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के प्रति अनिच्छुक रहते हैं, जिससे वे अपनी शिक्षा का उपयोग व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं कर पाते। यदि शिक्षा प्रणाली में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और इंडस्ट्री लिंकज

सुनिश्चित किए जाएँ, तो ट्रांसजेंडर छात्रों को भी मुख्यधारा में समुचित स्थान मिल सकता है।

समाधान और सुधार के प्रयास

समावेशी शिक्षा नीति

भारत में ट्रांसजेंडर छात्रों के समावेशन के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि शिक्षा नीति में विशेष रूप से उनके लिए समावेशी उपायों का स्पष्ट उल्लेख हो। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में समावेशी शिक्षा की बात तो की गई है, लेकिन ट्रांसजेंडर छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का विस्तार से उल्लेख नहीं है।

- **स्पष्ट रणनीतियाँ और दिशानिर्देश:** सरकार को चाहिए कि वह ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अलग से शिक्षा नीति के उपखंड बनाए, जिसमें उनके प्रवेश, छात्रवृत्ति, आवास, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पहचान जैसे मुद्दों पर विशेष दिशानिर्देश हों।
- **छात्रवृत्तियाँ और शैक्षिक सहायता:** ट्रांसजेंडर समुदाय में अधिकांश लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर होते हैं। इसलिए उनके लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ, निशुल्क कोचिंग, किताबें और डिजिटल उपकरणों की सुविधा जैसे उपाय शिक्षा की निरंतरता के लिए जरूरी हैं।
- **प्रवेश प्रक्रियाओं में लचीलापन:** कई ट्रांसजेंडर छात्रों को अपनी लैंगिक पहचान से जुड़े दस्तावेज बनवाने में कठिनाई होती है। इसलिए प्रवेश प्रक्रियाओं में यह लचीलापन होना चाहिए कि छात्र अपनी स्व-घोषित पहचान के आधार पर आवेदन कर सकें।
- **विशेष कोटा या आरक्षण:** कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है। इस पहल को पूरे देश में विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि हर ट्रांसजेंडर छात्र को उच्च शिक्षा में समान अवसर मिल सके।

आरटीई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन की आवश्यकता

भारत में "शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009" सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसमें ट्रांसजेंडर बच्चों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार, NEP 2020 में भी ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा के लिए कोई ठोस रणनीति या क्रियान्वयन योजना नहीं दी गई है।

- **IRTE में लिंग विविधता का समावेश:** RTE अधिनियम में "बच्चा" शब्द की परिभाषा में लैंगिक पहचान के विविध स्वरूपों को भी शामिल करना आवश्यक है ताकि ट्रांसजेंडर बच्चे भी कानूनी रूप से इस अधिकार के अंतर्गत आएं।
- **NEP में लिंग आधारित विशिष्टता का समावेश:** NEP 2020 में "समावेशी शिक्षा" का विचार तो है, लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए कोई पृथक नीति या योजनाएं नहीं हैं। इस नीति में संशोधन करके ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और संरचनात्मक व्यवस्थाओं की अनिवार्यता जोड़ी जानी चाहिए।
- **दस्तावेजी पहचान की प्रक्रिया में सुधार:** कई बार ट्रांसजेंडर छात्रों के पास पहचान पत्र या जन्म प्रमाणपत्र पर उनके लिंग की सही जानकारी नहीं होती। RTE और NEP दोनों में यह प्रावधान होना चाहिए कि 'सेल्फ आइडेंटिफिकेशन' को मान्यता दी जाए और दस्तावेजों में आसानी से बदलाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- **स्थानीय शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही:** प्रत्येक जिले में शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

संस्थागत और संरचनात्मक सुधार

ट्रांसजेंडर छात्रों के समावेशन के लिए केवल सामाजिक जागरूकता और कानूनी नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं; जब तक शैक्षणिक संस्थानों की भौतिक और प्रशासनिक संरचना में बदलाव नहीं लाया जाएगा, तब तक वास्तविक

समावेशन संभव नहीं हो सकेगा। शिक्षण संस्थानों की मौजूदा संरचना मुख्यतः दोलिंगी (binary gender) व्यवस्था पर आधारित है, जो ट्रांसजेंडर छात्रों को न तो शारीरिक सुविधा देती है, न ही मानसिक सुरक्षा।

- **लैंगिक तटस्थ शौचालय और छात्रावासः** अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में केवल ''पुरुष'' और ''महिला'' के लिए ही शौचालय और छात्रावास की सुविधा होती है। ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए कोई सुरक्षित और उपयुक्त विकल्प नहीं होने के कारण उन्हें असहजता और कभी-कभी अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थानों में gender-neutral toilets और छात्रावास की व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपनी पहचान के अनुरूप सुरक्षित महसूस कर सकें।
- **ड्रेस कोड में लचीलापनः** कई शिक्षण संस्थानों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग यूनिफॉर्म निर्धारित होते हैं। ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ड्रेस कोड में लचीलापन आवश्यक है ताकि वे अपनी लैंगिक पहचान के अनुसार पोशाक चुन सकें। इससे उनकी आत्म-स्वीकृति और आत्मसम्मान को बल मिलेगा।
- **मेंटॉरशिप और परामर्श सेवाएँः** शारीरिक संरचना के साथ-साथ मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी अनिवार्य है। ट्रांसजेंडर छात्रों को स्कूल-कॉलेज में काउंसलर, मेंटर और सपोर्ट ग्रुप्स की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मानसिक तनाव, अस्वीकृति और अकेलेपन से उबार सकें। इन सेवाओं में लैंगिक विविधता को समझने वाले प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **आरक्षित सीटें और छात्रवृत्तियाँः** अर्थिक रूप से पिछड़े ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षित सीटों और विशेष छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे उनकी शैक्षिक निरंतरता को प्रोत्साहन मिलेगा और वे समान अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
- **समर्पित शिकायत प्रकोष्ठः** संस्थान में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक

विशेष शिकायत एवं सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ वे बिना किसी डर के अपनी समस्याएँ साझा कर सकें और उचित समाधान पा सकें।

प्रशासनिक प्रशिक्षण

शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर छात्रों के समावेशन के लिए केवल नीतियाँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन नीतियों को लागू करने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, क्लर्कों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को भी संवेदनशील और जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक है। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर जानकारी और समझ की कमी के कारण ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रवेश, प्रमाणपत्र, ड्रेस कोड, परीक्षा फार्म आदि से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन कर्मचारियों को यह सिखाया जा सकता है कि वे किस प्रकार ट्रांसजेंडर छात्रों की पहचान और अधिकारों का सम्मान करते हुए उनसे संवाद करें, उनके कागजात स्वीकार करें, और किसी प्रकार का भेदभाव न करें। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:

- **लैंगिक विविधता पर आधारित कार्यशालाएँ:** जहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि स्वयं आकर अपने अनुभव साझा करें, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक स्थिति की बेहतर समझ हो सके।
- **सांविधानिक अधिकारों की जानकारी:** प्रशासनिक कर्मचारियों को यह बताया जाए कि नालसा निर्णय और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर छात्रों के क्या अधिकार हैं।
- **समावेशी व्यवहार और संवाद की तकनीकें:** प्रशिक्षण में ऐसे संवाद और भाषा पर बल दिया जाए जो सम्मानजनक और समावेशी हो - जैसे कि उपयुक्त सर्वनाम (he/she/they) का प्रयोग।

इस प्रकार का प्रशिक्षण न केवल ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान को अधिक सुरक्षित और सहायक बनाएगा, बल्कि समावेशी शिक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम भी सिद्ध होगा।

निष्कर्ष

भारतीय शिक्षा प्रणाली में ट्रांसजेंडर छात्रों के समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु अब तक किए गए प्रयासों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तरों पर विद्यमान चुनौतियाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं। यद्यपि नालसा बनाम भारत सरकार (2014) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसे विधिक प्रावधानों ने ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता और अधिकार प्रदान किए हैं, तथापि शैक्षणिक संस्थानों में इन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया है। शोध से यह तथ्य उजागर होता है कि ट्रांसजेंडर छात्रों को न केवल सामाजिक अस्वीकार्यता और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, बल्कि संस्थागत अवसंवेदनशीलता, भौतिक अव्यवस्थाएँ और प्रशासनिक जटिलताएँ भी उनके शैक्षिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, परामर्श सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की अनुपलब्धता, उच्च शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सीमित अवसर, तथा पहचान आधारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लचीलापन न होना उनके समावेशन को और अधिक जटिल बना देता है।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक है कि नीति-निर्माण और कार्यान्वयन के स्तर पर एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें न केवल शिक्षा नीतियों में ट्रांसजेंडर छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को विधिवत रूप से समाहित किया जाए, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की संरचना, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, और मानव संसाधन प्रशिक्षण भी इस दिशा में पुनर्गठित किए जाएँ। इसके अंतर्गत लैंगिक तटस्थ अधोसंरचना, लचीली प्रवेश प्रक्रियाएँ, छात्रवृत्तियों और आरक्षण की व्यवस्था, तथा परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ीकरण प्रमुख रणनीतिक उपायों के रूप में सामने आते हैं। साथ ही, यह अनिवार्य है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) जैसे केंद्रीय शैक्षणिक दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों के अधिकारों और आवश्यकताओं का स्पष्ट एवं बाध्यकारी उल्लेख किया जाए। इसके माध्यम से ही समावेशी शिक्षा की परिकल्पना को यथार्थ रूप दिया जा

सकता है, जो न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और आत्मनिर्भरता की स्थापना में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में भी एक निर्णायक कदम होगा।

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान. भारत सरकार प्रकाशन विभाग, 1950.
2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य (NALSA बनाम भारत सरकार), 2014. Writ Petition (Civil) No. 400 of 2012.
3. भारत सरकार. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019. विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.
4. भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
5. RTE अधिनियम. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय.
6. Menon, Nivedita. Seeing like a Feminist. Zubaan, 2012.
7. Human Rights Watch. "India: Ensure Rights for Transgender People." Human Rights Watch, 2015, www.hrw.org/news/2015/04/15/india-ensure-rights-transgender-people.

11.

समकालीन वैश्विक परिदृश्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं चुनौतियां

मंजूषा राय* और डॉ. अरुंधती राय**

प्रस्तावना

ऐसा व्यक्ति जिनमें लैंगिक पहचान हार्मोन या क्रोमोसोमल अव्यवस्था की वजह से जैविक लिंग से भिन्न होती है ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहलाता है (Shaikh et al. 2016)[1]। यह, जैविक हार्मोनल गतिविधियां एवं वातावरणीय कारकों के सम्मिलित संयोजन के फल-स्वरूप बनता है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा कोई विशिष्ट जीन अभी तक जिम्मेदार नहीं पाया गया है। फल-स्वरूप ट्रांसजेंडर होना व्यक्ति के आंतरिक अनुवांशिक, मानसिक, जैविक एवं पर्यावरणीय कारकों का मिश्रित परिणाम है। ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक एवं कानूनी मानदंडों में भेदभाव तथा इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या व जागरूकता

*असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

**असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय, पलहीपट्टी, वाराणसी।

में कमी के कारण यह लोग अपने को हाशिए पर अनुभव करते हैं जिस वजह से इनके अंदर चिंता बढ़ती है और उनमें अवसाद की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह किसी क्षेत्र या धर्म विशेष का न होकर पूरे वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या है जहां ट्रांसजेंडर समुदाय भेदभाव और असमानता का शिकार व सामाजिक कलंक बना हुआ है (Sethi et al. 2018)[2]। वैश्विक स्तर पर ट्रांसजेंडर आबादी का अनुमान लगाना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि अलग-अलग देशों में इसकी सामाजिक स्वीकृति अलग-अलग तरीके से परिभाषित है जिसके कारण डेटा संग्रह की विधियां एवं तरीके भी अलग-अलग प्रस्तावित है। फिर भी 2021 में किए गए सर्वेक्षणिक अध्ययन के अनुसार जो विवरण प्रस्तुत किया गया उसमें जर्मनी एवं स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई गई जो आबादी का लगभग 3 प्रतिशत थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इनकी आबादी लगभग 0.6 प्रतिशत पाई गई। ऑस्ट्रेलिया में 2016 के सर्वेक्षणिक अध्ययन के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय की संख्या वहां के कुल आबादी की लगभग 1.2 प्रतिशत पाई गई। भारत में 2011 की जनगणना में सर्वप्रथम इनको ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में नामित किया गया एवं इनकी कुल संख्या लगभग 487803 पाई गई (https://en.wikipedia.org-)[6]।

उपरोक्त सभी आंकड़े उस संख्या को दर्शाते हैं जिनको कहीं लिखित रूप से अंकित किया गया था, इसलिए यह वास्तविक संख्या नहीं थी इसका मुख्य कारण यह है कि सामाजिक कलंक समझे जाने की वजह से ये लोग कभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाते और ऐसे में ये गुमनामी में ही रह जाते हैं और कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन वास्तविक संख्याओं की पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की चुनौतियां

दुनिया भर में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी भेद-भाव, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कलंक जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियां का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक एवं कानूनी असमानता

दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जहां लैंगिक पहचान बाइनरी सिस्टम (पुरुष

या स्त्री) के आधार पर की जाती है और इसी आधार पर उन्हें कानूनी एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त है। तीसरे प्रकार के लैंगिक समुदाय के लिए कोई कानूनी सामाजिक मानदंड का निर्धारण नहीं किया गया। ऐसे में इस समुदाय के लोगों के पास अपनी पहचान बताने के लिए कोई दस्तावेज ही नहीं होता जिससे इनकी विशिष्ट पहचान की जा सके परिणाम स्वरूप प्रतिबंधित समाज में ट्रांस व्यक्तियों को अपराधी-करण, हिंसा लिंग परिवर्तन और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। धीरे-धीरे कई देशों में अब इनकी पहचान को कानूनी एवं सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए तीसरी लैंगिक पहचान की मान्यता दी गई जिसे ट्रांसजेंडर नाम दिया गया।

बेरोजगारी व आर्थिक असमानता

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सीमित शैक्षणिक स्तर होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों में उच्च स्तर की बेरोजगारी होती है। ऐसा समुदाय समाज से अलग-थलग महसूस करने लगता है जिसके कारण ऐसे समुदाय के लोग कई अनौपचारिक व्यवसाय जैसे सेक्स वर्कर, ड्रग्स रैकेट, हिंसा इत्यादि में लिप्त पाए गए जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके।

स्वास्थ्य देखभाल एवं जागरूकता का अभाव

सामाजिक भेदभाव के कारण यह लोग स्वयं को समाज का हिस्सा नहीं समझ पाते क्योंकि जिस परिवार में इनका जन्म होता है वह सामाजिक दबाव के कारण इनको परिवार से अलग कर देता है। ऐसे में व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वह किसी से भी अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी समस्या और बढ़ती जाती है जो कि अवसाद में बदल जाती है। ट्रांसजेंडर समुदाय के स्वास्थ्य की जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र व प्रशिक्षित डॉक्टर की उपलब्धता में कमी होने के कारण इनका उपचार समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। जागरूकता में कमी के कारण इस समुदाय के लोग प्रशिक्षित नर्स व डॉक्टर से अपनी समस्याओं को बताने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों में शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं मुख्यतः जो दृष्टिगत होती है वह इस प्रकार है-

❖ शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या

इस समुदाय के लोगों में हृदय संबंधी रोग, अस्थि घनत्व में कमी रक्त से जुड़ी समस्याएं मुख्यतः देखी जाती है। ऐसे लोगों में प्रजनन अंगों के उचित देखभाल में कमी पाई जाती है जिसके कारण ऐसे लोगों से यौन संचारित संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। (Ganju D; 2017)[5] ने अपने अध्ययन में यह पाया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच पर्याप्त उचित ज्ञान की कमी होने के कारण एक्स्पोजर, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल की कमी देखी जाती है, इस कारण दुनिया भर में एचआईवी संक्रमण की व्यापकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से सामान्य व्यक्तियों की तुलना में 49 गुना ज्यादा एच. आई. वी. संक्रमण फैलता है। सामाजिक भेदभाव जैसी समस्या का डटकर मुकाबला करने के लिए इस समुदाय के लोग दवाओं का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं।

❖ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या

सामाजिक रूप से भेदभाव व सामाजिक संस्कृति के परिणाम स्वरूप ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों में चिंता एवं अवसाद जैसी समस्या बहुतायत देखी जाती है। जैविक लिंग पहचान एवं चयनित लिंग के बीच समुचित समायोजन न होने के कारण इनके अंदर भावनात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसको जेंडर-डिस्फोरिया (Gender Dysphoria) कहते हैं। अध्ययनों से यह पता चलता है कि सामान्य आबादी की तुलना में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों में आत्महत्या एवं अपने आप को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है (Christopher; 2016)[4]।

वैश्विक प्रशिक्षण में ट्रांसजेंडर समुदाय का स्वास्थ्य एवं अधिकार: विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में

यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश में ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर कानूनी संरक्षण एवं लैंगिक स्वास्थ्य के देखभाल की व्यवस्था बनाई गई है। कुछ देशों में इनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बावजूद भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भेदभाव व मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में

भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील इत्यादि देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानूनी सुरक्षा की शुरुआत नित्य नए आयामों के साथ लागू की जा रही है जो कि अभी तक पूर्णतया प्रभावित नहीं हो पाई है, इसके कारण से ऐसे समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा की कमी व स्वयं के प्रति जागरूकता में कमी, गरीबी, हिंसा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कमी दृष्टिगत होती है।

प्रतिबंधात्मक एवं रूढ़िवादी देश के परिप्रेक्ष्य में

रूढ़िवादी देशों जैसे मध्य-पूर्व (अरब देश) अफ्रीका एवं कुछ एशियाई देशों में कुछ कारणों की वजह से ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान अपराधी के समतुल्य की जाती है। ऐसे देश में इनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुतायत कमी देखी जाती है एवं इनको समाज का गंभीर कलंक मानकर इन्हें भूमिगत कर दिया जाता है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के सुधार के लिए रणनीति

ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित संपूर्ण चुनौतियों के सुधार के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित योजनाओं व क्रियाकलापों के आधारीय स्तर पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जो इस प्रकार है-

कानूनी सुधार

सामाजिक रूप से भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक भेदभाव विरोधी कानून सख्त नियमों के साथ लागू किया जाए जिससे व्यक्ति को कदम-कदम पर अपमान ना महसूस करना पड़े। कानूनी लैंगिक मान्यता के लिए आत्म पहचान पत्र की अनुमति को और सहज बनाना एवं समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्य स्थल परिवार एवं समाज में होने वाले भेदभाव से बचाना। सन 2014 से भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुरुष और महिला के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर समुदाय के रूप में तीसरे प्रकार के लिंग को मान्यता दी गई। इस कानून का मुख्य उद्देश्य इस समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना एवं ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल का अधिकार प्रदान किया जाना था। इसके द्वारा परामर्श सेवाएं व विशेष

योजनाओं का संचालन भी किया गया एवं विशेष चिकित्सा के लिए हेल्थ केयर संस्थानों की स्थापना की गई (The Transgender Person Act, 2019)[5]।

स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर सुधार

ट्रांसजेंडर समुदाय के स्वास्थ्य के अनुसार विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर एवं नर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जायें जिससे इस समुदाय के लोग बिना संकोच अपनी समस्या का इलाज करवा सके। इसके साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए समय-समय पर परामर्श सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए ।

सामाजिक जागरूकता एवं शिक्षा

विद्यालयी स्तर पर लैंगिक समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करना। सामाजिक कलंक की मान्यता को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से जागरूकता अभियान का समग्र रूप से संचालन करना। उनके प्रति स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए पारिवारिक परामर्श सेवाएं प्रदान करना जिससे इन लोगों को समाज की प्रवंचनाए न सहना पड़े। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शिक्षित किया जाए जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके।

सामुदायिक सहायता कार्यक्रम

ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो बेघर है उनके लिए सुरक्षित आवास का विकल्प स्थापित करना जिससे उनके हिंसक और दूसरी कुरीतियों को जड़ से समाप्त किया जा सके। कौशल विकास व रोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार निर्मित कर इन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करना।

उपसंहार

कुछ देशों में ट्रांसजेंडर समुदाय संबंधित समस्याओं को सुलझाने के उपायों के बावजूद भी इन्हें सामाजिक कानूनी और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सफलता पूर्वक संपादन करने के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती हैं, जिसमें सामाजिक शिक्षा, नीतिगत परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल सुधार आदि

चुनौतियां शामिल है। समाज में समावेशी और कानूनी संरक्षण को बढ़ावा देकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था प्रदान करके दुनिया भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है।

संदर्भ-सूची

1. Shaikh S, Mburu G, Arumugam V, Mattipalli N, Aher A, Mehta S et.al. Empowering Communities and strengthening systems to improve Transgender health: Outcomes from the Pehchan Programme in India. J Int AIDS Soc. 2016;19(2):1-9.
2. Sethi S, Barwa M. Transgender health and their rights in India. Int J Social Sci 2018;8(10):279-88.
3. Ganju D, Saggush N. Stigma, violence and HIV vulnerability among transgender person in sex work in Maharashtra, India. Cult Heal Sex. 2017;19(8): 903-17.
4. Christopher ALMS. HHS Public Access. Physical Behav. 2016;176(1):100-6.
5. The transgender persons (Protection of Rights) Act,2019. New Delhi: Gov India Press; 2019:15 (DI);1-8.
6. https://en.wikipedia.org- 6/4/2025 Time:9:15 PM.

12.

किन्नर समाज को नित नए आयाम प्रदान करता संगीत

डॉ. बबली अरूण*

'इतिहास में दर्ज किन्नरों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि इनकी सामाजिक उपयोगिता केवल शासकों अथवा नवाबों के हरमों तक थी। इनका सामाजिक अस्तित्व केवल इतना ही था। मुख्यधारा के लोगों में व्याप्त परम्परागत धारणाओं के कारण आज 21वीं सदी में भी उनकी दशा और दिशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह वैश्विक समाज में स्त्री-पुरुष से इतर तीसरी योनि के लोगों की ऐसी दुनिया है जो समाज में रहकर हाशिये पर जिन्दगी जीती है। यह तबका अस्तित्वविहीन जीवन जीता है और एक दिन गुमनामी की मौत मर जाता है। लिंगी समाज की मुख्यधारा में शामिल न हो पाने के कारण बधाई देकर उपहार में मिले पैसों से अपनी जीविका चलाने को मजबूर है। रिश्तों की तलाश में ये अपना समुदाय तलाशते हैं और ये आपस में ही बहन, माँ-बेटी, मौसी-नानी बन जाते हैं। यह समाज मुख्यधारा के समाज से अपने आपको स्वतन्त्र करते हुए एक अलग पहचान बनाता है जिसमें इनके रीति-रिवाज, तीज-त्योहार, रहन-सहन,

*असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर।

देवी-देवता आदि मौजूद हैं। इतना ही नहीं, परम्परागत रूप से भी इनकी संस्कृति हमारे समाज की संस्कृति से भिन्न होती है। किन्नर समुदाय के लिए संगीत एक आर्थिक सहायता का साधन है। वे धार्मिक और सामाजिक समारोहों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करके पैसे कमाते हैं। इसके अतिरिक्त, किन्नरों को सरकार और गैर-सरकारी संगठनों से भी वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे अपने जीवन के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।

किन्नर समुदाय पारंपरिक रूप से संगीत और नृत्य में कुशल होता है, और वे इन कौशलों का उपयोग समारोहों और अन्य अवसरों पर प्रदर्शन करके आय अर्जित करते हैं। सरकारें और गैर-सरकारी संगठन किन्नर समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। ये कार्यक्रम उन्हें कौशल विकास, रोजगार और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं. सन 2014 से मिले अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गए निर्णय से इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।

सामाजिक और धार्मिक समारोह

किन्नर समुदाय को अक्सर सामाजिक और धार्मिक समारोहों में आशीर्वाद और प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसके बदले में उन्हें धन और उपहार मिलते हैं।

आर्थिक सहायता

कुछ किन्नर संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी आय का मुख्य स्रोत बनाते हैं, जबकि अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से मिलने वाली सहायता पर भी निर्भर होते हैं।

समावेशिता

किन्नर समुदाय को समाज में अधिक समावेशिता प्रदान करने से वे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने और अपनी आजीविका चलाने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

संगीत और नृत्य

किन्नर समुदाय पारंपरिक रूप से शादी, जन्मदिन और अन्य सामाजिक समारोहों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिसके बदले में उन्हें धन और उपहार मिलते हैं।

सरकारी सहायता

कुछ सरकारें किन्नर समुदाय के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यवसाय ऋण योजनाएं चलाती हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं।

गैर-सरकारी संगठन

कई गैर-सरकारी संगठन किन्नर समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। किन्नर जिन्हें लगता है कि उनका किन्नर होना उनके लिए कलंक है तो वे इस कलंक को अब दूर कर सकते हैं। किन्नर अब अपना लिंग परिवर्तन कर महिला या पुरुष बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण व स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में किन्नरों के ऑपरेशन पर अध्ययन चल रहा है। सबकुछ ठीक रहा तो किन्नरों के ऑपरेशन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। शासन से हरी झंडी मिली तो थर्ड जेंडर ऑपरेशन के बाद सामान्य महिला व पुरूष की तरह जीने लगेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य निदेशक आर. प्रसन्ना ने बताया कि किन्नर को ऑपरेशन कर महिला व पुरूष बनाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सलाह व सहमति के बाद ही किसी किन्नर का ऑपरेशन किया जाएगा। किसी को जबर्दस्ती न महिला बनाया जाएगा और न ही पुरूष।

इस समाज ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत के माध्यम से अपनी एक अमित छाप छोड़ी है संगीत का किन्नर समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है किन्नरो को आर्थिक सहायता प्रदान करने में संगीत की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह शायद ही किसी अन्य विषय की रही हो। देश और विदेश में अनेकों ऐसे किन्नर समुदाय के लोग हैं जिन्होने अपना

वर्चसव स्थापित किया है और संगीत के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है ऐसे ही कुछ किन्नर समुदाय (ट्रांसजेंडर) के विषय में हम चर्चा करते हैं जिन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया है।

1. ट्रेसी ब्रेक

एक निर्माता हैं जिन्होंने अपनी अनूठी ध्वनि डिजाइन कर संगीत के साथ खुद के लिए नाम कमाया है। उनकी ध्वनि हाइपरपॉप, टेक्नो और प्रयोगात्मक इलेक्ट्रॉनिक संगीत के तत्वों को जोड़ती है और हाइपरपॉप दृश्य में कई शाखाओं को प्रभावित करती है।

2. जेन रिमूवर

वीडियो गेम साउंडट्रैक और इंडी रॉक से समान रूप से प्रेरित, जेन रिमूवर वास्तव में एक रहस्यमय गायक-गीतकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत में हैं। उनके सफल एलपी फ्रैल्टी, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और पिचफोर्क से 8.0 रेटिंग मिली। जिसने उनकी अनूठी आवाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

3. भोजन गृह

फूड हाउस एक उन्मत्त इंटरनेट सुपरग्रुप है जिसमें फ्रैक्सिओम और गुपी शामिल हैं। उनके हिट गाने ''थोस मोजर'' ने व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की, और पॉप संस्कृति और अस्पष्ट अंदरूनी चुटकुलों से भरी उनकी उदार ध्वनि को प्रदर्शित किया। साथ ही, गुपी के गतिशील वाद्य यंत्र और फ्रैक्सिओम के बेबाक गीतों के माध्यम से अधिक गहराई तक गूंजता है।

4. पेटल सप्लाई

कनाडाई निर्माता, गीतकार और गायिका पेटल सप्लाई ने प्रयोगात्मक पॉप की दुनिया में तेजी से ख्याति प्राप्त की है। कुछ ही रिलीज के बाद, वह अपनी सिग्नेचर बाउंसी साउंड डिजाइन के साथ धूम मचा रही हैं, जिसमें एक पिच, मेलोडिक पॉप संदर्भ में ट्रान्स और हार्डस्टाइल के तत्वों को शामिल किया गया है।

5. अंडरस्कोर

डेवन कार्फ मिडिल स्कूल से ही अंडरस्कोर के नाम से संगीत बना रही हैं, और ऑनलाइन बास संगीत मंडलियों में एक समर्पित अनुसरण का निर्माण कर रही हैं। 2021 में उनके दूसरे एल्बम फिशमॉन्गर की रिलीज ने उनके संगीत में गिटार को शामिल करने की दिशा में उनका पहला प्रयास चिह्नित किया, जिसने पॉप संगीत में एक नई ध्वनि का प्रदर्शन किया।

6. हूटीएफ

2021 में शिकागो में मिलने के बाद, जोड़ी फोली और फॉरगेट बेसमेंट ने एक रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा दिया और whoTF का गठन किया। फोली को उनके पॉप प्रयोगवाद और अति-जोरदार अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है, और फॉरगेट बेसमेंट के काम का विशाल शरीर कला-पॉप चोटियों से लेकर अंधेरे औद्योगिक बंजर भूमि तक संगीत परिदृश्यों को पार करता है।

7. कावरी

ग्लासगो, स्कॉटलैंड की एक बहु-प्रतिभाशाली कलाकार, निर्माता और डीजे, कावरी ने अपनी अनूठी शैली के साथ भूमिगत संगीत दृश्य में अपनी पहचान बनाई है जो औद्योगिक, परिवेश, क्लब और पॉप को एक मुख्य ध्वनि में मिलाती है। 2021 में स्कॉटिश अल्टरनेटिव म्यूजिक अवार्ड्स में "बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट" के लिए नामांकित, कावरी ने स्कॉटलैंड के कुछ सबसे लोकप्रिय स्थानों पर प्रदर्शन किया है, जिससे उन्होने एक उभरते सितारों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है।

8. गैलेन टिप्टन

गैलेन टिप्टन को उनके उपनाम "रिकवरी गर्ल" से भी जाना जाता है, उन्होंने इग्गी पॉप और डेविड बर्न जैसे उद्योग के दिग्गजों से मान्यता प्राप्त की है। उनका हालिया "ब्रेन स्क्रैच" साउंड TikTok पर वायरल हो गया है, जो ASMR, IDM और परिवेशी ध्वनियों के हाइपर-उत्तेजक मिश्रण बनाने के लिए उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। गैलेन टिप्टन ने विभिन्न प्रकार के कलाकारों के साथ सहयोग किया है, जिनमें जाइंट क्लॉ और होली वैक्सविंग

जैसे प्रयोगात्मक संगीत दिग्गजों से लेकर लिल मारिको और जीएफओटीवाई जैसे भूमिगत पॉप आइकन सम्मिलित हैं।

9. टीबीआई एक्सक्लूसिवः6-पैक बैंड

भारत का पहला ट्रांसजेंडर बैंड "6" बैंड, जिसमें फिद रवीना जगताप, आशा जगताप, चांदनी सुवप् कोमल जगताप और भाविका पाटिल जैसे प्रतिभाशाली लोग शामिल हैं। ट्रांसजेंडर कलाकारों ने संगीत के विभिन्न पहलूओ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि गाने, रचना और प्रदर्शन। कई ट्रांसजेंडर कलाकार अपनी आवाज और लगन से अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं, जैसे- भारत के पहले ट्रांसजेंडर बैंड का कहना है, कि "आधा भारत अब भी हमें अलग मानता है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि दूसरा आधा हिस्सा चाहता है कि हम गाएं"

भारतीय बैंड के यह छह सदस्य एक साथ आए और फैरेल विलियम्स के हिट गाने हैप्पी का कवर वर्जन प्रस्तुत किया। अंग्रेजी और हिंदी बोलों के मिश्रण वाले इस गाने को 20 दिनों से भी कम समय में 1.5 मिलियन से ज़्यादा हिट मिले। ये सभी ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य हैं।

यह गीत ट्रांसजेंडर समुदाय की भावनाओं को व्यक्त करता है। बैंड के तीन सदस्यों - भाविका पाटिल, आशा जगताप - और उनकी गुरु रवीना जगताप का क्या कहना है-

भाविकाः हम यह संदेश देना चाहते थे कि हमारा समुदाय आमतौर पर खुशी से जुड़ा हुआ है। जब भी किसी परिवार में कोई खुशी का मौका होता है जैसे कि बच्चे का जन्म या शादी, हम वहां होते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ खुशी के पल साझा करते हैं।

आशाः भाविका पहले भी परफॉर्म कर चुकी हैं। वह एक वीडियो का हिस्सा थीं जिसमें ट्रैफिक सिग्नल पर कार चालकों से सीटबेल्ट पहनने का आग्रह किया गया था। मेरे लिए, यह एक सपने जैसा था। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे यह अवसर मिला। मुझे शुरु में बहुत डर लगा क्योंकि मैंने पहले केवल पारिवारिक समारोहों में ही हिस्सा लिया था। इस तरह के गाने मे नहीं। मुझे खुशी है कि यशराज फिल्म्स के लोग, जो बैंड और गाने के निर्माण के

पीछे हैं, बहुत सहायक हैं। वह कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद चीजें किस प्रकार बदल गई हैं।

रवीनाः लोग बदलने लगे हैं। आधे लोग हमें स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन आधे लोग अभी भी हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमसे डरते हैं। 'तैयब अली प्यार का दुश्मन' से लेकर 'हम हैं हैप्पी' गाने तक हम बहुत आगे निकल आए हैं। किसी भी बदलाव में समय लगता है। हमें उम्मीद है कि यह गाना बदलाव लाने में मदद करेगा, खासकर सोशल मीडिया पर गाने को मिले कमेंट और लाइक को देखते हुए।

संगीत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अपनी पहचान बनाने और अपनी आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है।

कुछ ट्रांसजेंडर कलाकार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) लेते है।जिस कारण उनकी आवाज में बदलाव -आ सकता है, लेकिन यह उनके गायन कैरियर को प्रभावित नहीं करता है।

सामाजिक पहचान

संगीत कला किन्नरों को समाज में एक विशेष पहचान प्रदान करती हैं, जो उन्हें अपने समुदाय के भीतर और बाहर दोनों जगह मजबूत और संगठित रहने में मदद करती है।

सांस्कृतिक विरासत

ये कला forms उनकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, जो उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने भविष्य के लिए एक आधार प्रदान करती है।

सामुदायिक एकजुटता

संगीत कला किन्नरों को एक साथ आने और अपने अनुभवों को साझा करने का एक माध्यम प्रदान करती है। जो उन्हें एकजुट और एक दूसरे को समर्थन प्रदान करने की प्रेरणा देती है। जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का

एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अक्सर धार्मिक समारोहों और अन्य अवसरों पर भी संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके समुदाय के भीतर उत्सव और खुशी का माहौल बनाते हैं।

किन्नर समाज में, संगीत और कला को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है, जो उन्हें नए कौशल सीखने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने में मदद करता है।

निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं। संगीत कला किन्नर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है जो उन्हें अपनी संस्कृति को बनाए रखने, अपनी पहचान को व्यक्त करने और समुदाय के भीतर एकजुटता बनाए रखने में मदद करता है।

संदर्भ

1. डॉ. खन्ना प्रसाद अमीन, किन्नर समाज और साहित्य , श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली।
2. चौहान बिंद कुमार और पासी संगीता कुमारी, किन्नर विमर्श- शिक्षा समाज और साहित्य, हंस प्रकाशन दिल्ली।
3. सिंह आंबेडकर कुमार, यक्ष किन्नर और दिगपाल, परिमल प्रकाशन।
4. प्रसाद रेशमा ,भारतीय वाङ्मय एवं कालक्रम किन्नर व दर्शन, प्रभात प्रकाशन।
5. यमन अशोक कुमार, प्राचीन भारतीय संगीत,कल्पना प्रकाशन।
6. वेद भारत, किन्नर का प्रेम, बुक क्लिनिक पब्लिशिंग।

13.

जेंडर-अफर्मिंग (लिंग पुष्टिकरण) सर्जरी और नई प्रगति पहचान और सम्मान की ओर एक कदम

डॉ. नेहा त्रिपाठी* और डॉ. विनीता सिंह**

परिचय

लिंगात्मक अस्तित्व(जेन्डर आइडेंटिटी) हमारे व्यक्तित्व का मूल हिस्सा है। कोई व्यक्ति स्वयं को पुरुष, महिला या इसके बीच कुछ भी महसूस कर सकता है जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब कभी किसी व्यक्ति का शरीर उसकी पहचान से मेल नहीं खाता, तो वह व्यक्ति एक गहरी असहजता महसूस करता है, जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। जिसके कारण व्यक्ति समाज में अपने को अलग थलग महसूस करता है और अपने जैसे ही लोगों को ढूंढने का प्रयास करता है एवं इसी प्रयास मे कई लोग अपने कपड़ों, हेयरस्टाइल, नाम, आवाज, हार्मोन और कभी-कभी सर्जरी के माध्यम से बदलाव लाने के लिए चिकित्सकीय सहायता लेते हैं। इसे ही जेन्डर अफरमिंग सर्जरी के नाम

*असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर।

**असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर गौतमबुद्ध नगर।

से जाना जाता है।

जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी आज सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और खुशहाल जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन चुकी है। पहले इन सर्जरियों पर कम शोध था, लेकिन अब दुनिया भर में डॉक्टर, वैज्ञानिक और समाज इसे गंभीर स्वास्थ्य आवश्यकता के रूप में पहचान रहे हैं।

सर्जरी से पहले की तैयारी/ आवश्यकता

सर्जरी केवल शरीर पर किया गया बदलाव नहीं है बल्कि यह एक भावनात्मक और मानसिक यात्रा भी है। इसलिए डॉक्टर प्रायः सलाह देते हैं कि व्यक्ति मानसिक परामर्श ले, हार्मोन थेरेपी समझे और परिवार या विश्वसनीय लोगों से समर्थन प्राप्त करे एवं उसके पश्चात ही लिंग बदलाव कराने का निर्णय ले। इसके अतिरिक्त सर्जरी किए जाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति एवं भविष्य में उस पर पड़ने वाले प्रभाव को भली-भाँति समझना एवं समझाना अत्यावश्यक है एवं इसके साथ भविष्य में व्यक्ति द्वारा माता अथवा पिता बनने की योजना एवं आकांक्षाओं को भी समझ लेना आवश्यक है।

इस सर्जरी से पूर्व इससे संबंधित साइड इफेक्ट अथवा भविष्य के अप्रत्याशित दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी रखना एवं मानसिक रूप से तैयार होना तथा इन सभी बातों पर पहले से बातचीत किया जाना आवश्यक है। यह सर्जरी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए कुछ विशेषता के साथ की जाती है।

ट्रांस पुरुषों के लिए सर्जरी (Masculinizing Surgeries)

इस प्रक्रिया मे महिला शरीर को पुरुष शरीर में परिवर्तन करके हेतु सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी मे महिला के शरीर के ऊपरी भाग (वक्ष स्थल) मे बदलाव करते हैं ताकि वह पुरुष शरीर जैसी दिखाई दे। इससे वह अपने पसंदीदा वस्त्रों का चयन कर अधिक आत्मविश्वास का अनुभव करते है कुछ लोग केवल टॉप सर्जरी से संतुष्ट होते हैं, जबकि कुछ लोग जननांग

सर्जरी भी चुनते हैं। फीमेल स्टेरिलाइजेशन में प्रेग्नेंसी रोकने के लिए कई सर्जिकल तकनीकें शामिल हैं, जिनमें दो खास तरीके हैं मेटोइडियोप्लास्टी और फेलियालोप्लास्टी। ये प्रक्रियाए प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं।

मेटोइडियोप्लास्टी – इसे ट्यूबल लिगेशन के संदर्भ में समझ जा सकता है, इसमें ओवम के रास्ते को रोकने के लिए फैलोपियन ट्यूब का रिसेक्शन और लिगेशन किया जाता है। जिसमें हार्मोन द्वारा विकसित अंग से छोटा जननांग बनाया जाता है। एक शोध में मॉडिफाइड पोमेरॉय के तरीके की तुलना एक एडिशनल लिगेशन तकनीक से की गई, जिसमें प्रथम तकनीक में 0.4% की असफलता दर दिखी, जबकि बाद वाले में कोई असफलता नहीं हुई, इसलिए यह स्टेरिलाइजेशन के नतीजों में बेहतर असर दिखाता है। Rocco et al. (2016)

फेलियालोप्लास्टी, या फैलोपियन ट्यूब एनास्टोमोसिस, एक माइक्रोसर्जिकल प्रोसीजर है जिसका उद्देश्य स्टेरिलाइजेशन के बाद फर्टिलिटी को वापस लाना है। प्रजनन क्षमता को वापस लाने के लिए यह महत्वपूर्ण तरीका होता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में हो सकती है और चिकित्सक इसे पूरी जानकारी और सहमति के साथ करते हैं। (Bekeny et. al 2020)

शरीर की आकृति में बदलाव

कभी-कभी फैट हटाकर या शरीर की शेप बदलकर अधिक पुरुष-सुलभ दिखाने का आत्मविश्वास प्रदान किया जाता है।

ट्रांस महिलाओं के लिए सर्जरी (Feminizing Surgeries)

वक्ष स्थल वृद्धि

हार्मोन की सहायता से शरीर के ऊपरी हिस्से का स्वाभाविक विकास किया जा सकता है, पर यदि व्यक्ति अधिक स्त्री रूप चाहता है तो विभिन्न प्रकार के इम्प्लांट का भी विकल्प होता है। उदाहरण के तौर पर सलाईन इंप्लांट (नमक के पानी) एवं सिलिकॉन एम्प्लांट (गाढ़ा सिलिकॉन द्रव) से लेकर स्मूद टेक्सचर्ड एवं टेयर ड्रॉप इम्प्लान्ट। इसके अतिरिक्त शरीर की अन्य हिस्सों से भी वसा निकालकर इसका विकास किया जाता है परंतु यह

सामान्य से छोटा रहता है। कई ट्रांस जेन्डर महिलाओं के लिए जेंडर ऑफरिंग केयर के अंतर्गत ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किया जाता है जो अक्सर ऐसे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जीवन के स्तर में काफी सुधार लाता है और व्यक्ति के जेंडर डिस्फोरिया को भी कम करता है। आमतौर पर यह काफी सुरक्षित माना जाता है। परंतु फिर भी कुछ तकनीकी एवं आंतरिक शरीरिक संरचना का भलीभाँति संज्ञान लेकर ही इसे किया जाना चाहिए। (Miller et. al 2019)

चेहरे को स्त्री आकृति देना

विभिन्न हार्मोन के प्रयोग एवं प्लास्टिक सर्जरी के साथ ही साथ अन्य तरीकों से भी चेहरे की आकृति एवं विभिन्न अंगों जैसे नाक, माथा, होंठ इत्यादि के आकार को अधिक स्त्री सुलभ बनाया जाता है।

वेजिनोप्लास्टी

यह सर्जरी बहुत संवेदनशील और व्यक्तिगत होती है। उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को आराम, संवेदना और सामान्य जीवन जीने की सुविधा मिले। PUBME एवं EMBASE द्वारा 1995 से अभी तक के प्रकाशन से की गई शोध मे कॉम्प्लीकेशंस, नियोवजाइनल गहराई और चौड़ाई, सेक्सुअल फंक्शन, पेशेंट सैटिस्फैक्शन, और जीवन की क्वालिटी में सुधार के विषयों पर कार्य किया गया एवं यह पाया गया कि छब्बीस अध्ययन, समाहित किए गए क्राइटेरिया पर खरी उतरी। इसमे पेनाइल स्किन इनवर्जन तकनीक सबसे ज्यादा रिपोर्ट की गई सर्जिकल प्रक्रिया थी, जो कि 1461 मरीजों पर आजमाई गई, 102 मरीजों के लिए बाउल वैजिनोप्लास्टी के नतीजों की रिपोर्ट दी गई जबकि दोनों तकनीकों में नियोवेजाइनल स्टेनोसिस को सबसे आम कॉम्प्लिकेशन के तौर पर पहचाना गया। कुल मिलाकर, सेक्सुअल फंक्शन और मरीज की संतुष्टि ठीक पाई गई, हालांकि रिव्यू में अध्ययन में इस्तेमाल किए गए नतीजों के तरीकों में उचित मानकीकरण की कमी देखी गई। जीवन स्तर में सुधार की चर्चा केवल एक अध्ययन में की गई है। (Hamdani et al., 2022)

आवाज में बदलाव

कई बार आवाज व्यक्ति की पहचान को सबसे अधिक प्रभावित करती है। सर्जरी और स्पीच थेरपी मिलकर इसमें मदद करती हैं।

नॉन-बाइनरी व्यक्तियों के लिए सर्जरी

हर व्यक्ति केवल पुरुष या महिला की पहचान में खुद को सीमित नहीं पाता। कुछ लोग नॉन-बाइनरी या जेंडर फ्लूइड होते हैं। आज मेडिकल क्षेत्र ऐसे लोगों के लिए भी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से सर्जरी की जाती है और यही इस क्षेत्र का मानवीय विकास है।

परिणाम और जीवन पर प्रभाव

इस सर्जरी से गुजरने वाले अनेकों लोगों के विचार इसके पक्ष में रहे। उन्होंने बताया कि इस सर्जरी के उपरांत उन्हें स्वयं से प्यार और समाज में सम्मान महसूस होने लगा है समाज के बीच रहना उनके लिए आसान हो गया है एवं उनका मानसिक तनाव और डर भी कम हुआ है हालांकि इस सर्जरी में अनेकों प्रकार के खतरे भी सामने आए हैं परंतु फिर भी सावधानी, देखभाल और नियमित जांच से यह सर्जरी समाज के लिए आशीर्वाद के समान साबित हुई है। (Rioux - Daris, 2001)

तकनीक के साथ सर्जरी प्रक्रिया में बदलाव

रोबोटिक सर्जरी- अब कई सर्जरियों में रोबोट तकनीक की भी मदद ली जा रही है। इससे कट छोटा लगता है और रिकवरी जल्दी होती है।

3D मैपिंग- 3D स्कैनिंग और प्रिंटिंग ने सर्जनों को मरीज की जरूरत के अनुसार योजना बनाने की क्षमता प्रदान कर दी है।

ऊतक अभियांत्रिकी - इस क्षेत्र में बढ़ती हुई शोध के परिणामस्वरूप भविष्य में प्रयोगशाला में बनाए गए टिश्यू से सर्जरी करना संभव हो सकता है।

समाज और स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियाँ

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आज भी समाज में भेदभाव का व्यवहार

किया जाता है लोगों को गलत जानकारी अथवा रूढ़िवादी विचारधाराओं के चलते ऐसे व्यक्ति को समाज से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता एवं साथ ही आर्थिक बोझ से भी जूझना पड़ता है। कई जगहों पर तो कानून भी ऐसे लोगों के आड़े आते हैं और उनके जीवन में समस्याएं बढ़ा देता है। इसलिए यह बदलाव केवल ऑपरेशन थिएटर तक न सीमित होकर मानसिकता में भी होना चाहिए एवं ट्रांसजेंडेर व्यक्तियों को जीने का पूरा अधिकार समस्त स्वतन्त्रता के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।

भविष्य की दिशा

आशा है कि आने वाले समय में अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित योजना के चलते सटीक परिवर्तन संभव हो सकेगा एवं आसानी से उपचार उपलब्ध होगा। लोगों से भी अधिक मानवीय व्यवहार भी उम्मीद रखी जा सकेगी।

निष्कर्ष

जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पहचान, आत्मसम्मान और सम्मान लौटाने का माध्यम है। तकनीकी उन्नति और समाज की बढ़ती संवेदनशीलता ने इसे बेहतर और सुरक्षित बनाया है। आने वाले समय में यह क्षेत्र और विकसित होगा और उस दिन की उम्मीद है जब हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ गर्व से जी सके - बिना किसी डर, भेदभाव या सवाल के।

References

1. Rocco, N., Rispoli, C., Moja, L., Amato, B., Iannone, L., Testa, S., Spano, A., Catanuto, G., Accurso, A., & Nava, M. B. (2016). Different types of implants for reconstructive breast surgery. The Cochrane database of systematic reviews, 2016(5), CD010895. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010895.pub2
2. Miller, T., Wilson, S., Massie, J., Morrison, S., & Satterwhite, T. (2019). Breast augmentation in male-to-female transgender patients: Technical considerations and outcomes. JPRAS Open, 21, 63 - 74. https://doi.org/10.1016/j.jpra.2019.03.003.
3. Bekeny, J., Zolper, E., Fan, K., & Del Corral, G. (2020). Breast augmentation for transfeminine patients: methods,

complications, and outcomes.. Gland surgery, 9 3, 788-796 . https://doi.org/10.21037/gs.2020.03.18.

4. Figueroa, N., Kuruoglu, D., Fahradyan, V., Tran, N., Sharaf, B., & Martínez-Jorge, J. (2024). Feminizing Gender Affirming Breast Surgery: Procedural Outcomes at a Single Academic Institution. Aesthetic Surgery Journal. Open Forum, 6. https://doi.org/10.1093/asjof/ojae032.
5. Coon, D., Lee, E., Fischer, B., Darrach, H., & Landford, W. (2020). Breast Augmentation in the Transfemale Patient: Comprehensive Principles for Planning and Obtaining Ideal Results. Plastic and Reconstructive Surgery, 145, 1343 - 1353. https://doi.org/10.1097/prs.0000000000006819.
6. Sophie E.R. Horbach, Mark-Bram Bouman, Jan Maerten Smit, Müjde Özer, Marlon E. Buncamper, Margriet G. Mullender, Outcome of Vaginoplasty in Male-to-Female Transgenders: A Systematic Review of Surgical Techniques, The Journal of Sexual Medicine, Volume 12, Issue 6, June 2015, Pages 1499–1512, https://doi.org/10.1111/jsm.12868
7. Hamdani, M. Z., Ahmad, S. N., Shah, R. J., Dhingra, M., & Singh, A. K. (2022). A comparison between two methods of fallopian tubal ligation for sterilization of women in a low resource setting. GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS, 10–12. https://doi.org/10.36106/gjra/5600462
8. Rioux, J. E., & Daris, M. (2001). Female sterilization: an update. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology, 13(4), 377–381. https://doi.org/10.1097/00001703-200108000-00002

14.

भारतीय सिनेमा में ट्रांसजेंडर समावेशन और सामाजिक न्याय

डॉ. दीप्ति वाजपेयी*

प्रस्तावना

भारतीय सिनेमा समाज का दर्पण रहा है, लेकिन लंबे समय तक इसने समाज के एक महत्वपूर्ण अंग 'ट्रांसजेंडर समुदाय' के साथ न्याय नहीं किया। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के हर वर्ग को समानता, गरिमा और प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। सिनेमा में 'समावेश' केवल पर्दे पर उपस्थिति नहीं, बल्कि इस समुदाय की वास्तविक कहानियों, संघर्षों और उनकी जीत को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज की सोच, संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब भी है। फिल्मों के माध्यम से विभिन्न समुदायों की छवियाँ गढ़ी जाती हैं और दर्शकों के मन में उनके प्रति दृष्टिकोण निर्मित होता है। इसी संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह समुदाय लंबे समय तक सामाजिक हाशिये पर रहा है और उनकी पहचान को अक्सर उपहास, रहस्य

*प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

या रूढ़िवादिता तक सीमित कर दिया गया।

प्रारंभिक भारतीय फिल्मों में ट्रांसजेंडर पात्रों को मुख्यतः हास्य उत्पन्न करने वाले किरदार या अनुष्ठानिक भूमिकाओं तक सीमित रखा गया, जिससे उनकी वास्तविक जीवन-स्थितियाँ और संघर्ष अदृश्य बने रहे। लेकिन समय के साथ सामाजिक आंदोलनों, कानूनी सुधारों और सांस्कृतिक जागरूकता ने सिनेमा को नई दिशा दी। विशेषकर NALSA जजमेंट (2014) के बाद भारतीय फिल्मकारों ने ट्रांसजेंडर समुदाय की कहानियों को अधिक संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना शुरू किया।

आज सिनेमा में ट्रांसजेंडर पात्र केवल पीड़ा और संघर्ष के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्रेम, करियर, सामाजिक योगदान और नेतृत्व की भूमिकाओं में भी दिखाया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस बदलाव को और गति दी है, जहाँ ट्रांसजेंडर पात्रों को जटिल मानवीय भावनाओं और सशक्त पहचान के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः रूढ़िवादी मानसिकता

भारतीय सिनेमा के शुरुआती दशकों में ट्रांसजेंडर पात्रों का चित्रण समाज की प्रचलित धारणाओं और पूर्वाग्रहों से गहराई से प्रभावित था। इन पात्रों को मुख्यधारा की कहानियों में शायद ही कभी केंद्रीय स्थान मिला। इसके बजाय, उन्हें अक्सर तीन विशिष्ट श्रेणियों में सीमित कर दिया गया, जो निम्नवत है-

हास्य का स्रोत

ट्रांसजेंडर पात्रों को हास्य उत्पन्न करने के लिए एक अजीबोगरीब, अतिरंजित और विचित्र रूप में दिखाया जाता था। उनकी वेशभूषा, हावभाव और संवादों को इस तरह गढ़ा जाता कि दर्शक हँसें, लेकिन उनकी वास्तविकता और संघर्ष अदृश्य बने रहें। 1970-80 के दशक की कई फिल्मों में ट्रांसजेंडर किरदार केवल एक-दो दृश्य में आते थे, जहाँ उनका उद्देश्य दर्शकों को हल्का-फुल्का मनोरंजन देना होता था।

रहस्यमयी या डरावना पात्र

कुछ फिल्मों में ट्रांसजेंडर पात्रों को रहस्यमयी, डरावने या अपराध से जुड़े

रूप में प्रस्तुत किया गया। यह चित्रण समाज में पहले से मौजूद भय और असहजता को और मजबूत करता था। ऐसे पात्रों को अक्सर खलनायक के साथ जोड़ा जाता या उन्हें ''असामान्य'' दिखाकर नकारात्मकता का प्रतीक बनाया जाता।

दूरी और हाशियाकरण

मुख्यधारा की फिल्मों में ट्रांसजेंडर समुदाय को केवल शादी या बच्चे के जन्म के समय दुआ देने वाले किरदारों तक सीमित रखा गया। यह चित्रण उनकी सामाजिक भूमिका को एक अनुष्ठानिक कार्य तक सीमित करता था, जबकि उनकी निजी जिंदगी, भावनाएँ और संघर्ष पर्दे पर कभी नहीं दिखाए जाते। उनकी पहचान को केवल ''समारोहों में उपस्थित होने वाले लोग'' तक सीमित कर दिया गया।

प्रमुख प्राचीन फिल्मों में ट्रांसजेंडर की भूमिका

1970 के आसपास फिल्मों में ट्रांसजेंडर के किरदार को फिल्मों में सीमित मात्रा में स्थान देना प्रारंभ हुआ, किंतु इन फिल्मों में ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा के अनुरूप न समझ कर हाशिये पर ही रखा गया। इस संबंध में कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के उदाहरण इस प्रकार हैं-

अमर अकबर एंथनी और कुंवारा बाप

इन फिल्मों ने ट्रांसजेंडर समुदाय की एक खास छवि को पर्दे पर स्थापित किया, जिसे 'बधाई संस्कृति' कहा जा सकता है। 1974 में प्रदर्शित हुई कुंवारा बाप फिल्म का गाना ''सज रही गली मेरी अम्मा'' बहुत प्रसिद्ध हुआ। हालांकि इसमें सहानुभूति दिखाई गई थी, लेकिन इसमें भी इस समुदाय को केवल नाचने-गाने और सड़क पर जीवन व्यतीत करने वाले समूह तक ही सीमित रखा गया। अमर अकबर एंथनी जो 1977 में प्रदर्शित हुई, इसमें 'तय्यब अली' जैसे पात्रों के माध्यम से उन्हें मोहल्ले के ऐसे किरदारों के रूप में दिखाया गया, जो मुख्य कहानी का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या संघर्ष नहीं है।

सड़क

1991 प्रदर्शित हुई सड़क फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर द्वारा निभाया गया 'महारानी' का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद रहा है। फिल्म ने एक 'किन्नर' को खलनायक के रूप में पेश किया, जो मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त है। इस चित्रण ने दर्शकों के मन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति 'डर' और 'घृणा' पैदा की। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह एक नकारात्मक उदाहरण था, क्योंकि इसने पूरे समुदाय को अपराधी छवि के साथ जोड़ दिया।

संघर्ष

फिल्म 'संघर्ष' 1999 सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई। इसमें आशुतोष राणा का किरदार 'लज्जा शंकर पांडेय' भी ऐसा उदाहरण है, जहाँ ट्रांसजेंडर वेशभूषा का उपयोग 'खौफ' पैदा करने के लिए किया गया। यहाँ ट्रांसजेंडर पहचान को नरबलि और धार्मिक कट्टरता से जोड़ा गया। इस प्रकार का चित्रण न केवल अपमानजनक था, बल्कि इसने इस समुदाय के प्रति समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को और अधिक गहरा किया।

रफू चक्कर तथा हम हैं राही प्यार के

रफू चक्कर (1975) और हम हैं राही प्यार के (1993) इन फिल्मों में मुख्य अभिनेताओं ऋषि कपूर तथा आमिर खान को हास्य पैदा करने के लिए महिलाओं या ट्रांसजेंडर की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया। जब भी पर्दे पर कोई वास्तविक ट्रांसजेंडर पात्र आता था, तो बैकग्राउंड म्यूजिक और संवादों के माध्यम से दर्शकों को यह संकेत दिया जाता था कि अब उन्हें हँसना है। इसे 'मॉकरी' (Mockery) कहा जाता है, जहाँ किसी की पहचान ही हंसी का कारण बन जाती है।

इन फिल्मों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक सिनेमा ने 'ट्रांस-फोबिया' (Trans-phobia) को बढ़ावा दिया। पात्रों को या तो बहुत दयालु और लाचार दिखाया गया या फिर अत्यधिक क्रूर और डरावना। उनके जीवन के मानवीय पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इस प्रकार का चित्रण समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह और दूरी को

और गहरा करता था। दर्शकों के मन में यह धारणा बैठ जाती कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति केवल हास्य, रहस्य या अनुष्ठान से जुड़े होते हैं। उनकी वास्तविक मानवीय पहचान, भावनाएँ और सामाजिक संघर्ष लंबे समय तक अदृश्य बने रहे। प्रारंभिक भारतीय सिनेमा में ट्रांसजेंडर पात्रों का चित्रण उपहास और रूढ़िवादिता से भरा हुआ था। यह न केवल उनकी छवि को सीमित करता था, बल्कि समाज में उनके प्रति असंवेदनशीलता और दूरी को भी बढ़ावा देता था। बाद के दशकों में ही कुछ फिल्मकारों ने इस रूढ़िवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी और ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता को अधिक संवेदनशीलता से प्रस्तुत करना शुरू किया।

परिवर्तन की लहरः संवेदनशीलता का उदय

2010 के बाद भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर नई जागरूकता आई। NALSA जजमेंट (2014) सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी और समान अधिकारों की पुष्टि की। इस ऐतिहासिक निर्णय ने फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित किया कि वे ट्रांसजेंडर पात्रों को केवल हास्य या हाशिये पर नहीं, बल्कि संवेदनशील और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करें। सामाजिक आंदोलनों और LGBTQ+ अधिकारों पर बढ़ती चर्चा ने सिनेमा को नई दिशा दी।

समावेशन और सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण फिल्में -

- **तमन्ना (1997)**- महेश भट्ट की फिल्म, जिसने पहली बार ट्रांसजेंडर पात्र को मानवीय संवेदनाओं और मातृत्व के साथ जोड़ा।
- **शबनम मौसी (2005)**- भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी के जीवन पर आधारित फिल्म, जिसने राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों को उजागर किया।
- **सुपर डिलक्स (2019)**- इस तमिल फिल्म में विजय सेतुपति द्वारा निभाया गया ट्रांसजेंडर महिला का किरदार आलोचकों द्वारा सराहा गया। इसने ट्रांसजेंडर पहचान को गहराई और गरिमा के साथ प्रस्तुत किया।

- **चंडीगढ़ करे आशिकी (2021)**- आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर अभिनीत फिल्म, जिसने प्रेम और ट्रांसजेंडर पहचान के बीच संघर्ष को मुख्यधारा में लाया।
- **ताली (2023)**- यह वेब सीरीज श्री गौरि सावंत के जीवन पर आधारित है। जिसमें सुष्मिता सेन ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता का किरदार निभाया। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सक्रियता और नेतृत्व को सामने रखा, जिसने उनके मनोभावों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सहानुभूति से सशक्तिकरण

पहले की फिल्मों में ट्रांसजेंडर पात्रों को केवल पीड़ा और संघर्ष के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता था। अब नई फिल्मों और वेब सीरीज में उनके करियर, प्रेम, परिवार और सामाजिक योगदान को भी महत्व दिया जा रहा है। यह बदलाव दर्शाता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को केवल ''दया'' का पात्र नहीं, बल्कि सशक्त नागरिक और समाज के सक्रिय अंग के रूप में देखा जा रहा है।

इन फिल्मों ने दर्शकों को ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविकता से जोड़ने का अवसर दिया। समाज में स्वीकृति और सम्मान की भावना बढ़ी। फिल्म उद्योग में भी यह चर्चा शुरू हुई कि ट्रांसजेंडर भूमिकाएँ ट्रांसजेंडर कलाकारों को ही दी जानी चाहिए, ताकि प्रतिनिधित्व अधिक प्रामाणिक हो। 2010 के बाद भारतीय सिनेमा में ट्रांसजेंडर समुदाय का चित्रण संवेदनशीलता और सशक्तिकरण की ओर बढ़ा है। यह परिवर्तन केवल कला का विस्तार नहीं, बल्कि समाज में समावेशन और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ

भारतीय सिनेमा में ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व केवल दृश्य उपस्थिति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में भी योगदान दे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है-

स्वयं का प्रतिनिधित्व

लंबे समय तक ट्रांसजेंडर भूमिकाएँ सिजेंडर (Cisgender) कलाकारों द्वारा निभाई जाती रही हैं। इसे क्रास-कास्टिंग कहा जाता है। इससे प्रामाणिकता पर प्रश्न उठते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर अनुभवों को वही कलाकार सबसे सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं जो स्वयं उस समुदाय से आते हैं। सामाजिक न्याय की मांग है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को न केवल पर्दे पर अभिनय का अवसर मिले, बल्कि वे लेखन, निर्देशन, और निर्माण जैसे पर्दे के पीछे के कार्यों में भी शामिल हों। इससे उनकी कहानियाँ अधिक वास्तविक और संवेदनशील रूप से सामने आएंगी।

स्टीरियोटाइप को तोड़ना

लंबे समय तक सिनेमा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केवल सेक्स वर्कर, भीख माँगने वाले या हास्य पात्र के रूप में दिखाया। यह चित्रण समाज में पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों को और मजबूत करता रहा। वास्तविक समावेशन तब होगा जब उन्हें डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कलाकार, नेता जैसे विविध पेशों में दिखाया जाए। इस बदलाव से दर्शकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ट्रांसजेंडर समुदाय भी समाज के हर क्षेत्र में योगदान दे सकता है।

ओटीटी (OTT) की भूमिका: एक नया मार्ग

सेंसरशिप से मुक्ति

पारंपरिक सिनेमा अक्सर सेंसरशिप और व्यावसायिक दबावों के कारण ट्रांसजेंडर कहानियों को सीमित करता रहा। लेकिन नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस बंधन को तोड़ा और साहसी, जटिल और यथार्थवादी कहानियाँ प्रस्तुत कीं। पाताल लोक (2020): इसमें 'मैरीनी' नामक ट्रांसजेंडर पात्र को गहराई और जटिल भावनाओं के साथ दिखाया गया। मेड इन हेवन (2019-2023) इस शो में ट्रांसजेंडर पात्रों को न केवल सामाजिक संघर्षों के साथ, बल्कि प्रेम, आकांक्षाओं और आत्म-सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया।

वैश्विक पहुँच और स्वीकार्यता

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इन कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाया। इससे भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वीकृति और सम्मान बढ़ा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने भी इन कहानियों को सराहा। ओटीटी ने यह साबित किया कि ट्रांसजेंडर कथाएँ केवल ''विशेष'' या ''हाशिये'' की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वे मुख्यधारा की मानवीय कहानियाँ हैं।

सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं- विशेषकर स्वयं का प्रतिनिधित्व और स्टीरियोटाइप तोड़ने के क्षेत्र में। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक नया मार्ग खोला है, जहाँ ट्रांसजेंडर पात्रों को जटिल, मानवीय और सशक्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बदलाव भारतीय सिनेमा को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य की दिशा: समावेशी सिनेमा की संभावनाएँ

प्रामाणिक प्रतिनिधित्व

आने वाले वर्षों में यह आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर भूमिकाएँ ट्रांसजेंडर कलाकारों को ही दी जाएँ। इससे न केवल पात्रों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि समुदाय को वास्तविक अवसर भी मिलेगा। प्रामाणिक प्रतिनिधित्व दर्शकों को अधिक गहराई और संवेदनशीलता से जोड़ पाएगा।

विविध पेशों और भूमिकाओं में प्रस्तुति

भविष्य का सिनेमा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केवल संघर्ष या हाशिये की भूमिकाओं तक सीमित न रखे। उन्हें डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, नेता, कलाकार जैसे विविध पेशों में दिखाना समाज में उनकी वास्तविक भागीदारी को सामने लाएगा। इससे दर्शकों की सोच बदलेगी और सामाजिक समावेशन को बल मिलेगा।

पर्दे के पीछे अवसर

लेखन, निर्देशन, निर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। जब वे स्वयं अपनी कहानियाँ कहेंगे, तो

सिनेमा अधिक यथार्थवादी और सशक्त बनेगा।

ओटीटी और वैश्विक मंचों की भूमिका

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने पहले ही साहसी और संवेदनशील कहानियाँ प्रस्तुत की हैं। भविष्य में ये मंच ट्रांसजेंडर कलाकारों और फिल्मकारों को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने का अवसर देंगे। इससे भारतीय सिनेमा का समावेशी स्वर और अधिक मजबूत होगा।

शिक्षा और जागरूकता

फिल्म महोत्सवों, विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक मंचों पर ट्रांसजेंडर सिनेमा को बढ़ावा देना चाहिए। इससे नई पीढ़ी को संवेदनशीलता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों से जोड़ने में मदद मिलेगी। भविष्य का भारतीय सिनेमा तभी वास्तव में समावेशी होगा जब ट्रांसजेंडर समुदाय को पर्दे पर और पर्दे के पीछे समान अवसर मिलेंगे। उनकी कहानियाँ केवल पीड़ा नहीं, बल्कि सशक्तिकरण, प्रेम, करियर और सामाजिक योगदान की कहानियाँ होंगी। ओटीटी और वैश्विक मंचों ने इस दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है, और आने वाले वर्षों में यह प्रवृत्ति भारतीय सिनेमा को अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बनाएगी।

निष्कर्ष

भारतीय सिनेमा में ट्रांसजेंडर समावेशन अभी अपनी शैशवावस्था में है। हालांकि हमने रूढ़िवादिता की बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन पूर्ण सामाजिक न्याय अभी दूर है। जब सिनेमा में ट्रांसजेंडर होना एक 'मुद्दा' न रहकर एक 'स्वाभाविक पहचान' बन जाएगा, तभी वास्तविक समावेश माना जाएगा। फिल्मकारों को सहानुभूति से आगे बढ़कर समावेशन की ओर बढ़ना होगा। ट्रांसजेंडर वर्ग के प्रति को अपने अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम समाज की मानसिकता में उनके प्रति पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता समाप्त होकर समझ उत्पन्न हो भारतीय सिनेमा समाज में, विशेष रूप से युवावर्ग में मापदंडों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः सिनेमा का यह नैतिक दायित्व है कि वह जिस प्रकार दलित, गरीब, महिला आदि से संबंधित मुद्दों को सामने लाकर उसने समाज में उनके प्रति

संबंध संवेदनशीलता को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समझ उत्पन्न करने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने में अपनी नैतिक भूमिका का निर्वहन करें।

संदर्भ

1. भट्ट महेश, निर्देशक, तमन्ना, प्लस एंटरटेनमेंट, 1997.
2. बेनेगल श्याम, निर्देशक, वेलकम टू सज्जनपुर, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, 2008.
3. कुमारराजा, थियागराजन, निर्देशक, सुपर डीलक्स, टायलर डर्डन एंड काइनो फिस्ट, 2019.
4. शर्मा केवल, निर्देशक,शबनम मौसी, यशराज फिल्म्स, 2005.
5. कपूर अभिषेक, निर्देशक, चंडीगढ़ करे आशिकी, टी-सीरीज फिल्म्स, 2021.
6. जाधव रवि, निर्देशक ताली, जियोसिनेमा, 2023.
7. शर्मा सुधीप, पाताल लोक, अमेजन प्राइम वीडियो, 2020.
8. अख्तर जोया, मेड इन हेवन, अमेजन प्राइम वीडियो, 2019-2023.
9. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, निर्णय, 15 अप्रैल 2014.

15.

हिंदी उपन्यासों में किन्नर जीवन का चित्रण एक विमर्श

डॉ. नीरज कुमार* और शिवम**

प्रस्तावना

वर्तमान में किन्नरों की स्थिति भिक्षा, नृत्य और यौन कार्यों तक ही सीमित है। अगर कुछ अपवादों की छोड़ जाए तो 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने तृतीय लिंग को एक पहचान के रूप में संवैधानिक मान्यता दी, लेकिन क्रियान्वयन की कमी बनी हुई है। समकालीन हिंदी साहित्य, विशेषकर उपन्यासों में, किन्नर विमर्श ने नया स्वरूप ग्रहण किया है। 1990 के दशक से शुरू होकर, यह विमर्श स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के समानांतर विकसित हुआ है। किन्नरों को अब निष्क्रिय पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय संघर्षरत व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदी उपन्यास इस विमर्श को यथार्थवादी, संवेदनात्मक और भाषिक रूप

*प्रोफेसर, हिंदी विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

**शोध छात्र, हिंदी विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर।

से समृद्ध बनाते हैं। उदाहरणस्वरूप, किन्नरों को जन्म से 'कलंक' माना जाता है, जिसके कारण परिवार उन्हें त्याग देता है, और वे गुरुमाई प्रथा के अधीन समुदाय में शामिल हो जाते हैं। यह प्रथा, हालांकि सामूहिक सुरक्षा प्रदान करती है और कभी-कभी शोषण का माध्यम भी बन जाती है।

हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है, लेकिन समकालीन रूप 1990 के बाद उभरा लेकिन 2000 के दशक में वे केंद्रीय हो गए। विद्वानों के अनुसार, हिंदी उपन्यासों ने किन्नरों की 'व्यथा' को 'विमर्श' का रूप दिया है, जहां साहित्य सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। प्रमुख उपन्यासों में 'किन्नर कथा' (महेन्द्र भीष्म, 2004) ऐतिहासिक संदर्भ में किन्नर पुत्री सोना की करुण गाथा प्रस्तुत करता है, जहां राजघराने में भी भेदभाव का चित्रण है। चित्रा मुद्गल का 'नाला सोपारा' (2002) किन्नरों के व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकारों को परत दर परत खोलता है, जहां लेखिका ने लंबे शोध के बाद इस विषय को उठाया। नीरजा माधव की 'यमदीप' (2010) किन्नर समुदाय के अंतरंग जीवन की मार्मिक गाथा है, जबकि 'मैं पायल' (2017) किन्नर लड़की पायल की आत्मकथात्मक शैली में संघर्ष को दर्शाती है।

'मैं पायल' में किन्नर संघर्ष और आत्मसशक्तिकरण

नीरजा माधव का उपन्यास 'मैं पायल' किन्नर जीवन की यथार्थवादी और प्रेरणादायक तस्वीर खींचता है। मुख्य पात्र पायल (जुगनी) उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जन्मी एक किन्नर लड़की है। बचपन से पढ़ाई में तेज, लेकिन लिंग असामान्यता के कारण पिता राम बहादुर उसे 'हिजड़ा' कहकर मारपीट करते हैं। परिवारिक हिंसा चरम पर पहुंचती है जब पिता जहर पिलाने का प्रयास करते हैं: "तू हमारी बेइज्जती है, तेरी वजह से घर का नाम डूब गया।" पायल घर छोड़कर कानपुर पहुंचती है, जहां ट्रेन में यौन शोषण का शिकार होती है – एक दृश्य जहां पुरुष यात्रियों की भीड़ उसे घेर लेती है, किन्नरों की असुरक्षा को उजागर करता है। गुरुमाई के नेतृत्व वाले किन्नर समुदाय में शामिल होने पर उसे नाच-गाने और भिक्षा की मजबूरी झेलनी पड़ती है।

उपन्यास की प्रमुख थीम परिवारिक अस्वीकृति है: "मैं हिजड़ा नहीं हूं,

मैं एकदम सही लड़की हूं।'' यह पुकार समाज की पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता पर प्रहार है। सामाजिक मुद्दों में यौन शोषण, पुलिस उत्पीड़न और आर्थिक निर्भरता प्रमुख हैं। पायल का संघर्ष आत्मसम्मान की खोज है; वह समुदाय को शिक्षा और सिलाई-कढ़ाई सिखाकर आत्मनिर्भर बनाती है। भाषिक शिल्प में आत्मकथात्मक शैली और किन्नर बोली ('चेली', 'गुरु मां') का मिश्रण भावनात्मक गहराई देता है।

यमदीप में अंतरंग जीवन और पहचान संकट

'यमदीप' किन्नर समुदाय के आंतरिक जीवन को गहराई से चित्रित करता है। यमदीप उपन्यास की मुख्य पात्र नाजबीबी हैं, जो किन्नर समुदाय की एक सशक्त महिला हैं। नीरजा माधव द्वारा लिखित यह उपन्यास (2002 में प्रकाशित) किन्नरों के सामाजिक शोषण, भेदभाव और अधिकारों की लड़ाई पर केंद्रित है।नाजबीबी कथा की धुरी हैं – वे एक गर्भवती किन्नर बच्ची की रक्षा करती हैं, बलात्कार के प्रयास को विफल करती हैं, और अंत में चुनाव लड़ने का संकल्प लेकर समुदाय के उत्थान का प्रतीक बनती हैं। उपन्यास में गुरुमाई प्रथा का विस्तृत विवरण हैः नए सदस्यों को 'दिखावा' (शारीरिक परिवर्तन) के बाद समुदाय में शामिल किया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया शोषणपूर्ण है। किन्नरों की दैनिक जीवनशैली – जन्म-मृत्यु में आशीर्वाद, नृत्य, भिक्षा और अंतर्कलह – को मार्मिक ढंग से दिखाया गया है।

पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा में सामाजिक स्याह यथार्थ

चित्रा मुद्गल द्वारा लिखित यह उपन्यास (2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त) किन्नर समुदाय पर केंद्रित है। कथा पत्रों के माध्यम से पुत्र विनोद (जन्म नाम बिन्नी) और माँ के बीच संवाद पर आधारित है। उपन्यास में किन्नरों की हत्या, पुलिस उत्पीड़न, यौन शोषण और एचआईवी का वर्णन है। मुंबई के उपनगरीय इलाके नाला सोपारा की पृष्ठभूमि पर रचा यह उपन्यास पत्र-व्यवहार (एपिस्टोलरी) शैली में बुना गया है, जहाँ माँ वंदना बेन शाह के पत्रों के माध्यम से कथा खुलती है। यह किन्नर समुदाय की उपेक्षा, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से उकेरता है, जो समाज के पूर्वाग्रहों को आईना दिखाता है।

संपन्न गुजराती परिवार की वंदना का पुत्र बिन्नी (विनोद) जन्मजात विकलांगता के कारण किन्नर समुदाय में शामिल हो जाता है। परिवार उसे त्याग देता है, और वह 'विनोद' बनकर किन्नर डेरे में जीवन बिताता है। माँ के पत्र पोस्ट बॉक्स नं. 203 पर पहुँचते हैं, जहाँ विनोद का संवाद अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कथा ममता, अपराधबोध और अलगाव के दर्द को चित्रित करती है। अंत में, माँ का स्वीकार्यता का संघर्ष आशा की किरण जगाता है। पत्रों की संरचना भावुकता और अंतरंगता पैदा करती है, जो पाठक को किन्नर दुनिया में खींच लेती है। मुद्गल की भाषा सहज, संवेदनशील और यथार्थवादी है, जो विडंबनाओं को नाटकीय बनाती है।

महेंद्र भीष्म की किन्नर कथा

महेंद्र भीष्म की 'किन्नर कथा' (2018) हिंदी साहित्य में थर्ड जेंडर विमर्श की एक मार्मिक रचना है, जो बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर किन्नर समुदाय की विडंबनाओं को यथार्थवादी ढंग से उकेरती है। वास्तविक घटनाओं पर आधारित यह उपन्यास किन्नरों को 'इंसान' के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जहाँ लेखक प्रश्न उठाते हैं—ईश्वर का अन्याय और समाज की क्रूरता क्यों? उपन्यास में थर्ड जेंडर के कई प्रकार बतायें गए हैं - "लिंगोच्छेदन कर बनाये गए हिजड़ों को 'छिबरा' और नकली हिजड़ा बने मर्दों को 'अबुआ' कहते हैं.....हिजड़ों की चार शाखाएं होती हैं- बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। बुचरा जन्मजात हिजड़ा होते हैं, नीलिमा स्वयं बने, मनसा स्वेच्छा से शामिल तथा हंसा शारीरिक कमी के कारण बने हिजड़े हैं।" इस उपन्यास के प्रमुख पात्र सोना, तारा आदि जन्मजात हिजड़ा हैं वहीं लम्बू अबुआ श्रेणी का उदाहरण है।

कथानकः कथा पैदाइशी किन्नर सोना (चंदा) से शुरू होती है, जो राजघराने में जन्म लेने पर त्याग दी जाती है। किन्नर डेरे में गुरू तारा के संरक्षण में वह संस्कृति (ताली, कुवागम मेला) सीखती है, लेकिन नकली किन्नरों, यौन शोषण और तारा की हत्या जैसे संकटों से जूझती है। ऑपरेशन के बाद चंदा मनीष से प्रेम पाकर कनाडा चली जाती है। भीष्म की शैली संवेदनशील, शोधपूर्ण और विचारोत्तेजक है। वे विस्तृत वर्णन (किन्नर डेरों, मेलों, प्रकारों) से पाठक को किन्नर दुनिया में डुबो देते हैं, जो शोध की

गहराई दर्शाता है। संवाद जीवंत हैं, जो मुद्दों को सहज बनाते हैं—जैसे नगीना का किन्नर प्रकारों का वर्णन। नाटकीय तत्व (हत्या, प्रेम) कथा को रोचक बनाते हैं, जबकि यथार्थवाद विडंबनाओं को उभरता है। आत्मकथात्मक छटा (वास्तविक घटनाएँ) से भावुकता बढ़ती है, लेकिन सुखद अंत आशावादी है।

मंगलमुखी उपन्यास – लता अग्रवाल

लता अग्रवाल द्वारा रचित 'मंगलामुखी' (विकास प्रकाशन, कानपुर, 2020) हिंदी साहित्य में किन्नर (थर्ड जेंडर) विमर्श की एक संवेदनशील रचना है। शीर्षक 'मंगलामुखी' का अर्थ 'जिनका मुख देखकर मंगल का आगमन हो' है, जो किन्नरों को सामाजिक रूप से उपेक्षित होते हुए भी मानवता और करुणा की प्रतीकात्मक भूमिका को रेखांकित करता है। उपन्यास की केंद्रीय विषयवस्तु किन्नर समुदाय की दर्दभरी जिंदगी, सामाजिक तिरस्कार, शोषण और उनके द्वारा दिखाई जाने वाली अपार मानवता पर आधारित है। यह दर्शाता है कि किन्नर समाज मुख्यधारा से अलगाव के बावजूद सभ्य समाज के लिए समर्पित रहता है, लेकिन बदले में अपमान ही पाता है। उपन्यास के मुख्य पात्र हैं - शकुन (शोषित नारी, मातृत्व प्रतीक), महेंद्री (संघर्षपूर्ण किन्नर, पिता रूप में परिवर्तन), शिल्पा गुरु (संरक्षक), अनु (उत्थान का प्रतीक), सिमरन (प्रेम की तड़प)।

कथा भोपाल की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है, जहाँ भुजरिया उत्सव के दौरान किन्नर ढोलची छंगा एक लड़की शकुन (शकुंतला) को तालाब से आत्महत्या रोकते हुए बचाता है। शकुन शारीरिक शोषण की शिकार है और किन्नर डेरे में शरण लेती है। गुरु माँ शिल्पा उसकी देखभाल करती हैं, लेकिन हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। जिम्मेदारी महेंद्री (महेंद्र) को सौंपी जाती है, जो शकुन के बच्चे अनुपमा (अनु) की पालन-पोषण करती है। महेंद्री वेश बदलकर महेंद्र बन जाती है और अनु का पिता बनकर सामाजिक कलंक से बचाती है। अनु आईएएस अधिकारी बनकर सभी को सम्मान दिलाती है।

इन उपन्यासों में सामान्य विषयवस्तु हैं: (1) पारिवारिक हिंसा – किन्नर बच्चे को 'पाप' मानकर त्यागना (2) सामाजिक भेदभाव – 'हिजड़ा' शब्द से अपमान (3) यौन शोषण – असुरक्षा का प्रतीक (4) आर्थिक निर्भरता –

भिक्षा और नृत्य पर जीना (5) पहचान की खोज – तृतीय लिंग की स्वीकृति।

निष्कर्ष

हिंदी उपन्यासों में किन्नर जीवन का चित्रण एक क्रांतिकारी विमर्श है, जो समाज की असमानताओं को चुनौती देता है। 'यमदीप', 'मैं पायल' आदि से स्पष्ट है कि किन्नर समुदाय की पीड़ा सामाजिक संरचना की उपज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, क्रियान्वयन की कमी बनी है। साहित्यकारों ने इन रचनाओं से किन्नरों के अधिकारों को आवाज दी है, लेकिन समाज का मानसिक परिवर्तन आवश्यक है।

संदर्भ

1. माधव, नीरजा. यमदीप. राजकमल प्रकाशन, 2010
2. भीष्म, महेंद्र. मैं पायल. वाणी प्रकाशन, 2017.
3. मुद्गल, चित्रा. नाला सोपारा. राजकमल प्रकाशन, 2002.
4. भीष्म, महेन्द्र. किन्नर कथा. साहित्य अकादमी, 2004.
5. ''प्रतिनिधि हिन्दी उपन्यासों में चित्रित किन्नर विमर्श''. Shodhgangotri, 2018.
6. ''हिन्दी उपन्यासों में किन्नर वर्ग की व्यथा का अध्ययन''. IJIM, 2024.
7. ''समकालीन हिंदी उपन्यासों में किन्नर विमर्श''. All Research Journal (IJAR) 2020.
8. ''किन्नर केन्द्रित प्रमुख हिन्दी उपन्यासों की भाषिक सरंचना''. CSIRS, 2020.
9. डॉ. रीना सिंह. ''हिंदी उपन्यासों में थर्ड जेंडर विमर्श''. शोध मंथन, 2022.
10. अग्रवाल. लता, ''मंगलामुखी'', विकास प्रकाशन, 2020
11. भीष्म. महेंद्र, ''किन्नर कथा'', अमन प्रकाशन, 2020

''ट्रांसजेंडर समुदायः समझ और समावेशन'' यह पुस्तक ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन और संघर्षों का एक संवेदनशील दस्तावेज है, जिसे सदियों से समाज के हाशिए पर रखा गया है।

यह पुस्तक इस विचार को परिपुष्ट और स्थापित करती है कि ट्रांसजेंडर होना कोई व्यक्तिगत विसंगति नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है। यह समाज की संकीर्ण सोच और सीमित समझ को चुनौती देती है, जिसके कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को असामान्य मानकर उनसे दूरी बनाई जाती है और उन्हें परिवार से लेकर कार्यस्थल तक, हर जगह अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।

पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह समझ उत्पन्न करना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का समावेशन कोई दया या उदारता का कार्य नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की कसौटी है। इस पुस्तक का चिंतन और मनन ट्रांसजेंडर समुदाय के विभिन्न पक्षों को समग्र रूप से समझने हेतु ही उपयोगी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की ओर पहला कदम है।

पुस्तक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का पुरजोर आह्वान है। न्यायिक कानून या सैद्धांतिक अभिलेखीकरण तब तक पर्याप्त नहीं है, जब तक परिवार, समुदाय और शिक्षण संस्थान अपनी पुरानी रूढ़ियों को नहीं तोड़ते। पुस्तक प्रत्येक पाठक, नीति निर्माता, और शोधार्थी को चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। यह सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से पठनीय है, जो एक न्यायपूर्ण और समतावादी दुनिया के निर्माण में विश्वास रखता है ।

एक ऐसी दुनिया में जो विविधता का उत्सव मनाती है, वहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय दृढ़ता और प्रामाणिकता का एक सशक्त प्रतीक है। इस दृष्टि से यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह अज्ञानता और सहानुभूति, मौन और संवाद, हाशिए और गरिमा के बीच एक सेतु है। यह पुस्तक सामूहिक जिम्मेदारी का स्पष्ट आह्वान है कि अस्मिता के इस संघर्ष को स्वीकार करना और समावेशन के पथ पर आगे बढ़ना हमारा सामूहिक दायित्व है।

नालंदा प्रकाशन
ज्ञान की सांस्कृतिक विरासत
नई दिल्ली

₹595
ISBN 978-93-6275-663-3
9 789362 756633
$ 22
www.nalandaprakashan.in